राजस्थान विधान सभा

छठी बैठक, दिनाँक—१२ मार्च, सन् १९५४ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-भवन, जयपुर में प्रातः ८ बज कर ३५ मिनट पर प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या १९९

पुलिस विभाग के सहयोग से राइफल क्लब की स्थापना

श्री खेतसिंह—Will the Minister for Home be pleased to state : Do the Government propose to take any steps be establish Rifle Clubs with the help of the Police Department in order to encourage and keep up the enthusiasm of public in this direction ?

श्री जयनरायण व्यास (मुख्य मंत्री)—The Government is anxious to take part in the starting of rifle clubs in Rajasthan. All facilities for this would be provided by the Police. A rifie club did start functioning in Bikaner with effect from 1.8,1953 A rifle club at Jaipur known as the Rajasthan Rifle Club is proposed to be started. This will be got affiliated with the National Rifle Association of India.

श्री खेतसिंह—और किन-किन स्थानों पर ये क्लब खोलने का सरकार विचार कर रही है ?

श्री जयनारायण व्यास—जहां जहां डी० आई० जी० हैडक्वार्टर्स हैं वहां वहां इसके सम्बन्ध में सूचनाएं भेजी गई हैं और आशा की जाती है कि कम से कम वहां-वहां धीरे-धीरे ये कायम हो जावेंगे। इसके अलावा भी जहां कहीं कायम होंगे तो सरकार उनका स्वागत करेगी।

श्री जसवन्तसिंह—बीकानेर में जो राइफल क्लब खोला गया है उसके कितने मेम्बर हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—इसके लिए नोटिस चाहिये।

श्री खेतसिंह—वहां पर राइफल शूटिंग के साथ गन शूटिंग भी सिखाया जाता है क्या ?

श्री जयनारायण व्यास–मैं यह डिटेल इस वक्त नहीं दे सकता।

श्री खेतसिंह—क्या माननीय मन्त्रियों को भी आप गोली मारना सिखावेंगे ?

श्री जयनारायण व्यास—मन्त्री गोली मारेंगे पर इन्सानों पर नहीं।

श्री जसवन्त सिंह—वे तो अभी भी मारते हैं।

श्री तेजमल बाफना—क्या डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स में भी ये क्लब खोलने का सरकार का इरादा है ?

श्री जयनारायण व्यास—डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टरों के उत्साही सज्जनों के उत्साह पर निर्भर है।

श्री भैंरूसिंह—पाकिस्तान-अमरीकी सैनिक पैक्ट हो जाने से राजस्थान की सीमा पर खतरा बन गया है तो इस कारण क्या सरकार राजस्थान पाकिस्तान की सीमा पर भी ऐसे राइफल क्लब खोलने के विषय में सोच रही है ?

श्री जयनारायण व्यास—इसका सम्बन्ध कोई सीमा से नहीं है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १७०

राजस्थान कारावासों के प्रशासन सुधार हेतु विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति

श्री खेतसिंह–Will the Minister for Home be pleased to state:-(a) Whether any expert Committee was appointed to make recommendations regarding improvements in the administration of Rajasthan Jails ?

(b) If so, whether it has submitted its report to the Government ?

(c) If not, why not ?

श्री जयनारायण व्यास (गृहमन्त्री)—हां, एक कमेटी बनाई गई है जिसने अभी तक अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश नहीं की है क्योंकि कमेटी को जिन २ सूचनाओं की आवश्यकता थी वे अभी तक इकट्ठी नहीं हो सकी हैं।

श्री खेतसिंह—यह कमेटी कब बनाई गई ?

श्री जयनारायण व्यास—जुलाई, सन् १६५३ में।

श्री सरदार गुरुदयाल सिंह सन्धु—क्या उस कमेटी के सभी मेम्बर जेल से ताल्लुक रखते हैं ?

Page No.3

श्री जयनारायण व्यास—कुछ रखते हैं अधिकारी की तौर पर, कुछ रखते हैं जेलों में गये हुए के तौर पर और कुछ रखते हैं जेलों में गए हुओं से सहानुभूति के तौर पर ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १७१

ग्रामीण जनता के लिए ट्रैवलिंग डिस्पेन्सरीज़ अथवा औषधालय

(प्रश्नकर्ता श्री सरदार सिंह की अनुपस्थिति में श्री अध्यक्ष ने श्री जसवन्तसिंह को प्रश्न पूछने की अनुमति दी)

श्री जसवन्तसिंह—क्या चिकित्सा तथा स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान राज्य के निर्माण के वक्त पहले की रियासतों में कहां कहां कितनी ट्रैवलिंग डिस्पेन्सरीज़ थीं और बाद में कितनी ट्रैवलिंग डिसपेन्सरीज़ तथा औषधालय ग्रामीण जनता के लिए खोले गये ?

(ख) इस वक्त कितनी ऐसी डिस्पेन्सरीज़ व औषधालय कहां-कहां हैं और इनमें से प्रत्येक ने कितने कितने मरीजों का इलाज किया है ।

(ग) जिन डिस्ट्रिक्ट्स में यह गश्ती औषधालय या डिस्पेन्सरीज़ भ्रमण करके जनता को लाभ नहीं पहुँचा रही है वहां सरकार द्वारा इस तरह का प्रबन्ध करने का क्या ख्याल है ?

(घ) अगर है, तो जनता इसकी कब तक उम्मीद करे ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(क) राजस्थान निर्माण के पूर्व सवाई माधोपुर, सिरोही और बीकानेर में एक-एक चल-चिकित्सालय थे । प्रांत निर्माण के बाद कोई वृद्धि नहीं की गई ।

(ख) बीकानेर का चल-चिकित्सालय रेलवे का था और वह उसके आधीन है । बाकी चिकित्सालय इस समय कार्य नहीं कर रहे हैं ।

(ग) आवश्यकता एवं निधि की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है ।

(घ) आशा है आगामी वर्ष में ३ चल-चिकित्सालय स्थापित कर दिए जावेंगे ।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्या जो पहले कायम थे वे भी बन्द करेंगे ?

श्री रामकरण जोशी—मैं समझता हूँ कि सवाल का जवाब मैंने अपने उत्तर के साथ दे दिया है ।

श्री भैंरूसिंह (वि. सं. १६)—राजस्थान निर्माण के पश्चात् कोई वृद्धि नहीं की गई, इसका क्या कारण है ?

श्री रामकरण जोशी—चल-चिकित्सालयों में मुख्य आधार वेहिकल्स हैं। तो वे वेहिकल्स खराब हो गई हैं और जब तक उनको दूसरी वेहिकल्स से स्बसीट्यूट (substitute) नहीं कर दिया जाता, तब तक यह नहीं हो सकता।

श्री भैंरूसिंह—क्या यह सही है कि वे मोटरें यहां जयपुर में आ गई हैं और यहां वे एडल्ट एजुकेशन विभाग में दे दी गई और उसके बाद खराब हो गई ?

श्री रामकरण जोशी—नहीं, ऐसा नहीं है।

श्री अध्यक्ष—श्री खेतसिंह।

प्रश्न संख्या १७२

जोधपुर तथा जयपुर में पटरियों पर लगी थड़ियों को हटाया जाना जब कि सरकारी दुकानें खाली हैं।

श्री खेतसिंह—Will the Minister for Relief and Rehabilitation please state:—

(i) Why the Government is not removing stalls on footpaths in Jaipur and specially in Jodhpur where Government constructed shops are lying unoccupied since their construction ?

(ii) Are the present sites of Government shops constructed for the refugees not attractive and likely to draw customers ? If so, why such schemes were approved ?

श्री भोगीलाल पंड्या (पुनःस्थापन मन्त्री)—जयपुर नगर के भिन्न-भिन्न बाजारों में लगभग १५०० स्थल थे। स्वीकृत निर्माण कार्यक्रम के अनुसार अभी तक ४५० दुकानों में से कई दुकानें बन चुकी हैं। कुछ बाकी हैं जो बन रही हैं। तैयार की हुई समस्त दुकानें थड़ी होल्डरों को दे दी गई हैं और वे उनमें बैठ गये हैं।

जोधपुर में २४० दुकानें बनी हैं जिनमें से १४७ दुकानें वितरण कर दी गई हैं। प्रताप हाई स्कूल के सामने की दुकानें तैयार हैं किन्तु शरणार्थी लोग जोधपुर नगर पालिका के कार्य के कारण अब भी जोधपुर के एक बहुत ही भीड़ वाले तंग स्थान पर बैठते हैं। जोधपुर नगरपालिका ने अंतिम अवसर पर शरणार्थियों से समझौता कर लिया जिसके कारण शरणार्थी फुटपाथ पर बैठे रहेंगे। इसलिए शरणार्थियों ने पक्की दुकानें लेने से मना कर दिया है।

(२) पसन्द किए हुए स्थान बहुत ही उपयुक्त और आकर्षक हैं।

श्री खेतसिंह—क्या सरकार, अगर इन दुकानों को शरणार्थी न लें तो दूसरे व्यापारियों को देने के लिए सोच रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—शरणार्थियों को समझा कर उन्हें ही देने का प्रयत्न किया जायगा।

श्री जयनारायण व्यास—और अगर शरणार्थी फिर भी न लेंगे तो शरणार्थी संस्थायें जैसे स्कूल वगैरह लेने की तैयारी बता रही हैं और इस विषय में बातें भी हो रही हैं। अगर शरणार्थी दुकानों के तौर पर नहीं लेंगे तो ये शरणार्थी संस्थाओं को दे दी जावेंगी।

प्रश्न संख्या १७३

मेड़ता शहर में डी. आई. जी. पुलिस का निवास भवन का किराया

श्री भोपाल सिंह(वि. सं. २०)—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

(क) क्या मेड़ता शहर में कभी डी. आई. जी. पुलिस का हैडक्वार्टर १९५० में रहा था ?

(ख) क्या डी. आई. जी. का दफ्तर ठिकाना रीयां की हवेली को कलेक्टर ने खाली कराकर रैंट कन्ट्रोल के आधीन रखा था और किराया एस. डी. ओ. को तय करने के लिए लिखा था ?

(ग) क्या किराया एस. डी. ओ. ने तय कर दिया था और उसकी अदायगी गवर्नमेंट ने नहीं की है ?

(घ) क्या उक्त किराये का ठिकाना रीयां ने मेड़ता मुन्सिफ कोर्ट में दावा किया था ?

(ङ) क्या उक्त किराया तय करने की फायल एस. डी. ओ. कोर्ट में गायब हो गई है ?

श्री जयनारायण व्यास—(क) सन् १९५० में डी. आई. जी. पुलिस का हैडक्वार्टर मेड़ता में नहीं रहा। अलबत्ता डी. आई. जी. पुलिस पूर्वी क्षेत्र का कार्यालय अस्थाई तौर पर जुलाई सन् १९४९ में स्थापित हुआ और ३१ अगस्त सन् १९४९ को बन्द हो गया।

(ख) यह हमें ज्ञात नहीं कि डी. आई. जी. पुलिस ने वह हवेली अपने जाति सम्बन्ध से ली थी।

(ग) इस हवेली का किराया २००) रु. प्रतिमास श्री गोवर्धनसिंह, एस. डी. ओ. मेड़ता ने तय किया था। इसमें सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं था।

(घ) ठि० रीयां के ११५५) रु. का दावा मुन्सिफी मेड़ता में किया है।

(ङ) हां।

[श्री जयनारायण व्यास]

(च) इसका हमें कुछ पता नहीं।

(छ) नहीं।

(ज) नहीं। अतः यह प्रश्न नहीं उठता।

(झ) इस पर ध्यान दिया जावेगा।

श्री जयानसिंह—(च) से (झ) तो पूछा ही नहीं गया है।

श्री रामकरण जोशी—आपके पास गया होगा, उसमें होगा।

श्री भोपालसिंह—क्या जो दावा किया गया है वह अपनी मरजी से किया गया था ?

श्री जयनारायण व्यास—जो किराया तय हुआ था वह आपसी ताल्लुकात और बातचीत से हुआ था। सरकार का इससे कोई सम्बन्ध नहीं था।

श्री भोपालसिंह—क्या कलेक्टर का मेड़ता के एस. डी. ओ. के नाम कोई हुक्म नहीं था कि इसका किराया तय कर दो ?

श्री जयनारायण व्यास—हो सकता है, अपने अधिकारी को सुविधा दिलाने के लिए उन्होंने चिट्ठी लिखी हो, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री भोपालसिंह—क्या हवेली को खाली कराने के लिए एस. डी. ओ. को हुक्म नहीं दिया गया था ?

श्री जयनारायण व्यास—किसी अधिकारी को सहायता दिलाने के लिए कोई चिट्ठी लिखी हो, लेकिन मुझे उस चिट्ठी का पता नहीं है।

श्री भोपालसिंह—चिट्ठी फाइल में है और कलेक्टर ने इसको मन्जूर किया है ?

श्री जयनारायण व्यास—यह मामला अदालत में चल रहा है और कोई डॉक्युमेंट मेरे सामने नहीं है।

श्री भोपालसिंह—यह कब से अदालत में चल रहा है। सरकार इसका तस्फिया क्यों नहीं करती है ?

श्री जयनारायण व्यास—तस्फिया करने के लिए यदि कोई मूव होगा तो किया जा सकता है, लेकिन जो डॉक्युमेंट्स अदालत में हैं उनके लिए कुछ कह सकने जैसी स्थिति में सरकार अपने को नहीं पाती।

श्री भोपालसिंह—क्या आपको मालूम नहीं कि यह मामला अदालत में पहुँचा है ?

श्री जयनारायण व्यास—सरकार को मालूम नहीं है।

श्री भोपालसिंह—सरकार को एस. डी. ओ. से मालूम करके उनका वाजिब किराया दे देना चाहिए।

श्री जयनारायण व्यास—यह तो राय की बात है। मैं समझता हूँ कि आपको राय नहीं देना चाहिए।

प्रश्न संख्या १७४

गंगानगर शुगर मिल्स का शासन द्वारा लीज़ पर लेना।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Industries be pleased to answer:--

(a) Has the Rajasthan Government taken the Ganganagar Sugar Mills on lease ?

(b) If so, under what terms and conditions ?

(c) What has been the financial state of the above concern for the last two years ?

(d) Did the Government get any expert opinion about the prospects of profitable running of the concern before taking it over ?

(e) If so, what was the opinion ? If not, why not ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(a) and (b) Please refer to my reply to starred question No. 22/C. M. of the 9th March, 1954.

(c) The concern showed a profit of Rs. 84,314/14/-- without provision for depreciation during the year 1951-52 During the year 1952-53 the factory did not work as the management did not expect adequate supply of cane during the season and naturally, therefore, suffered loss.

Since the establishment in the year 1945 the accumulated loss upto the year 1952 amounts to Rs, 6,59,075/2/--.

(d) and (e) Government had taken expert opinon before taking lease of the factory. Mr. D. R. Parashar, Sugar Technologist, Sugar Technological Institute, Kanpur, was called and sent to Sri Ganganagar to study the conditions. After examining the whole matter he was of the opinion that if 7 lacs mds. of sugarcane can be crushed during the season the concern can make a

[श्री जयनारायण व्यास]

profit From the reports received from the Collector, Sri Ganganagar and the Director of Agriculture, Rajasthan Government expected that 7 lacs mds of cane will easily be available during the season. Reports received from the General Manager, Sugar Factory, show that 5 1/2 lac mds. of cane has already been crushed so far and before the end of the season it is expected that about 7 to 8 lac mds. of cane will be crushed and the concern will show little profit.

कुँ. श्री जसवन्त सिंह—क्या एक्सपर्ट की यह भी ओपिनियन थी कि बीकानेर कमिश्नर को एजेन्ट बनाया जाय ?

श्री जयनारायण व्यास—यह एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, इसके लिए एक्सपर्ट की राय लेने की जरूरत नहीं है। सरकार कॉम्पीटेन्ट है कि किसी को भी काम सौंप दे।

कुँ. श्री जसवन्त सिंह—क्या हम खयाल करें कि कमिश्नर साहब वहाँ के चपरासी भी बनाए जायंगे ?

श्री जयनारायण व्यास—यह आपकी अपनी बात हो सकती है। आपकी बुद्धि और मेरी बुद्धि अलग-अलग हैं।

कुँ. श्री जसवन्तसिंह—आपकी बुद्धि में उन्हें एजेन्ट तो रखना ही चाहिए ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं अपनी बुद्धि का परिचय इन चर्चाओं में नहीं देना चाहता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार के इस कम्पनी में डाइरेक्टर्स मौजूद हैं पहले से ?

श्री जयनारायण व्यास--जी हां, दो हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार ने अपने दो डाइरेक्टरों से रिपोर्ट प्राप्त की थी कि कम्पनी की स्थिति क्या है?

श्री जयनारायण व्यास—रिपोर्ट प्राप्त की जा चुकी है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उन डाइरेक्टर्स की कम्पनी के फाइनेन्शियल रनिंग के बारे में क्या राय है, क्या सरकार बताने की कृपा करेगी ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं समझता हूँ कि प्रोफिट और लोस के बारे में डाइरेक्टर्स तो इतना नहीं देखते हैं लेकिन प्रोफिट और लोस के बारे में एक्सपर्ट की ओपीनियन ज्यादा अच्छी होती है; इसलिए एक्सपर्ट बुलाया गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उन डाइरेक्टर्स की ओपिनियन क्या है, यह मेरा प्रश्न है।

श्री जयनारायण व्यास—वह मेरे सामने इस वक्त नहीं है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस कम्पनी की पूरी कैपिटल में सरकार का शेयर कितना है ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं इस समय नहीं कह सकता हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—पिछले वर्ष जब कारखाना बन्द हुआ था तो मुख्य डिस्प्यूट सुगरकेन की प्राइसेज़ (prices) के बारे में था ?

श्री जयनारायण व्यास—सुगरकेन की प्राइस के बारे में डिस्प्यूट था तथा और भी कारण थे ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि भारत सरकार ने जो प्राइस नियत की थी वह मिल मालिक देने के लिए तैयार नहीं था, इस वजह से टन्टा हुआ ।

श्री जयनारायण व्यास—भारत सरकार ने जो प्राइस तय की थी वह पहले मिल मालिक देने के लिए तैयार नहीं था और बाद में किसान लेने को तैयार नहीं थे ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि वर्तमान कीमतें जो दी जा रही हैं वह भारत सरकार द्वारा निर्धारित कीमतें दी जा रही हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—कीमतों के बारे में भारत सरकार की सलाह जरूर ली जाती है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार ने इस अरसे में कोई स्टेटमेंट प्रोफिट एण्ड लास के कन्सर्न (concern) का बनाया है ?

श्री जयनारायण व्यास—वह जिस समय काम खतम होगा तब बनाया जायगा । अगर बीच में बनता है तो सरकार के सामने उपस्थित नहीं हुआ है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार और उक्त मिल मालिक के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है ?

श्री जयनारायण व्यास—कोई एग्रीमेंट कि उनको क्या मुआवजा देना चाहिए इस बारे में अभी कुछ नहीं हुआ है । यह मिल किस तरह से काम करती है उसको देखने के बाद कुछ लेन-देन की बात हो सकती है, लेकिन वह नॉमीनल ही होगा ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरे पूछने का मतलब है कि क्या सरकार ने कोई एग्रीमेंट नहीं किया है उक्त महोदय से ?

श्री जयनारायण व्यास—किस तरह के एग्रीमेंट से मतलब है ? बातचीत होकर यह तय होना चाहिए ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—किसी भी प्रकार का कोई एग्रीमेंट साइन किया है सरकार ने ?

(विराम)

कोई लीगल एग्रीमेंट साइन किया है क्या ?

एक माननीय सदस्य—लीगल और इल्लीगल एग्रीमेंट से क्या मतलब है ?

श्री जयनारायण व्यास—इल्लीगल एग्रीमेंट का मतलब है कि कोई लिखापढ़ी नहीं की गई है, एक जगह बैठकर बातचीत की है। उसकी प्रोसीडिंग लिखी गई है। उसको मैं एग्रीमेंट समझता हूँ, Gentleman's agreement.

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या और कोई कॉन्फीडेन्शल एग्रीमेंट किया गया है ?

श्री जयनारायण व्यास—कोई कॉन्फीडेन्शल नहीं किया गया है।

श्री वेदपाल त्यागी—क्या सरकार ने वहाँ जनरल मैनेजर, जो श्री एन० एल० गुप्ता थे, उनकी राय इसमें ली थी ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं इस समय नहीं कह सकता हूँ कि ली गई है या नहीं। बहुत सी रायें ली जा चुकी हैं।

प्रश्न संख्या १७५

मेडीकल सर्विसेज़ का एकीकरण

श्री जुझारसिंह—Will the Minister Incharge of Medical and Public Health be pleased to state:--

(a) Whether the integration of Medical Services has not been completed and seniority not fixed ?

(b) When does the Government propose to complete it ?

श्री रामकरण जोशी—हाँ,

(अ) सी० ए० एस० प्रथम श्रेणी के अतिरिक्त बाकी सब का एकीकरण लगभग पूरा हो चुका है। सी० ए० एस० क्लास प्रथम के एकीकरण में देरी इसलिये हुई कि डिपार्टमेंट के ढाँचे पर पुनर्विचार हो रहा था। सी. ए. एस. क्लास प्रथम का एकीकरण बहुत जल्दी पूरा हो जावेगा।

(ब) निकट भविष्य में।

श्री जुझारसिंह--इन डाक्टरों का इन्टर्व्यू पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने हो चुका है, लेकिन अभी तक इनका एकीकरण नहीं हुआ है।

श्री रामकरण जोशी—इन्टर्व्यू पब्लिक सर्विस कमीशन ने किया है, उस पर विचार हो रहा है। उसके बाद में उसका फैसला बहुत जल्दी ही किया जायगा।

श्री जसवन्त सिंह— क्या आप बतायेंगे कि पी. एस. सी. की रिकमन्डेशन्स महकमे के पास कब आ गई थीं?

श्री रामकरण जोशी— मैंने अभी आपको बता दिया है।

श्री वेदपाल त्यागी—क्या २३ जनवरी, १९५३ को आ गई थी?

श्री रामकरण जोशी— २२ जनवरी, १९५३ को

श्री जसवन्त सिंह— क्या इसको १ साल से अधिक नहीं हो गया है? अब तक महकमे ने निर्णय क्यों नहीं दिया?

श्री हरिकृष्ण व्यास—Is it possible to postpone replies at such a late stage by the Hon'ble Member?

श्री रामकरण जोशी— मैंने अभी बतलाया है कि २२ जनवरी, सन् ५३ को आई।

श्री जसवन्तसिंह —इसके बाद मैंने दूसरा सवाल पूछा है देरी के कारण के बारे में।

श्री रामकरण जोशी— इस पर बहुत से ऑब्जेक्शन्स आये थे, इसलिए उन पर विचार करने के लिए रखा था।

श्री जसवन्त सिंह— कैसे ऑब्जेक्शन्स आये थे?

श्री रामकरण जोशी— डॉक्टर्स जिन पर इसका असर पड़ता था, उनके ऑब्जेक्शन्स आये?

श्री वेदपाल त्यागी— क्या पी. एस. सी. की रिपोर्ट डाक्टरों को बतलाई गई थी जिससे कि उनके ऑब्जेक्शन्स आये?

श्री रामकरण जोशी— जी नहीं। रिप्रेजेन्टेशन्स पेश करने का उनको अधिकार था।

श्री जसवन्त सिंह— रिपोर्ट के बारे में उनको मालूम कैसे हुआ?

श्री रामकरण जोशी— यह मालूम नहीं, रिकमन्डेशन्स उनको मालूम हुई या नहीं।

श्री जसवन्तसिंह— क्या पी. एस. सी. ने आउट कर दी थी?

श्री रामकरण जोशी— जैसे आपको मालूम हुआ, वैसे ही उनको भी मालूम हो सकता है?

श्री जसवन्त सिंह— क्या रिकमन्डेशन्स आउट की गई थीं ?

श्री कपिलदेव— क्या आप बतलायेंगे........

श्री जसवन्त सिंह— पहले मेरे प्रश्न का उत्तर तो देने दीजिये ?

श्री कपिलदेव—मेरा प्रश्न भी बिल्कुल ऐसा ही है।

श्री रामकरण जोशी— मैंने जवाब दे दिया है।

श्री जसवन्त सिंह— क्या यह सही नहीं है कि पी. एस. सी. को फिर लिखा था और उन्होंने कहा कि हमने तो भेज दिया है ?

श्री अध्यक्ष—Another disclosure of secret.

श्री रामकरण जोशी—मालूम नहीं, आपको कैसे पता लग जाता है।

श्री जसवन्त सिंह— आँपोजिशन का तो यह काम ही है कि आपकी बातों का पता लगावे।

श्री कपिलदेव—क्या यह सही नहीं है कि इस सम्बन्ध में पिछले अधिवेशन में भी प्रश्न पूछे गये थे और आपने आश्वासन दिये थे।

श्री रामकरण जोशी— हो सकता है आश्वासन दिया हो और अब भी दे सकते हैं।

श्री कपिलदेव— हो सकता है, यह तो और बात है, लेकिन आप तो वाक्या फरमाइये।

श्री अध्यक्ष— नेक्सट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या १७६

टोंक संदेड़ा बीड़ में से टोंक नवाब तथा सिंधिया को भूमि प्रदान

श्री लालूराम (वि. सं. ८४)—क्या वन विभाग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि टोंक संदेड़ा बीड़ में से नवाब साहब टोंक को और सिंधिया को जमीन दी गई है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि कुछ दलितों ने भी इसमें से कुछ जमीन लेने की मांग की है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) जी हां। बीड़ संदेड़ा, डिवीजन टोंक का रकबा ७७०० बीघा है, इसमें से ३३०० बीघा नवाब साहब टोंक को उनको निजी सम्पत्ति में स्टेट मिनिस्ट्री द्वारा दिया गया। बचे हुए रकबे में से १००० बीघा जमीन काश्त के वास्ते राजस्व विभाग को मुन्तकिल की गई जो शरणार्थियों को दी गई।

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(ख) जी हां, यह सत्य है, कुछ दलितों ने भी इसमें जमीन लेने की माँग की है जो विचाराधीन है।

श्री रोशनलाल—क्या यह सही है कि इससे पहले ही राजस्थान सरकार के पास किसानों ने आवेदन-पत्र इस भूमि के लिये दिये थे ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जिन्होंने आवेदन-पत्र दिये हैं उनके आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं।

श्री रोशनलाल—इसका क्या कारण है कि उन किसानों को तो जमीन नहीं मिली और टोंक नवाब को मिल गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नवाब को जमीन स्टेट्स मिनिस्ट्री ने दी है, जिसकी इत्तला मैं आपको दे चुका हूँ।

श्री कंवरलाल जेलिया—राजस्थान सरकार बनने के बाद यह जमीन दी गई या उससे पहले ही दे दी गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—भारत सरकार से जो वादा हुआ है उसको देखकर ही मैं बता सकता हूँ। यदि आप जानना चाहते हैं तो दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री कंवरलाल जेलिया—यह इसी प्रश्न से सम्बन्धित है, इसलिये आपको बतलाना चाहिये।

श्री भोगीलाल पंड्या—यह स्टेट्स मिनिस्ट्री से सम्बन्धित है, इसलिये वैसे तो वे ही इस बारे में बता सकते हैं लेकिन फिर भी अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको बता सकता हूँ। इसके लिये आप दूसरा प्रश्न रखिये।

श्री कँवरलाल जेलिया—एक तरफ तो नवाबों को प्रोत्साहन मिल रहा है और दूसरी तरफ हरिजनों की सुनवाई तक नहीं होती, ऐसा क्यों है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—राजाओं, जागीरदारों और नवाबों को प्रोत्साहन मिल चुका है, अब धीरे-धीरे विचार-धारा दूसरी ओर बदल रही है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या यह जमीन नवाब को पर्सनल प्रोपर्टी के रूप में दी है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—हो सकता है, स्टेट्स मिनिस्ट्री ने पर्सनल प्रोपर्टी के रूप में दी हो।

प्रश्न संख्या १७७

अक्टूबर १९५३ से फरवरी १९५४ के बीच कुछ तेल मिलों को महसूल से मुक्ति

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Industries be pleased to answer:—

(a) Has the State Government granted exemption from Customs Duty to any oil mill or mills between October, 1953 to February, 1954 ?

(b) If so, to which concerns ?

(c) Why was a similar facility not granted to the other concerns similarly placed ?

(d) Was the matter brought before the Industries Advisory Committee before any decision was taken about it ?

(e) Is the Government aware that serious allegations of nepotism are being made in this matter ?

(f) Will the Government order enquiry ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(a) Yes.

(b) The concerns are:—

(1) Shri Krishna Oil Mills, Ganganagar.

(2) Shri Bhoot Oil Mills. Jodhpur.

(c) Because no such applications were before the Minister at that time, every case was considered on its merits.

(d) This is a purely administrative matter with which the advisory council is not concerned.

(e) No. Those who are fond of making serious allegations might have tried to do this.

(f) No enquiry is necessary.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Before taking a decision on this matter, will the Government notify that consideration is being made to grant such concessions and applicants may send their applications ?

श्री जयनारायण व्यास—There was no system like that existing at that time.

श्री वेदपाल त्यागी—What were the merits warranting the concessions ?

श्री जयनारायण व्यास—Encouragement to industries which were dying.

श्री हरिकृष्ण व्यास—But, how all the concerned parties will come to know that such a thing is before the Government.

श्री जयनारायण व्यास—Every time the concessions were given on applications being presented and if the Minister concerned thought it fit, he granted concessions. But the Government later on granted these concessions on the basis of rules framed in 1949. Later on the Government found that these concessions created discriminations and a regular and better system has been introduced since then.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Has the Government enquired regarding the discrimination already introduced because of this.

श्री जयनारायण व्यास—Discrimination is bad and it was not necessary to enquire into the discrimination allowed in the past, whether in this particular case or in 20 cases of the past. The Government have now adopted a policy of fair deal with all concerned and a notification has already been issued on the matter.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—Since when this policy has been adopted ?

श्री जयनारायण व्यास—Since 1949. Discrimination was allowed under Government orders to old mills.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—From what date ?

श्री जयनारायण व्यास—Date ?

श्री अध्यक्ष—Since 1949.

श्री जयनारायण व्यास—Since the Regulation of Customs Duty Ordinance, 1949, was introduced. I do not remember the date at the moment, but it was in 1949. It should be quite enough.

श्री वेदपाल त्यागी—When were these concessions granted ?

श्री जयनारायण व्यास—These two concessions were granted recently.

श्री वेदपाल त्यागी—In view of the Government notification, will it not create discrimination ?

श्री जयनारायण व्यास—Every time when a factory deserves Concessios, concessions were granted, and these rules were framed by a very old Minister in 1949, in 1949.

(हँसी)

श्री हरिकृष्ण व्यास—Is the Government aware that since 1949, several applications of this type are pending with Government ?

श्री जयनारायण व्यास—Well, at the moment when these concessions were given two applications were before the Minister.

श्री हरिकृष्ण व्यास—These applications were recently submitted, but since 1949, so many applications are pending before the Government; is the Government aware ?

श्री जयनारायण व्यास—Might be many applications, but may not be before the Minister.

श्री हरिकृष्ण व्यास—They also considered the applications already received, or they considered only these two recently arrived applications ?

श्री जयनारायण व्यास—Only those applications can be considered by Ministers which are put before the Ministers, not all applications which are on the file.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Is it not a fact that till these two concessions were given, no such discriminatory concessions were granted by the Government ?

श्री जयनारायण व्यास—I could not follow the question,

श्री हरिकृष्ण व्यास—Is it not a fact that till these two concessions were granted to two mills, no such concessions, inspite of the Ordinance, were given to any other party ?

श्री विश्वंभरनाथ जोशी—On a point of order, Sir, is this permissible as supplementry under the Rules of Business relating to the questions ?

श्री अध्यक्ष—Order ! We proceed to the next question. We have had a very long debate and we should not waste time.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—Why, Sir, waste time ? Is it wasting time in asking supplementaries ?

(घंटी)

You said 'waste'. We thought the Assembly is meant for the utilisation of the Members. We do not know how it is 'wasting'.

श्री अध्यक्ष—When supplementaries are put which are not within the scope of the question, then it is wasting time.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—The question hour is meant for.........

श्री अध्यक्ष—Order ! I allow three minutes for one question. If I allow more time than this, the remaining questions included in the agenda will remain. They will be left.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—The member who has tabled it has a right.

श्री अध्यक्ष—But then the limit will apply.

(विराम)

Yes, next.

प्रश्न संख्या १७८

पुलिस लाइन में कुआ खोदने के लिये झुंझुनू जिले के सिपाहियों के वेतन से पाँच रुपये की कटौती।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Home Minister be pleased to answer:—

(a) It is a fact that a sum of Rs. 5/- per head was deducted every month for three months from the pay of all the Police Constables in Jhunjhunu District for the ostensible purpose of digging a well in the Police Lines some time in the first half of 1953-54 ?

(b) If so, who authorised such deductions and what has happened to the amount so collected ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(क) नहीं।

(ख) इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न संख्या १७६

बी. सी. जी. का टीका लगाते समय यक्ष्मा के रोगियों की संख्या

श्री खेतसिंह—Will the Minister for Health please state—

(a) How many persons in Rajasthan have been found to have T. B. germs while taking B. C. G. ?

(b) How many persons have so for been inoculated with B. C G. in Rajasthan ?

श्री रामकरण जोशी—ट्यूबरक्लीन प्रयोग द्वारा यह मालूम करना कि अमुक व्यक्ति में टी. बी. के कीटाणु हैं असम्भव ही है। हाँ, यह कदाचित ज्ञात हो सकता है कि अमुक व्यक्ति के शरीर में टी. बी. से रक्षा पाने के साधन उत्पन्न हो चुके हैं. अथवा नहीं। जिनके शरीर में यह साधन उत्पन्न हो चुके हैं, उन व्यक्तियों की अनुमानतः २,२५,००० के लगभग संख्या पाई गई है।

(ब) जिन व्यक्तियों को बी. सी. जी. के द्वारा क्षय रोग से बचाने का प्रथम प्रयास किया गया है, उनकी अब तक की संख्या-करीब १,१७,५६२ हैं।

श्री जसवन्तसिंह—जिनके टी. बी. एस्टेब्लिश कर दी गई है, उनके लिये सरकार ने क्या कदम उठाया है ?

(हँसी)

श्री अध्यक्ष—एस्टेबिलिश नहीं।

श्री रामकरण जोशी—टी. बी. किसी के एस्टेब्लिश नहीं किया गया।

श्री जसवन्तसिंह—मेरा मतलब यह है कि टी. बी. के सम्पर्क में आ चुके हैं उनके लिये क्या इन्तजाम किया है ?

श्री रामकरण जोशी—उनके लिये टी. बी. सेनिटोरियम खुले हुए हैं।

श्री खेतसिंह—क्या यह सही है कि इस सदन के कई सदस्यों को भी टी. बी. रोग असर कर गया है ?

(हँसी)

श्री रामकरण जोशी—सेनिटोरियम में परीक्षण करवा लें तो पता चल सकता है।

Page No.19

श्री खेतसिंह—क्या सरकार सोच रही है कि उनका डाक्टरी मुआयना कराया जाय ?

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर !

श्री रामकरण जोशी—बी. सी. जी. के टीके लगवा दिये गये हैं।

प्रश्न संख्या १८०

चीफ कन्ज़रवेटर वन विभाग, कोटा की योग्यता तथा विशेषता

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या वन-विभाग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) चीफ कन्ज़रवेटर वन-विभाग, कोटा की योग्यता क्या है ?

(ख) क्या भारत के किसी भाग में ऐसी योग्यता का चीफ कन्ज़रवेटर है ?

(ग) क्या चीफ कन्ज़रवेटर को पहले कभी डिसमिस किया गया था ?

(घ) वन-विभाग में उससे योग्य क्या कोई दूसरा ऑफिसर नहीं था ?

श्री जयनारायण व्यास—(क) प्रोविन्शियल फोरेस्ट सर्विस ।

(ख) मालूम नहीं।

(ग) नहीं।

(घ) नहीं।

प्रश्न संख्या १८१

जयपुर के रामप्रकाश-टॉकीज़ से ३१. १२. ५३ को सरकार को देय किराया शेष

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Chief Minister be pleased to answer :

(a) What is the amount of rent due to the Government as on 31-12-1953 from the Ram Prakash Talkies of Jaipur ?

(b) Since when has the concerned party not been paying rent ?

(c) What steps are being taken to recover the amount ?

श्री टीकाराम पालीवाल—(a) According to departmental calculations the amount due to Government from the lessee of the Ram Prakash Talkies runs to Rs. 3,50,000, which has been disputed on legal and technical grounds and the matter has been referred to arbitration.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Part (b) of the question has not been answered.

श्री अध्यक्ष—"Since when the concerned party has not been paying rent."

श्री टीकाराम पालीवाल—Since February, 1950.

एक सदस्य—इसमें आर्बीट्रेटर कौन हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—श्री आर. डी. आँगड़ ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—फरवरी, सन् १६५० से अब तक रेंट नहीं दिया गया है; तो पहले भी इसकी वसूली के लिये तकाजे व रिमाइन्डर किये गये थे या नहीं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जब तक रुपया आ नहीं जाय; तब तक का टाइम पोस्टपोनमेंट माना जाता है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आर्बीट्रेटर व सरकार की तरफ से जो इसके लिये लिखतनामा हुआ क्या माननीय मन्त्री महोदय उसे सदन की टेबल पर रखने के लिये तयार हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—वह इस समय मेरे पास नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १८२

जनवरी, १६५४ में मुख्य मन्त्री के साँकड़ा के दौरे पर पत्र-प्रतिनिधियों की संख्या तथा उन पर व्यय

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the chief Minister be pleased to answer;

(a) How many press representatives were taken to village Sankara at the time of chief Minister's visit to the village at the end of january, 1954 ?

(b) What expenditure was incurred for the purpose ?

Page No.21

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

(c) What was the report of Shri S. K. Dey, Administrator of community Projects regarding this venture ?

(d) Will the government place the report of Shri Dey on the table of the House ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(क) गाँधी निर्माण दिवस मनाने के लिए सांकड़ा में हुए गाँधी मेले के अवसर पर १२ प्रेस प्रतिनिधि वहाँ गये थे और उन्होंने एक वर्ष पूर्व इसी दिन आरम्भ किये गये निर्माणकारी कार्यक्रम से संबन्धित कामों की गतिविधि का निरीक्षण किया। वे जैसलमेर के इलाके की विशेषताओं का अध्ययन करने के लिये वहाँ भी गये।

(ख) लगभग १०००) रुपये।

(ग) और (घ) सामुदायिक परियोजनाओं के प्रशासक श्री एस. के. डे. के प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि के सम्बन्धित भाग सदन की मेज पर रखे गये हैं।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या १८३

करणपुर की सत्तर हजार की जनसंख्या पर केवल एक डिस्पेन्सरी।

श्री धर्मपाल—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या श्री करणपुर तहसील की ७०,००० की आबादी के लिए एक ही डिस्पेन्सरी है ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार के पास इसके विकास की कोई योजना है ?

(ग) यदि हाँ, तो वह कब तक कार्यान्वित हो जायगी ?

श्री रामकरण जोशी—(क) जी हाँ।

(ख) पूरे प्रान्त की समग्र योजना तैयार की जा रही है।

(ग) उक्त योजना के बाद कार्य प्रारम्भ हो जायगा।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या पिछले साल गंगानगर जिले में नये अस्पताल खोले गये ?

श्री रामकरण जोशी—प्रश्न करणपुर तहसील के बारे में पूछा गया है, इसलिए मैं यह बता सकता हूँ कि उपर्युक्त तहसील में नहीं खोला गया।

कु० श्री जसवन्तसिंह—कब तक खोलने की आशा कर सकते हैं ?

श्री रामकरण जोशी—योजना की मन्जूरी के बाद और धन की उपलब्धि के बाद ।

प्रश्न संख्या १८४

सिरोही डिवीज़नल वन विभाग के राज्यकर्मचारी की मुअत्तिली ।

श्री जवानसिंह—क्या वन विभाग मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे—

(क) क्या सिरोही डिविज़नल वन विभाग के राज्य कर्मचारी काफी अर्से से मुअत्तिल हैं ?

(ख) अगर हाँ, तो कब से और क्यों ?

(ग) उनका फैसला कब तक हो जायगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) हाँ ।

(ख) लगभग ५ वर्ष से । उनके विरुद्ध सरकारी रकम गबन करने की शिकायत थी ।

(ग) जाँच पूरी हो चुकी है और कागज अब सरकार के विचाराधीन है, जिसका शीघ्र निर्णय कर दिया जायगा ।

श्री जवानसिंह—इतने लम्बे अर्से तक कोई निर्णय नहीं किया गया तो क्या यह सरकार की अकर्मण्यता नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार की अकर्मण्यता है कि जिन लोगों ने सरकारी रकम का गबन किया था उनके खिलाफ जाँच की गई ।

श्री जवानसिंह—राजकीय न्यायालय ने यह फैसला दे रखा है कि तीन साल से ज्यादा किसी को मोअत्तिल न रखा जावे ?

श्री भोगीलाल पंड्या—डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी हो चुकी है, उसमें समय लग गया; अब फैसला होने वाला है ।

श्री जवानसिंह—क्या इस केस के कागजात को राजकीय सचिवालय में आये काफी समय नहीं हुआ ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह तो भिन्न प्रश्न किया होता तो बताया जाता । हाँ, इतना मैं बता दूँ कि राजकीय सचिवालय में ज्यादा समय नहीं लगा करता ।

(हँसी)

Page No.23

प्रश्न संख्या १८५

जोधपुर स्टेट होटल भवन केन्द्रीय सरकार को देने की शर्तें

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Chief Minister be pleased to answer:—

(a) Under what terms and conditions was the State Hotel building of the former Jodhpur State handed over to the Government of India ?

(b) Were the terms and conditions finally settled before the building was handed over ?

(c) Have the State Government received any amount so far by way of rent or lease amount ?

(d) If not, what is the cause of such inordinate delay and who are responsible for it ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(a) The State Hotel building at Jodhpur was handed over to the Government of India in January, 1950 at a rent to be fixed between the Rajasthan Government and the Government of India.

(b) Yes, but the amount of rent for the main building was not determined at the time the building was handed over to the Central Government.

(c) No rent has been received so far for the main building given on hire to the Central Government, but the following amounts of rent are received as mentioned below:—

1.	Hotel Annexe	Rs. 274/3/-p. m. or Rs. 3,290/4/-p. a.
2.	Double Storeyed building in the State Hotel and electric installation there of	Rs. 614/-1/-p. m. or Rs. 7,368/12/-p. a.
3.	Rent for the furniture in the double storeyed building	Rs. 162/1/-p. m. or Rs 1,994/12/-p. a.

(d) The question regarding the rent of the main building as also rent of furniture in main building, cost of maintenance charges of filter plant and maintenance charges of gardens is still under correspondence with the Government of India, and a further reference in this connection is being made to them.

[श्री जयनारायण व्यास]

As soon as a final decision is taken in this regard, arrears of rent of main building and other items will be adjusted.

श्री हरिकृष्ण व्यास—What is the cause for this delay in the realisation of rent for the main building during the first few years ?

श्री जयनारायण व्यास—Difference of opinion between the Rajasthan Government and the Government of India as to the capital cost of the main building.

श्री हरिकृष्ण व्यास—On what date the Rajasthan Government preferred its claim to the Government of India ?

श्री जयनारायण व्यास—The claim is being pressed from time to time. I do not remember the date now.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Is it a fact that it took very long time for the Rajasthan Government two years rather—to come to a decision and prefer the claim ?

श्री जयनारायण व्यास—It might be possible because the Rajasthan Government's engineers might have submitted the estimates after two years. I am not certain about it. I can say only when I see the papers.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Part (d) refers to the delay. Who is responsible for the delay in realising the amount ?

श्री जयनारायण व्यास—The responsibility of the delay is on the difference of opinion, not on any particular person.

श्री हरिकृष्ण व्यास—But, after the original claim was preferred, the full responsibility is that of the Government. I want to know when was the first claim preferred ?

श्री जयनारायण व्यास—So many times, after two years, the claim was preferred because a responsible Government has to go in the details of every question, every details before it presses its claim. It must know its own case for the claim.

श्री हरिकृष्ण व्यास—It is responsible Government also, because it takes on lease the concerns to whom concessions have to be given.

श्री जयनारायण व्यास--Yes. It can, and it can take property also.

श्री हरिकृष्ण व्यास--When was the decision taken that the amount as assessed is due ?

श्री जयनारायण व्यास--I told the claim can be made only after a decision is arrived at. The Rajasthan Government says that the capital is so much and the Government of India says that the capital is so much; unless both the Governments come te some terms, no proper claim can be pressed.

श्री हरिकृष्ण व्यास--My question is different.

श्री जयनारायण व्यास—It was answered.

प्रश्न संख्या १८६

आबू क्षेत्र पर राजस्थान के दावे के सम्बन्ध में स्कोलर्स कमेटी की रिपोर्ट

श्री मोहब्बतसिंह—Will the Chief Minister be pleased to state—

Has the Scholars' Committee submitted its report to the Government as regards the Rajasthan Claim for Abu Area ?

श्री जयनारायण व्यास—Yes. (Emphatically).

श्री मोहब्बतसिंह—इस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई और कौन-कौन महानुभाव इसमें थे।

श्री अध्यक्ष—It has been declared on the floor of the House. You can see the proceedings of the previous Session.

श्री जयनारायण व्यास—रिपोर्ट अभी तक सरकार के सामने है। उस रिपोर्ट का कितना हिस्सा प्रकाशित करना है, यह बात सरकार के विचाराधीन है।

श्री एच. के. व्यास—Is the special "yes" an indication of quality ?

श्री जवानसिंह—क्या यह सही है कि इसमें एक गुजराती महोदय भी हैं।

श्री अध्यक्ष—Next.

प्रश्न संख्या १८७

डी. एम. ओज़. के अतिरिक्त चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य विभाग के डाक्टरों का एकीकरण.

श्री जवानसिंह—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री जवानसिंह]

(क) क्या डी. एम. ओज़. के अलावा चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य विभाग के डाक्टरों का एकीकरण हो गया है ?

(ख) अगर नहीं, तो क्यों नहीं और कब तक हो जायगा ?

श्री रामकरण जोशी— (क) सिवाय सी. एस. एम. श्रेणी प्रथम के बाकी सब डाक्टरों का एकीकरण लगभग हो गया है

(ख) सी. ए. एस. श्रेणी १ के डाक्टरों का एकीकरण भी शीघ्र हो जायगा ।

श्री जवानसिंह—क्या बार-बार इस प्रकार का प्रश्न पूछे जाने से सरकार को यह महसूस नहीं होता कि इसकी कितनी आवश्यकता है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १८८

पिछले दो वर्षों में किशनगढ़ सब डिविजन में काश्तकारों के विरुद्ध वन विभाग द्वारा अभियोग.

श्री चाँदमल मेहता (डि. स. ८७)—क्या वन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे—

पिछले २ सालों में किशनगढ़ सब डिविज़न में ऐसे कितने काश्तकारों के खिलाफ फोरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा मुकद्दमे चालान किये गये हैं जिनके खिलाफ फोरेस्ट एरिया में काश्त करने की शिकायत है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—काश्त करने की शिकायत पर एक भी मुकद्दमा नहीं चलाया गया ।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्रीजी जो जवाब दे रहे हैं उसकी सच्चाई के बारे में उन्होंने इत्मिनान कर लिया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १८९

आबू क्षेत्र के विद्यार्थियों तथा अभ्यर्थियों को अराजस्थानी मानना

श्री मोहब्बतसिंह--Will the Chief Minister be pleased to state—

Whether the Rajasthan Government is treating Abu-area students and candidates as Non-Rajasthanes ?

श्री जयनारायण व्यास--(मुख्य मन्त्री) नहीं।

श्री अध्यक्ष—Next.

श्री हरिकृष्ण व्यास--It is an important question.

प्रश्न संख्या १६०

जोधपुर डिविजन में उद्योग तथा व्यवसाय विभाग के डिविजनल कार्यालय द्वारा खुलवायी गई नई उद्योगशालाएँ

श्री मोहब्बतसिंह--Will the Commerce & Industry Minister be pleased to state :

How many new industrial enterprises inspired by the Divisional Office of the Industry and Commerce Department have been started in Jodhpur Division ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)--The following industries were established in Jodhpur Division during the current year—

1.	Tent Factory	...	1.
2.	Bone Factory	...	1.
3.	Flour Mills	..	41.
4.	Aerated Water Factories	...	4.
5.	Textile Factory	...	1.
6.	Electric Dynemo	...	3.
7.	Saw Machines	...	6.
8.	Pump on Wells	...	6.
9.	Confectionery	...	3.
10.	Oil Kolhus etc	...	7.

श्री मोहब्बतसिंह— क्या सिरोही जिले में भी खोले गये हैं ?

श्री जयनारायण व्यास--यह प्रश्न जोधपुर का था। इसके बारे में सूचना माँगी गई होती तो बता सकता था।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट

प्रश्न संख्या १६१

सिरोही जिले के लिए स्थायी रूप से डी. एम. ओ.

श्री जवानसिंह (डि. नं. ६७)—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या सिरोही जिले के लिए कायमी तौर पर डी. एम. ओ. रखा जायगा ?

[श्री जवानसिंह]

(ख) अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(ग) क्या डी. एम. ओज़. की जगहें कायमी तौर पर मुकर्रर की गई हैं ? अगर नहीं, तो कब तक ये जगहें रक्खी जायेंगी ?

श्री रामकरण जोशी—नहीं जी ।

श्री जवानसिंह—उनका वहाँ रहना कुछ महिनों के लिए है या हमेशा के लिये है ?

श्री रामकरण जोशी—यह विचाराधीन है ।

श्री जवानसिंह—क्या यह सिरोही के लिये ही है या दूसरे जिलों के लिये भी है ?

श्री रामकरण जोशी—सिरोही, धौलपुर, डूंगरपुर आदि जगहों के लिये है ।

श्री जवानसिंह—क्या सरकार इस प्रश्न पर अपना निर्णय लेगी ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १६२

किशनगढ़ जिले में वन क्षेत्र के डिमार्केशन कार्य की समाप्ति

श्री चाँदमल मेहता (डि. न. ८७)—क्या वन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे—

(क) क्या किशनगढ़ सब डिविजन में फोरेस्ट एरिया डिमार्केशन हो चुका है ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या वह डिमार्केशन रेवेन्यु ऑफिसर्स के सहयोग से किया गया है और इस डिमार्केशन में कितने एकड़ काश्त की जमीन आ गई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या--(क) केवल तहसील किशनगढ़ में डूंगर छोटा माला व टांकड़ा का डिमार्केशन हो चुका है । बड़ा माला व मंडावरिया का डिमार्केशन जो गत वर्ष अधूरा रह गया था पूरा कराया जा रहा है ।

(ख) डिमार्केशन की सूचना समय पर ही एस. डी. ओ. साहब को दे दी गई थी । इसमें कोई भूमि काश्त की नहीं आई है ।

श्री चाँदमल मेहता—जो डिमार्केशन बाकी रह गया है वह कब तक हो जावेगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह शीघ्र ही हो जावेगा ।

एक सदस्य—यह कब से चल रहा है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १६३

राज्य के औद्योगिक संसाधन (रिसोर्सेज़) के आधार एकत्रित करना

श्री मोहब्बतसिंह—Will the Chief Minister (Industries) be pleased to state:—

(a) Whether the Government is contemplating to start a regular institute for collecting the date of Industrial Resources of the State ?

(b) Is there any Geological survey being conducted in this State ?

(c) What are the results of the earlier survey with regard to coal and petroleum in this State ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(a) The Government have already appointed a Committee to draw up a scheme for survey of industrial resources in Rajasthan. The starting of an institute for collecting data is not contemplated.

(b) & (c) (i) Yes, in certain selected areas.

(ii) Results of earlier survey in respect of coal indicate that an inferior variety, namely lignite occurs at Palana, Khari, Ganga Sarowar, Chhaneri, and Mudh in Bikaner Division and Undror in Jodhpur.

Regarding the petroleum, no survey has ever been conducted by the Government, though a private party, under a concession granted by the former Jaisalmer State conducted some investigation in North Jaisalmer. No technical report of the same is available.

श्री मोहब्बतसिंह—इस कमेटी में कौन-कौन सदस्य हैं और कब एपोइन्ट की गई।

श्री जयनारायण व्यास—The information is not readily available.

श्री अध्यक्ष—Next.

प्रश्न संख्या १६४

राजस्थान के बोर्डर पर पाकिस्तान की ओर से १९५३ में चोरी—डाके

श्री धर्मपाल पंवार (डि. नं. ३७)—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

Page No.30

[श्री धर्मपाल पंवार]

(क) राजस्थान के बोर्डर पर पाकिस्तान की ओर से १९५३ में चोरी-डाके आदि के कितने केस हुए और कितना पशुधन या नगदी माल इधर से ले जाया गया, कितना वापिस किया गया और कितना प्राप्त किया गया ?

(ख) क्या इन बढ़ती हुई वारदातों को रोकने के लिए बोर्डर पर बसने वाले राजस्थानियों को कोई हथियार दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार वहाँ पर हथियार देने का विचार रखती है ?

(ग) क्या यह सच है कि सरकार लोगों के अपने हथियार भी वापिस करा रही है ? क्या सरकार अपनी इस नीति में कोई रद्दोबदल करने को तैयार है ?

श्री जयनारायण व्यास—(क) राजस्थान की सीमा पर पाकिस्तानियों द्वारा सन् १९५३ में केस (आक्रमण) हुए वे इस प्रकार हैं—

डकैती	३८
लूट	१४
पशुधन की चोरी	१२६
अन्य	२५
	१९३

इनमें २३७६ पशुओं की चोरी हुई और नकदी और पशुओं की कीमत कुल मिला कर २,६६,८३६. ८. ० का पाकिस्तान ले जाया गया। कितना वापिस किया गया और कितना प्राप्त किया इसके आँकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) इसकी एक स्कीम सरकार के विचाराधीन है।

(ग) सरकार ने हथियार वापिस करने के लिये कोई आज्ञा नहीं दी।

कुँ. श्री जसवन्तसिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि राजस्थान की तरफ से भी कोई पाकिस्तान से चोरी करके धन या पशु वापिस उठा कर पाकिस्तान से लाये ?

श्री जयनारायण व्यास—ऐसी कोई सरकार की तरफ से आज्ञा नहीं जारी हुई।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—मैं यह पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कोई सूचना राजस्थान सरकार के पास प्राप्त हुई या नहीं ?

श्री जयनारायण व्यास—चोरी-डाके करना पाकिस्तान के लोगों का ही कोई आधिपत्य नहीं, इधर भी हो सकती है।

कुँ. श्री जसवन्तसिंह—ऐसी कोई शिकायत सरकार के पास आई या नहीं ?

श्री जयनारायण व्यास—ऐसी शिकायत आई। लेकिन यह सवाल दूसरी तरह का है इसलिए इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं रखता।

श्री भैरोंसिंह—क्या पाकिस्तान द्वारा आक्रमण और डकैतियाँ आदि जो हुई उसकी इत्तला सरकार ने भारत सरकार को भी दी ?

श्री जयनारायण व्यास—जो सूचना भारत सरकार को देनी आवश्यक होती है, दी जाती है।

श्री भैरोंसिंह—क्या यह आवश्यक नहीं था कि इसकी इत्तला भारत सरकार को दी जाती ?

श्री जयनारायण व्यास—मैंने कहा कि जो सूचना भारत सरकार को दी जानी आवश्यक होती है, दी जाती है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १६५

भीलवाड़ा में गाँधी-औषधालय के डाक्टरों तथा कम्पाउण्डरों के लिए क्वार्टर्स की व्यवस्था

श्री तेजमल वापना (डि. नं. १४६)—क्या चिकित्सा व स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा में नया गाँधी अस्पताल का उद्घाटन होने के बाद से अब तक डाक्टरों व कम्पाउन्डरों के लिए कोई क्वार्टर्स नहीं बने ?

(ख) यदि उस समय एक भी क्वार्टर नहीं बना हुआ था तो अब कितने क्वार्टर बने और उनमें कितने डाक्टर व कम्पाउन्डर रहते हैं ?

(ग) क्या डाक्टरों के लिए क्वार्टर्स शीघ्र बनाये जाने की योजना है ? यदि है, तो कब तक उसकी संभावना है और यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(क) कोई नहीं।

(ख) अभी तक कोई नया क्वार्टर नहीं बन सका।

(ग) डाक्टरों के लिये क्वार्टर बनाये जाने का प्रश्न विचाराधीन है। आवश्यक खर्चे के उपलब्ध होते ही बना दिये जावेंगे।

Page No.32

श्री तेजमल बापना—यह सवाल कब से सरकार के विचाराधीन है और कब तक रहेगा ?

श्री रामकरण जोशी—६ तारीख से वहाँ होस्पिटल खुला है और उसके बाद से ही यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री तेजमल बापना—क्या आपको यह मालूम है कि डाक्टर के वहाँ पर न रहने से उनके लिए दो-तीन घन्टे इन्तजार करने के कारण दो-तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई ?

श्री रामकरण जोशी—यह बिल्कुल गलत है। डाक्टर को, जो १॥ फर्लाङ्ग की दूरी पर ही रहता है, बुला लिया जा सकता है।

श्री जवानसिंह—क्या यह सही है कि संबन्धित मन्त्री सवालों के पूछे जाने के बाद सदन में पधारेंगे ?

श्री रामकरण जोशी—वे बीमार हैं।

श्री जवानसिंह—क्या यह भी उनकी एक बीमारी का कारण है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १६६

पिछले पाँच वर्षों में वन-महोत्सव पर व्यय

श्री चाँदमल मेहता (डि. नं. ८७)—क्या वन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगेः—

१. पिछले पाँच वर्षों में वन-महोत्सव पर कुल कितना खर्चा किया गया ?

२. उक्त सालों में कुल कितने पेड़ लगाये गये जिनमें से कितने मौजूद हैं ?

३. हरे वृक्ष इन वर्षों में कितने काटे गये ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मन्त्री)—इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा रही है प्राप्त होने पर बतला दिया जावेगा।

श्री चाँदमल मेहता—यह जानकारी कब तक प्राप्त हो जावेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—आपने प्रश्न ही ऐसा पूछा है जिसके लिये जानकारी प्राप्त करने में समय की जरूरत है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या १५ दिन का नोटिस पर्याप्त नहीं है ?

श्री भोगीलाल पंड्या--जी नहीं

(घंटी)

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १९७

गौ-वध बन्दी के लिए शासकीय कदम

श्री संग्रामसिंह--क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

सरकार गौ-वध बन्दी के लिए क्या कदम उठा रही है ?

श्री जयनारायण व्यास--राजस्थान सरकार ने बछड़े, गायें तथा बैलों की हत्या होने से बचाने के लिए Rajasthan Preservation of Certain Animals and Birds Act, 1950." द्वारा कदम उठाया है। यह एक्ट राजस्थान राजपत्र, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी(extraordinary) में दिनांक २८ अप्रेल, १९५० को छपा है। इसके अतिरिक्त जानवरों की नस्ल सुधारने तथा डाक्टरी सहायता देने के कार्यों में बराबर प्रयत्न किये जा रहे हैं। राजस्थान में भी एक जानवरों के सम्बन्ध का कॉलेज खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

श्री जवानसिंह--जोधपुर में सांडों की मुठभेड़ और घमासान लड़ाई बताई गई थी तो क्या यह अमानुषिकता का प्रतीक नहीं है ?

(हँसी)

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १९८

सोपरी बांध को पंचवर्षीय योजना में लिया जाना

श्री संग्रामसिंह--क्या विकास व योजना मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:--

(क) सोपरी बांध को पंचवर्षीय योजना में लिया गया है या नहीं ?

(ख) अगर हाँ, तो काम कब शुरू होगा ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)--१. सोपरी बाँध का कार्य पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया है।

२. भू-मापन और अनुसंधान कार्य किया जा रहा है।

श्री संग्रामसिंह--काम कब तक जारी होगा ?

श्री जयनारायण व्यास--जब भू-मापन आदि का कार्य समाप्त हो जायगा।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १६६

सन् १६५२ से अब तक राजस्थान में खोले गये एलोपैथिक तथा आयुर्वेदिक औषधालय

श्री तेजमल बापना—क्या चिकित्सा व स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जनवरी १६५२ से अब तक राजस्थान में कितने एलोपैथिक हॉस्पिटल और कितने आयुर्वेदिक औषधालय खोले गये हैं ?

(ख) वे किस किस जिले में कितने खोले गये हैं, कृपया एक लिस्ट बतलाई जाय ?

(ग) क्या भीलवाड़ा जिले में भी कोई नये होस्पिटल व औषधालय खोले हैं ? यदि हां, तो कितने और कब-कब ?

(घ) क्या भीलवाड़ा जिले से भी नये औषधालय व हॉस्पिटल खोलने की कोई मांग है ?

(ङ) यदि हां, तो क्या आइन्दा वर्ष में नये औषधालय आयुर्वेदिक व एलोपैथिक खोले जाने की कोई योजना है ? यदि है, तो क्या ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)— (क) जनवरी १६५२ से अब तक ११ एलोपैथिक एवं ३२ आयुर्वेदिक एवं ३ युनानी औषधालय खोले गये है।

(ख) आवश्यक सूची टेबिल पर रखदी गई है।

(ग) भीलवाड़ा जिले के करेड़ा ग्राम में एक एलोपैथिक हॉस्पिटल खोले जाने का प्रश्न सर-कार के विचाराधीन है। इस वर्ष एक नवीन आयुर्वेदिक औषधालय मोडका निम्बाहेडा में खोल दिया गया है।

(घ) जी हां।

(ङ) नये साल में कुछ आयुर्वेदिक व एलोपैथिक डिस्पेन्सरियां खोले जाने की सम्भावना है। अभी तक इस प्रकार की विस्तृत योजना सरकार के सामने नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री किस्तूरचंद—क्या रायला के बारे में भी कुछ सोचा गया है ?

श्री रामकरण जोशी—योजना बन कर अभी सरकार के सामने नहीं आई है।

श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु— क्या गंगानगर जिले के लिए भी कोई योजना है ?

श्री रामकरण जोशी—मैं बता चुका हूँ कि अभी योजना बन कर सरकार के सामने नहीं आई है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—औषधालयों के लिए जो रकम रखी गई थी तो क्या वे सब खर्च हो चुकी हैं ?

श्री रामकरण जोशी—इसके लिए अलग प्रश्न हो सकता है।

श्री शंभूसिंह—क्या कोशिथल, भीलवाड़ा डिस्ट्रीक्ट के लिए ऐसी कोई योजना नहीं है ?

श्री रामकरण जोशी—विचाराधीन हो सकती है।

श्री किस्तूरचंद—क्या रायला से भी करोड़ा को ज्यादा जरूरी माना गया है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

श्री किस्तूरचन्द—यह बहुत ही अहमियत का प्रश्न है।

(हँसी)

प्रश्न संख्या २००

राजस्थान सरकार द्वारा हिंसक पशु सुरक्षा अधिनियम बनाना

महाराज कुमार ब्रजेन्द्रपाल—क्या मन्त्री, वन विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

१. क्या सरकार जंगली जानवरों की रक्षा का कानून "प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनीमल एक्ट" बनाने का विचार कर रही है ?

२. क्या सरकार को मालूम है कि राजस्थान की इस सम्पत्ति को किस प्रकार से नष्ट किया जा रहा है ?

श्री भोगीलाल पंड्या— (१) हां, यह एक्ट राजस्थान में १९५२ से लागू है।

(२) नहीं।

महाराज कुमार ब्रजेन्द्रपाल—इस एक्ट के तहत इसको रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने क्या स्टेप्स (steps) लिये है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—आपने एक्ट के बारे में पूछा था, जिसका जवाब दिया गया था कि यह एक्ट बन चुका है और सन् १९५२ से लागू है। कितने केसेज़ हुए, इसके लिए आप अलग से प्रश्न पूछियेगा, तो मैं जानकारी करके आपको बतलाऊंगा।

कु. श्री जसवन्तसिंह—सवाल का दूसरा हिस्सा है। सरकार ने क्या कदम उठाया है, जानवरों को नष्ट होने से बचाने के लिए ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जब एक्ट बन चुका है तो जानवरों के नष्ट होन का प्रश्न ही नहीं उठता।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्या यह सही है कि ये नष्ट किये जा रहे हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—एक्ट लागू है तो नष्ट किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं रहता।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—क्या एक्ट बनते हैं तो उन सबकी पाबन्दी होती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—पाबन्दी कराने के लिए ही एक्ट बनाये जाते हैं।

श्री श्रीदास गोयल—क्या इस एक्ट के होते हुए भी बहुत से जंगलों में, सवाई माधोपुर के जंगलों में, जानवर मारे जाते हैं ? क्या एक्ट की अवज्ञा नहीं हो रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मालूम अभी तक नहीं हुआ था। मालूम होते ही सरकार सख्त कार्यवाही करेगी।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—असेम्बली में अगर सवाल नहीं पूछा जाय तो क्या अन्याय किया ही जाता रहता है और सरकार को मालूम भी नहीं होता।

श्री भोगीलाल पंड्या—ऐसी बात नहीं है कि सदस्यों के असेम्बली में बताने पर ही सरकार को मालूम हो और फिर सरकार कार्यवाही करे।

श्री शंभूसिंह—ऐसे मामलों में जब कि ये कॉग्नीजेबल केसेज हैं तो पुलिस क्या कार्यवाही करती है ?

श्री श्रीदास गोयल—The question does not arise because the Act itself is there.

श्री जवानसिंह—इस एक्ट के तहत में क्या किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या— इसके लिए नोटिस चाहिए या अलग से प्रश्न पूछिये।

श्री जवान सिंह—आपने कहा कि इस एक्ट के तहत में कार्यवाही होती है ? तो, मैं पूछना चाहता हूँ कि किस-किस व्यक्ति को इसके अन्तर्गत सजा दी गई ?

श्री भोगीलाल पंडया—इसके लिए नोटिस चाहिए। सूचना आने पर टेबल पर रख दी जावेगी। यदि आप चाहेंगे तो आपको बता दिया जावेगा।

श्री जवानसिंह—क्या कोई प्रयत्न किया गया है ?

Page No.37

श्री भोगीलाल पंड्या—सोचा जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष— नेक्स्ट ।

(हँसी)

प्रश्न संख्या २०१

देवगढ़ भीम तहसील में डकैतियों व डाकुओं की गिरफ्तारियें

श्री संग्राम सिंह—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

देवगढ़–भीम तहसील में इस साल कुल कितनी डकैतियें हुई और कितने डाकू गिरफ्तार किये गये ?

श्री जयनारायण व्यास–(मुख्य मन्त्री) देवगढ़ तहसील भीम में सन् १९५३ में तीन डकैतियाँ हुई हैं, जिनमें से दो भीम में और एक देवगढ़ में । इन तीनों डकैतियों में से अब तक केवल एक का पता चला है और उसमें दो अपराधी भी गिरफ्तार किये गये हैं । इन अभियोगों के सम्बन्ध में कोई भी निरपराधी को अनुसंधान के समय नहीं पीटा गया ?

श्री संग्रामसिंह—दोनों डकैतियों से माल कितना गया ?

श्री जयनारायण व्यास– १,१९० रु. ९ आने का माल लूटा गया था जिसमें से ८२३ रु. ३ आने का वापिस आ गया है ।

श्री संग्रामसिंह—तारीख २८ फरवरी की डकैती में कितना माल लूटा गया ?

श्री जयनारायण व्यास—तीनों डकैतियों के माल की कुल रकम की लिस्ट मेरे पास है । अगर आपका इस सम्बन्ध में कोई नोटिस हो तो मैं आपको बाद में बता सकता हूँ कि २० तारीख की डकैती में कितना माल गया ?

श्री संग्रामसिंह— २८ फरवरी की डकैती का मैंने जिक्र किया था ?

श्री जयनारायण व्यास—आप अलग प्रश्न पूछियेगा, मैं आपको बता दूँगा ?

श्री अध्यक्ष— नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या २०२

'सी' स्कीम जयपुर में सरकार द्वारा मकानों का अधिग्रहण (रिक्वीजिशन)

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—क्या मैं प्रश्न संख्या २०२ पूछूँ ?

श्री अध्यक्ष—Yes.

श्री जसवन्तसिंह—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) जयपुर में 'सी' स्कीम में कितने मकानात Rejuisition (रिक्वीज़ीशन) किये गये हैं?

(ख) क्या इन सब मकानात में से सब का किराया मालिकान के साथ एग्रीमेंट के जरिये से तय कर लिया गया है?

(ग) अगर मकानात का किराया अभी तक तय नहीं हुआ है तो कब तक तय हो जावेगा?

(घ) क्या कोई ऐसे भी बंगले हैं जो (Requisition) किये हुए हैं और अब भी खाली पड़े हुए हैं या बीच में खाली पड़े रहे हैं?

(ङ) क्या गवर्नमेंट के नोटिस में ऐसे उदाहरण भी हैं जो मालिक मकान अपना मकान खाली नहीं करना चाहते वे छोड़े जा रहे हैं और जो मालिक मकान खाली करना चाहते हैं वे खाली नहीं कराए जा रहे हों?

श्री जयनारायण व्यास—(मुख्यमन्त्री)(क) 'सी' स्कीम, जयपुर में ५० मकान रिक्वीज़ीशन द्वारा प्राप्त किये गये हैं।

(ख) सरकार ने इन मकानों का अन्तिम किराया तय नहीं किया है?

(ग) एक माह के अन्दर तय हो जाने की उम्मीद है।

(घ) प्राप्त किये हुए बंगलों में से कोई खाली नहीं हैं, पर बीच में खाली उस समय तक रहते हैं जब तक कि वे बंगले दूसरे राज्य कर्मचारी के नाम नियत नहीं किये जाते।

(ङ) सरकार की यह नीति है कि प्राप्त किये हुए मकान धीरे-धीरे वापस मकान मालिकों को लौटा दे। ऐसे मामलों में सरकार की जरूरत का ज्यादा खयाल रखा जाता है।

कुंवर श्री जसवन्त सिंह—क्या गाँधीनगर में भी कई मकानात खाली पड़े हुए हैं?

श्री जयनारायण व्यास—इसके लिए मैं अलग नोटिस चाहूँगा।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—क्या यह सही है कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो रिक्वीज़िशन्ड मकानों में रह रहे हैं जब कि गाँधीनगर में खाली मकान पड़े हुए हैं? क्या आप ऐसे मकानों को, जो रिक्वीज़िशन्ड किये हुए हैं रिक्वीजिशन नहीं करना चाहते?

श्री जयनारायण व्यास—हो सकता है कि गाँधीनगर में जो मकान खाली पड़े हुए हैं वे उन अधिकारियों के लिए उपयुक्त न हों जो कि रिक्वीज़िशन्ड हाउसेज़ में रह रहे हैं।

Page No.39

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या रिक्वीजिशन्ड बिल्डिंग्ज़ में एडीशन्स और आल्ट्रेशन्स नहीं करवाये गये ?

जयनारायण व्यास—यह अलग प्रश्न है जिसका अलग प्रश्न किये जाने पर उत्तर दिया जा सकता है ।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—क्या यह सही है कि श्री कुशलसिंह, एस. पी. जिनका मकान दूसरे अधिकारी के लिए रिक्वीज़िशन्ड है, उन अधिकारी का बीकानेर तबादला हुए करीब छः माह हो गये हैं फिर भी उस मकान में उनकी फैमिली रह रही है और जिसके लिए सरकार किराया देती है ?

श्री जयनारायण व्यास—यह अलग प्रश्न है जिसके लिए मैं जाँच करके उत्तर दूँगा ।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—अगर यह सही है तो सरकार क्या कदम उठायेगी ?

श्री जयनारायण व्यास—हाइपोथेटिकल क्वेश्चन्स का जवाब नहीं दिया जाता ।

श्री श्रीदास गोयल—क्या एक ऐसे शख्स का मकान जयपुर में सरकार ने रिक्वीज़िशन कर रखा है जिसके बाल-बच्चे परेशान हैं ? क्या इसे डिरिक्वीजिशन करने का सरकार विचार रखती है ?

श्री जयनारायण व्यास—अगर ऐसा कोई केस है और सरकार के ध्यान में लाया जावेगा तो सरकार विचार करेगी।

श्री जवानसिंह—इन मकानात को डिरिक्वीज़िशन करने के लिए सरकार के पास कितनी दरख्वास्तें आई हैं ।

श्रीजयनारायण व्यास—यह अलग प्रश्न है इसके लिए नोटिस चाहिए ।

श्री जवानसिंह—कोई दरख्वास्त आई है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर !

प्रश्न संख्या २०३

भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा, रायपुर तहसीलों में आयुर्वेदिक औषधालय

श्री शम्भूसिंह—क्या चिकित्सा व स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा, रायपुर तहसीलों में कितने आयुर्वेदिक औषधालय हैं ?

(ख) क्या तहसील रेलमगरा से अथवा उदयपुर डिविजन को किन्हीं अन्य तहसीलों से आयुर्वेदिक औषधालय बदले जा रहे हैं ?

[श्री शम्भूसिंह]

(ग) क्या सरकार तहसील सहाड़ा के कौशीथल अथवा देवरिया या रायपुर, तहसील रायपुर में आयुर्वेदिक औषधालय शीघ्रातिशीघ्र खोलेगी ?

(घ) क्या सरकार उपर्युक्त प्रस्तावित औषधालयों के अतिरिक्त इन तहसीलों के वास्ते एक गश्ती वैद्य और दो गश्ती कम्पाउन्डर नियुक्त कर जनता की चिकित्सा का शीघ्र प्रबन्ध करेगी ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री) (क) केवल सहाड़ा तहसील के पोटला ग्राम में एक औषधालय है।

(ख) तहसील रेलमगरा में कोई आयुर्वेदिक औषधालय नहीं बदले जा रहे हैं। केवल उदयपुर डिविजन की भीलवाड़ा तहसील के ग्राम पुर से औषधालय रायला रोड में बदला गया है।

(ग) आवेदन किये जाने पर आवश्यक खर्च की उपलब्धि एवं स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विचार करेगी।

(घ) आवश्यक धन की उपलब्धि को ध्यान में रखकर चल-चिकित्सालयों को खोलने की योजना पर विचार करते समय सरकार इन तहसीलों का भी ध्यान रखेगी।

श्री शम्भूसिंह—औषधालयों में जो कम्पाउन्डर या वैद्य रहते हैं, वे यदि दूसरे गाँव या कहीं बाहर चिकित्सालय के लिये जाते हैं तो क्या फीस लेते हैं ?

श्री रामकरण जोशी—यह अलग से सवाल है।

श्री किस्तूरचन्द—क्या माननीय मन्त्री बतायेंगे कि कई ऐसे गाँव हैं, जहाँ दो-दो औषधालय एक साथ चल रहे हैं; जैसे यूनानी और आयुर्वेदिक ?

श्री रामकरण जोशी—जहाँ आवश्यकता होगी, वहाँ दो भी होंगे, बड़ा गाँव होगा।

श्री किस्तूरचन्द—क्या माँडला बड़ा गाँव है ?

श्री शम्भूसिंह—क्या इस वर्ष कौशीथल और देवरिया में सरकार औषधालय खोलने का विचार कर रही है ?

श्री रामकरण जोशी—नये औषधालय जहाँ खुलने वाले हैं उसकी सूची देख लीजिये।

श्री किस्तूरचंद— क्या जहाँ-जहाँ की माँग होगी उस जगह सरकार औषधालय खोलने को तैयार है ?

श्री रामकरण जोशी—मांग के साथ-साथ आवश्यकता भी देखी जाती है।

श्री किस्तूरचंद—क्या हमारे यहां की माँग आपके पास नहीं आई है ?

श्री रामकरण जोशी—माँगें तो सभी जगह की आई हुई हैं, उन पर विचार हो रहा है।

श्री किस्तूरचंद—क्या दो साल में भी अभी तक विचार नहीं हो पाया ?

श्री रामकरण जोशी—माँग और आवश्यकता दोनों चीजें एक साथ मिलती हैं, कभी उस पर काम किया जा सकता है।

प्रश्न संख्या २०४

ऐसे चरागाह जिनमें चराई का कोई कर नहीं।

महाराज कुमार ब्रजेन्द्रपाल—क्या मन्त्री, वन विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

१. राजस्थान में ऐसे कितने चरागाह हैं जिनमें चराई का टैक्स नहीं लिया जाता है ?

२. यदि लिया जाता है, तो किस रेट से ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मन्त्री)—इसकी जानकारी प्राप्त की जा रही है। इसका उत्तर बाद में दिया जायगा।

महाराज कुमार श्री ब्रजेन्द्रपाल-क्या करोली सब डिवीजन में मनमाना टेक्स ले रही है

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने अर्ज किया कि इसकी जानकारी प्राप्त की जा रही है।

श्री वेदपाल त्यागी—कब तक जानकारी प्राप्त हो जायगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सारे राजस्थान की जानकारी मांगी गई है, इसलिए देरी हो सकती है। जानकारी प्राप्त होने पर उत्तर दे दिया जायगा।

प्रश्न संख्या २०५

उदयपुर के १४ सरकारी कार्यालयों की प्रताप नगर में स्थापना ?

श्री जगतसिंह झाला—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(क) उदयपुर के १४ सरकारी कार्यालयों को प्रताप नगर में स्थापित करने में सरकार का क्या अभिप्राय था ?

(ख) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि इस सम्बन्ध में जनता की तकलीफें कितनी बढ़ गई हैं ?

Page No.42

[श्री जगतसिंह झाला]

(ग) क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि सरकारी कर्मचारियों का यात्रा-व्यय बढ़ जाने से वे परेशान हैं और शहर से दूर होने के कारण उनके काम की भी मात्रा कम हो गई है ?

(घ) क्या सरकार प्रताप नगर में स्थापित सरकारी कार्यालयों को वापिस उदयपुर शहर में ले जाने का विचार कर रही है ?

(ङ) यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो सरकार जनता की सुविधा का विशेष प्रबन्ध करने तथा कर्मचारियों को सहायता देने का विचार रखती है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)--(क) प्रतापनगर में जो बस्ती बसाई गई है उस बस्ती में मकानात खाली पड़े हैं जिनका उपयोग करने की दृष्टि से सरकारी कार्यालय प्रताप नगर में स्थापित किये गये हैं ?

(ख) ऐसा करने से जनता की तकलीफें बढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि प्रताप नगर में बसें चलती रहती हैं इसलिये शहरों के विस्तार होने की हालत में यह साधारण असुविधा होना अनिवार्य है।

(ग) सरकारी कार्यालय दूर होने के कारण ज्यादा मात्रा में काम नहीं हो सकता, यह बात नहीं क्योंकि कार्यालय का समय तो वही है जो पहले से था।

(घ) कार्यालयों को पुनः उदयपुर शहर में ले जाने का सरकार का कोई विचार नहीं।

(ङ) कमिश्नर उदयपुर को यह हिदायत कर दी गई है कि वह प्रताप नगर तक और बसें चलाने की व्यवस्था करे। कर्मचारियों को शहर से आने में कष्ट न हो इसलिए सरकार ने पहले कर्मचारियों को साइकिल के लिए कर्जा देने की व्यवस्था कर दी है।

श्री शम्भूसिंह—क्या सरकार अहलकारों को प्रतापनगर में क्वार्टर देने को तैयार है।

श्री जयनारायण व्यास– अगर वहां क्वार्टर होंगे तो मांग होने पर अवश्य दिए जा सकते हैं ?

श्री राजहिम्मतसिंह 'अटरू'—शहर से प्रताप नगर कितना दूर है ?

श्री जयनारायण व्यास—करीब तीन या चार मील।

प्रश्न संख्या २०६

ढूसक गाँव में हुई डकैती में क्षति इत्यादि

श्री चाँदमल मेहता—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:–

[श्री चाँदमल मेहता]

(क) दूसक गाँव की डकैती में कितने रुपये का माल डाकू लूट कर ले गये ?

(ख) क्या यह सही है कि उक्त डाका डालने में कुछ ऐसे व्यक्ति भी शामिल थे जिन्होंने किशनगढ़ उप-चुनाव के वक्त स्वतन्त्र उम्मीदवार को वोट नहीं देने की हालत में डाका डालने की धमकी दी थी ?

(ग) उक्त ग्राम में डाका डालने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी थी और क्या वे बिना सवारी के डाका डालने आये थे ?

(घ) क्या उक्त डकैती में से कोई माल बरामद हुआ है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(क) दूसक ग्राम की डकैती में २२,५२२)रु. का माल डाकू लूट कर ले गये।

(ख) नहीं, यह सत्य नहीं है।

(ग) डाका डालने वाले व्यक्तियों की संख्या ६ थी और वे पैदल आये थे ? उनमें से ६ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं जिनमें से २ को पाँच साल की सजा, ३ को रिहा व १ (गवाह सुलतानी) को बरी किया गया। शेष ३ के विरुद्ध दण्ड विधि संग्रह की धारा ८७-८८ के अनुसार कार्यवाही की गई।

(घ) हाँ। १३३०) रु. का माल बरामद हुआ है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या गाँव वालों का यह कहना सही है कि उन डाकुओं में चन्द व्यक्ति वे भी शामिल थे जो कांग्रेस के विरोधी उम्मीदवार का प्रचार करने वहाँ आये थे और उन्होंने वहाँ डाका डालने का अल्टीमेटम दिया था ?

श्री जयनारायण व्यास—गाँव वालों का यह कहना जरूर था कि जो डाका डालने आये थे उनमें से चन्द आदमी जो कांग्रेस के विरोधी उम्मीदवार थे उनके पक्ष में काम करते थे। किंतु जब मुकदमा चला तो उसमें ऐसी कोई बात मालूम नहीं हुई।

चाँदमल मेहता—क्या गाँव वालों का यह भी कहना था कि वे उन डाकुओं को अच्छी पहचान सकते हैं जो डाका डालने आये थे और कांग्रेस के विरोधी उम्मीदवार का प्रचार करने आये थे।

श्री जयनारायण व्यास—डाकू पहचाने गये, तभी पकड़े गये और तीन को सजा हुई।

श्री भैरू सिंह (दाँता रामगढ़)—क्या सरकार को पूर्णतया तसल्ली होगई कि जो स्वतन्त्र उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने आये थे, उनमें से किसी ने धमकी नहीं दी ?

श्री जयनारायण व्यास—यह मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य यदि इसकी जाँच करें तो अच्छा होगा।

श्री कानसिंह—क्या इससे आयन्दा डाकू कांग्रेस के पक्ष में हो जायेंगे ?

अभिभाषण पर दिये गये धन्यवाद पर श्रीमन् राजप्रमुख का सन्देश

श्री अध्यक्ष–I have to inform the House that I have received the following message from His Highness the Rajpramukh:—

"I have received with great satisfaction the expression of thanks by the Members of Assembly for the Address I delivered to them on the 5th March, 1954."

राजस्थान राज्य सुरक्षा विधेयक की प्रवर समिति में रिक्त स्थान

I have also to inform the House that a vacancy has occurred in the Select Committee on the Rajasthan Security of the State Bill, 1952, due to resignation of Maharawal Shri Sangram Singh from his seat in the Assembly with effect from 1st March, 1954.

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व मैं सदन को यह भी सूचित करता हूं कि श्री किशनसिंह, वि. सं० २२ ने दिनांक ५ मार्च, १९५४ से २१ मार्च, १९५४ तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है। (स्वीकृति)

आज्ञा प्रदान की गई

कु. श्री जसवन्त सिंह—With your permission, Sir...

(बाधा)

श्री अध्यक्ष—I have to inform the House that under sub-rule (1) of rule 8 of the Rules of Procedure and conduct of Business, I nominate:—

(1) Shri Dwarka Das Purohit,

(2) Shri Gulab Chand Kasliwal,

(3) Shri Himmat Singh, and

(4) Dr. Shri Mangal Singh,

on the panel of Chairman.

[श्री अध्यक्ष]

याचिका समिति के सदस्यों का मनोनयन

I have to announce that under sub-rule (1) of rule 195 of the Rules of Procedure and conduct of Business in the Rajasthan Legislative Assembly, the following members, besides the Deputy Speaker have been nominated to constitute the Committee on Petitions:--

(1) Shah Shri Alimuddin,
(2) Shri Jawan Singh,
(3) Shri Dwarka Das Purohit,
(4) Shri Narayan Chaturvedi.

विशेषाधिकार-समिति के सदस्यों का मनोनयन

I have to inform the members that in pursuance of sub-rule (1) of rule 53 of the Rules of Procedure and Conduct Business in the Rajasthan Legislative Assembly, I appoint the following members to be the Members of the Committee of Privileges:—

(1) Shri Ramkishore Vyas.
(2) Dr. Shri Mangal Singh.
(4 Shri Bhawani Sahai Sharma.
(3) Shri Srigopal Bhargava.
(5) Shri Apji Raghuraj Singh.
(6) Shri Devi Singh.
(7) Shri Ram Niwas Mirdha.
(8) Shri Hari Dutta, and
(9) Shri Hari Deo Joshi.

Shri Ram Kishore Vyas shall be the Chairman of the Committee.

सदन-समितिके सदस्यों का मनोनयन

I have to inform the House that under rule 190 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajasthan Legislative Assembly, I nominate the following members on the House Committee to consider and advice upon matters connected with the comfort and convenience of the members of the Assembly:...

(1) Deputy Speaker, Chairman.
(2) Dr. Shri Mangal Singh.
(3) Capt. Shri Sajjan Singh.

[श्री अध्यक्ष]

(4) Shri Ghasi Ram Yadav.

(5 Shri Hari Shanker Siddhant Shastri.

नियम-समिति के सदस्यों का मनोनयन

A Committee consisting of the following Members is constituted under Rule 153 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajasthan Assembly, to consider and advise on the modifications and adaptations of the existing rules of procedure applicable to the Rajasthan Legislative Assembly with a view to action being taken under Article 208 (2) read with Article 238 (ii) of the Constitution of India:...

(1) Shri Lal Singh, Deputy Speaker.

(2) Shah Shri Alimuddin.

(3) Shri Ramjilal Yadav.

(4) Shri Jaswant Singh.

(5) Shri Ram Chandra Chowdhry.

(6) Shri Tejmal Bapna.

(7) Shri Bishambher Nath Joshi and.

(8) Shri Bheron Singh of Khejarla.

कटौती प्रस्तावों पर वाद-विवाद हेतु समय में वृद्धि ।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—About the programme I would like to say something. The position which I want to get clear from the Leader of the House, Sir, if he is attentive, is that in the programme for the Budget Session we notice that three days have been allotted for cut motions. We feel that this three days' period is too short. We have exprienoes of the last two years that we cannot adequately express our views within such a short period with the result that the officers who come here and want to take advantage of the remarks of the members of this House are deprived of this, and other members are left out from taking part in the discussions.

श्री अध्यक्ष—Can you not discuss this with me in the Chamber ? I will call the Leader of the House.

Page No.47

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—If that can be done, I will be most grateful. I was afraid some technical objections may be raised. So I thought I should raise the question in the House.

श्री अध्यक्ष—These things can better be settled in my chamber.

श्री हरिकृष्ण व्यास के दण्ड की सूचना देने में विलम्ब सम्बन्धी विशेषाधिकार प्रस्ताव।

I have received a motion of privilege tabled by Shri Vedpal Tyagi to the effect that the House may now discuss the breach of privilege :—

"Under Rule 49, I hereby give notice that I wish to raise the following question of privilege on 12-3-54 at the commencement of the sitting of the Assembly:—

'That the House now discuss the breach of privilege of this House committed by the City Magistrate, Bikaner, in not having immediately conveyed the information of the conviction and sentence on 6-2-54 of Shri H. K. Vyas, a member of the Rajasthan Legislative Assembly, to the Speaker of the Rajasthan Legislative Assembly'

Before going through this, I want to apprise the House of certain afcts. On the 5th of February, 1954 I received a letter from the Magistrate, First Class, Bikaner, which says:—

"I have the honour to inform you that I have found it my duty in the exercise of my powers under section 64 of the Code of Criminal Procedure to direct that Shri Hari Kishna Vyas, Member of the House of the Legislature, be arrested for defying an order served on him under Section 144 Cr. P. C.

Shri Hari Kishen Vyas, M. L. A., was accordingly arrested at 11-30 A. m. on the 5th February, 1954 and is at present lodged in the District Jail, Bikaner."

Thereafter I received another intimation from the District Magistrate, Bikaner, on the 22nd February, which tells:—

"I have the honour to inform you that Shri Hari Kishen Vyas, Member of the Legislature, who was convicted on the 6th February, 1954, and imprisoned for one month for defiance of order passed under Section 144 Cr. P. C. was released on the 16th February, 1954, his unserved sentence having been remitted under section 401 (1) Cr. P. C. by the Government on the 15 th February, 1954."

[श्री अध्यक्ष]

Then when the matter reached me I directed my office to take action in the matter, because we did not receive any intimation of his conviction. The following letter from the Legislative Assembly Secretary to the Home Secretary was issued :

'A letter No. 154/C, dated the 5th February, 1954 addressed to the Speaker was received here from the First Class Magistrate, Bikaner, stating that Shri H. K. Vyas, a Member of the House of the Legislature, was arrested on 5th February, 1954 for defying an order served on him under Section 144 Cr. P. C. and lodged in the District Jail, Bikaner. Thereafter Shri Vyas was convicted and sentenced also, but no official intimation has been received from the Magistrate concerned. This omission on the part of the Magistrate affects the rights and privileges of the House.

In this connection I may, while drawing your attention to Ministry of Home Affairs letttr No. 91/51-Police I, dated the 22nd September, 1951. to all State Governments, state for your information and such action as may be deemed necessary, that when a Member of the Assembly is arrested on a criminal charge or for a criminal offence or is sentenced to imprisonment by a Court or is detained under an executive order, the committing judge, magistrate or executive authority, as the case may be, should immediately intimate such fact to the Speaker indicating the reasons for the arrest, dentention or conviction, as the case may be, as also the place of detention or imprisonment of the Member in the appropriate form set out for the purpose.

I am therefore directed to request you kindly to take necessary action in the matter so as to prevent such oceurrences in future. A strong warning to the officer concerned may perhaps be given in the present case."

Then in response to this we have received a letter from the Home Secretary, dated the 8th March. 1954;—"I am in receipt of your D. O. letter No. 4463/LA/54, dated the 6th March, 1954, and am sorry to note the omission on the part of the Magistrate which affects the rights and privileges of the House. I have to assure you that there can be no question of any desire on the part of anybody to affect the rights and privileges of the House. The Government is anxious to see that the rights and privileges of the House are zealously guarded. I am taking up the matter with the Magistrate and will take appropriate action in the matter."

This letter is dated the 8th March and the letter addressed to the Home Secretary is dated the 6th March, and intimation which I received from the District Magistrate is dated the 22nd February.

Page No.49

[श्री अध्यक्ष]

Now this is a motion tabled by Shri Tyagi. I have already said that if the House wants to take the matter further, I have no objection. I do not rule it out of order. It is in order.

(विराम)

Now if Mr. Tyagi wants to press the motion, I will request him to stand, according to Rule 51. The Member shall rise in his place and will ask for leave to raise the question of privilege and make a short statement relating thereto.

श्री वेदपाल त्यागी—अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इन पत्रों के आपके द्वारा पढ़ने से मालूम हुआ है और यह तो सब अनुभव करते हैं इस हाउस के प्रिविलेज का, यह सूचना नहीं देने के कारण ब्रीच हुआ है; लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की शुरुआत है इसलिए हमें इस बात के लिए सदैव बहुत जेलसली (zealously) अपने प्रिविलेजेज़ को गार्ड करने के लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि एक्जीक्युटिव उस पर कुठाराघात नहीं कर सके। यह भी ठीक है कि आपकी आज्ञानुसार संभवतः इन्स्ट्रक्शन्स भी जारी हो गई हों, लेकिन जिस मजिस्ट्रेट ने इस तरह का ब्रीच किया है उसको सजा देने का कोई क्वेश्चन उठ सकता है तो प्रिविलेजेज़ कमेटी ही डिसीज़न दे सकती है। इसलिए मैं प्रेस करूंगा कि मेरे इस मोशन को प्रिविलेज कमेटी के सुपुर्द किया जाय।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—Is it necessary to support it or not necessary ?

श्री अध्यक्ष—If the Government Benches or any Member of the House, according to sub-rule (2) of rule 51, objects to the leave being granted, the Speaker shall request those Members who are in favour of the leave being granted,..... I would like the Members who want to support it should say.

श्री हरिकृष्ण व्यास—No, Sir. The point is, "if any objection is raised." No body has raised any objection.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—The question is for standing of 15 members. We can supply. There is no difficulty.

श्री अध्यक्ष—What I wanted to tell is that the Magistrate has erred in not supplying the intimation of his conviction. Subsequently, the District Magistrate wrote when another letter and action was taken by this office. So if the action that has been taken by this office, if considered by the Members to be sufficient, then it is all right.

श्री वेदपाल त्यागी—My submission is......

श्री अध्यक्ष—You want to refer it to the Privilege Committee ?

श्री वेदपाल त्यागी—It is the Privilege Commitee that can take action, that can take a decision, and nobody else.

श्री अध्यक्ष—Before the motion passes from this House to the Privilege Committee, it is necessary that certain formalities according to the Rules of Procedure be observed.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—The point is this. It has been established that a breach has been committed. Then, this question has assumed a very serious importance. In this respect this thing is first of its kind and we have to set an example to the services who go to the extent of curtailing the privileges of the members of this Hon'ble House. Therefore, the Privilege Committee should have an opportunity to go into this question and decide what other necessary action is to be taken. We are anxious to safeguard the position of the members of this House.

श्री अध्यक्ष—That is already there. No statement.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—The position is quite clear. The Privilege Committee should take up the question.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—On a point of order, Sir....

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—यह क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज उठाया जा सकता है, नियमों के अनुसार प्रश्न के बाद में। जैसा कि पत्र-व्यवहार से मालूम हुआ है कि मजिस्ट्रेट ने एरेस्ट के बारे में सूचना दी थी और छोड़े जाने के बारे में सूचना दी थी। यह बात सही है कि मजिस्ट्रेट ने कन्विक्शन के बारे में सूचना नहीं दी और साफ जाहिर है कि उसमें उसकी नियत का कोई सवाल पैदा नहीं होता। अगर उसकी नियत किसी बात को छिपाने की होती, तो अरेस्ट के बारे में वह सूचना नहीं देता। फिर भी यह क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज उठाया गया है। यदि कोई ऐसा नियम नहीं है, फिर भी शिष्टाचार के नाते इसकी सूचना प्रस्तावक महोदय मुझे दे देते कुछ समय पूर्व तो मैं इस सम्बन्ध में और विशेष जानकारी प्राप्त कर सकता था; क्योंकि यह तो साफ जाहिर है कि इस प्रश्न को उठाने में सिर्फ एक टेक्निकल सवाल है, न कि नियत का सवाल है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज जो है उसे प्रस्तावक महोदय स्वयं विथड्रॉ कर लें।

जहाँ तक मजिस्ट्रेट के सूचना देने का सम्बन्ध है अरेस्ट, कन्विक्शन और रिलीज़ इन तीनों स्टेजेज़ में सूचना देने के बारे में सब मजिस्ट्रेट्स को और सम्बन्धित अधिकारियों को इत्तला कर दी जायगी; अगर अब तक नहीं की होगी। तो यही बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ।

Page No.51

कुं० श्री जसवन्तसिंह—यहाँ नीयत और बेनियत का सवाल नहीं उटता है। टेक्नीकल ओमीशन (technical ommission) है। चाहे जानबूझकर हो या चाहे गलती से हो। This is a case of its kind और हमें हेल्दी कन्वेन्शन्स एस्टेब्लिश (healthy conventions establish) करना है; जैसा कि इस हाउस में श्रीमन् राजप्रमुख और माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यह कहा है कि हमें हेल्दी कन्वेन्शन एस्टेब्लिश करना चाहिए और हेल्दी कन्वेन्शन एस्टेब्लिश करने के नाते यह बिल्कुल आवश्यक है कि यह चीज़ प्रिविलेज कमेटी में जानी चाहिए।

श्री जयनारायण व्यास—मैंने जो कहा उससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहता हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मुझे कुछ समय दीजिये। May I have a submission?

श्री अध्यक्ष—You cannot be given time.

डा० श्री मंगलसिंह—इस सम्बन्ध में यह मालूम हुआ है कि डि० मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तार होते ही इत्तिला दी और उनको छोड़ दिया गया उसकी भी इत्तिला दी। इससे यह मालूम हुआ है कि जो कन्विक्शन की बात छुपाई गई है वह बहुत......

श्री अध्यक्ष—No, no, perhaps you were not attentive.

(हँसी)

"I have the honour to inform you that Shri Hari Kishen Vyas, Member of the Legislature, who was convicted on the 6 th February, 1954 and imprisoned for one month for defiance of order passed under section 144 Cr. P. C. was released on the 16 th February 1954......"

डा० श्री मंगलसिंह—यह इन्फारमेशन रिलीज़ (release) होने के वक्त दी गई, कन्विक्शन होने के वक्त नहीं दी गई और कन्विक्शन के वक्त यह इन्फॉर्मेशन देना बड़ा आवश्यक था। यह प्रिविलेज का बड़ा आवश्यक सवाल है; इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। (हियर-हियर)

श्री अध्यक्ष—There is nothing more to hear now.

(श्री हरिकृष्ण व्यास बोलने को खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष—No Member of the House should stand when the Speaker is on his legs, and it is a matter relating to you I think you must have some hesitation in speaking.

[श्री अध्यक्ष]

(श्री हरिकृष्ण व्यास पुनः बोलने को खड़े होते हैं)

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !! This is my friendly advice to you to keep aloof.

श्री हरिकृष्ण व्यास—If I am permitted, you would have the information.

श्री अध्यक्ष—I purposely did not want to disclose the talks that you had with me in my Chamber.

श्री हरिकृष्ण व्यास--I do not want to disclose them, but I wanted to disclose something else.

श्री अध्यक्ष--Now, I want to know, those Members who are in favour of the leave being granted should rise in their places.

श्री हरिकृष्ण व्यास--Nobody has objected, so the leave is granted.

(विरोधी दल के सदस्य खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष--The privilege motion has the leave of the House. The Leader will move according to Rule 152.

श्री जयनारायण व्यास—Sir, I beg to move that as the leave has been granted to under Rule 15, to refer the motion to privilege Committee the motion of privilege be therefore referred to the Committee of privileges.

श्री अध्यक्ष--Motion moved. I think it has the leave of the House.

(स्वीकृत)

Now, we come to the business of the day.

अनुपूरक माँगों पर मत-दान

(क) माँग संख्या ५४-सामान्य प्रशासन, राज्य के विभागाध्यक्ष मन्त्री-मण्डल तथा मन्त्री-गण

(विराम)

Page No.53

श्री अध्यक्ष—Now, Demand No. 54 be taken as moved.

(विराम)

Cut motion by Shri H. K. Vyas.

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, जो माँग प्रस्तुत है, उस पर मैंने कल जो कट मोशन पेश किया था, मैं यह मान कर चलता हूँ कि वह मूव हो चुका है।

जैसा कि इस माँग के सम्बन्ध में जो जानकारी माननीय सदस्यों को सक्युलेट की गई है उससे प्रतीत होता है कि पिछले बजट में साढ़े चार लाख रुपयों का जो मन्त्री महोदयों के लिये प्रोविजन दिया गया था वह नाकाफी साबित हुआ और इसलिये यह माँग प्रस्तुत की जा रही है, क्योंकि अंदाज ऐसा किया जाता है कि यह खर्च ५ लाख ६३ हजार के करीब हो जायगा। अब हमें सोचना यह पड़ेगा कि क्या यह माँग किसी भी अंश तक वाजिब ठहराई जा सकती है या नहीं? माननीय अध्यक्ष, पिछले वर्ष कई महिनों तक तो राजस्थान में केवल ७ मन्त्री रहे हैं। कुछ समय के लिए ८ हुए, फिर ६ हुए और अब भी मन्त्री और उप-मन्त्री सब मिला कर तादाद में १० हैं। यदि एवरेज में ६ मन्त्री भी गिने जांय तो साल में ५ लाख ६३ हजार रुपये यानी महीने में करीब ४७ हजार रुपये एवरेज आती है और मन्त्रियों की तादाद ६ थी तो खर्चा फी आदमी फी मन्त्री ५,२०० रु० आते हैं। यह तो पहला आँकड़ा है, जो बजट के आँकड़े से स्वयं सिद्ध है। इसमें कई चीजें शामिल नहीं हैं। मकान उनको जो फ्री दिया जाता है वह इसमें शामिल नहीं है और बिजली और पानी का खर्चा इसमें शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त इसमें मोटरों की वीअर और टीअर का खर्चा शामिल नहीं है। इसमें नौकरों और बागवान आदि के दूसरे खर्चे भी शामिल नहीं हैं, मेडिकल एड का खर्चा भी शामिल नहीं है और इसमें कभी-कभी सरकारी गाड़ी टूट जाती है, डेमेज्ड हो जाती है तो उसको रिपेअर्स में जो खर्चा होता है, वह खर्चा भी इसमें शामिल नहीं है। इसके बावजूद भी यदि आज यह माँग की जाती है कि इस मद में और रुपये दिये जाँय तो मेरा यह खयाल है कि यह निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि कोई आवश्यकता नहीं है कि जरूरत से ज्यादा रुपया इस मद में खर्च किया जाय। मैंने दो-तीन दिन पहले जब ५ हजार के आँकड़े का जिक्र किया था तो माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने उसे गलत बताया था और अब खुद उन्होंने सरकारी बजट में उससे भी अधिक नयी माँग प्रस्तुत की। यदि आँकड़ों से हिसाब लगावें तो पता चलेगा कि कौन गलत कह रहा था। यदि कोई विशेष परिस्थिति आई है और इस वजह से इस मद में और ज्यादा पैसे देने की माँग होती तो हम टाल भी देते, लेकिन केवल एक विशेष परिस्थिति का जिक्र माननीय मन्त्री महोदय ने किया था और वह यह किया था कि उनको डिस्टरबेन्स होती है और इधर-उधर जाना पड़ता है, ख्याल करना पड़ता है, जिससे वे सरकारी काम में ध्यान पूरा नहीं दे सकते। मुझे उनसे हमदर्दी है। उन्हें कभी-कभी दिल्ली जाना पड़ता है मास्टर आदित्येन्द्र जी को लेकर। कभी उदयपुर के बिजलीघर के बारे में समय देना पड़ता है, वहाँ पर बिजली के तार कट गये हैं। बिजली कहाँ-कहाँ वापिस लगानी है आदि बातों के लिए जाना पड़ता है। इधर से जो लोग उधर जा रहे हैं उनको ऑर्डिनरी मेम्बर लिया जाय या क्या किया जाय, इसके लिये बार-बार आना-जाना पड़ता है। कभी जब म्युनिसिपल चुनाव होते हैं तो उसके लिये आना-जाना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष—You have taken more than four minutes on your cut motion.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I want to take a little time more.

श्री अध्यक्ष—But there are other Members also who will like to speak. There is a time limit and I cannot allow beyond that. I shall allow members to speak on supplementary demands for three minutes and I have given you more than 4 minutes.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I started my speech anticipating that ...—

श्री अध्यक्ष—I have kept the watch with me.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I do not know. I thought 15 minutes is the usual time.

श्री अध्यक्ष—Not at all. If I allow 15 minutes on cut motions, we cannot finish within the scheduled time.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Just a few minute.

श्री अध्यक्ष—You can finish within half a minute.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I have one or two points only. Give me 2 minutes.

श्री अध्यक्ष—No.

श्री हरिकृष्ण व्यास—(जारी) तो मैं यह कह रहा था, अध्यक्ष महोदय, कि कभी-कभी उनको उनके अलवर के मित्र बुला लेते हैं, यह कहने के लिये कि सेठ नन्नूमलजी ने हमारे लीडर को नेकलेस दिया था इसलिए उनका काम बुरा-भला भी करना होता है। इसमें उनका ध्यान जाता है इसलिए उनको समय कम मिलता है। लेकिन इस वजह से खर्चा क्यों बढ़ना चाहिये, इसकी कोई माकूल दलील नहीं प्रस्तुत की गई। यदि इसके लिए एक दलील है तो वह यह कि फिजूल खर्चा किया गया। ५२००) रु० होते हुए भी सप्लीमेंट्री ग्रान्ट लाई जाय तो यह अन्याय की माँग है। इसके लिए मन्त्री महोदय को चाहिये कि वे यह कह दें कि यह फिजूल खर्च सरकार के ऊपर व स्टेट फाइनेन्सेज के ऊपर बोझ है, इसलिए इसे ग्रान्ट नहीं करवायेंगे और हम खुद देंगे।

श्री भैरूसिंह (दाँता-रामगढ़)—माननीय अध्यक्षजी, अभी जैसा कि माननीय एच. के. व्यास ने बताया कि राजस्थान के मन्त्रियों की यदि औसत ली जाती है तो वह ६ के लगभग होती है। मोटर कार की रिपेअर्स के सम्बन्ध में ६३०००) रु० की माँग मन्जूर करवाने के लिए सदन

[श्री भैंरूसिंह]

में यह माँग प्रस्तुत की गई है। अगर इस सारे खर्च को महज रिपेअर्स में हर मन्त्री के ऊपर विभाजित किया जाता है तो यह माँग यह बतलायेगी कि एक मन्त्री की मोटर रिपेअर्स के लिए १० हजार रुपये हमें खर्च करने पड़ते हैं। ६ मन्त्री और ६३ हजार रुपयों का खर्चा और वह भी मोटरों की रिपेअर्स के लिए। ५ हजार रुपया एक मन्त्री पर खर्च होता है वह तो अलग है। लेकिन साल भर में एक मिनिस्टर के ऊपर १० हजार रुपये मोटरों की मरम्मत में खर्च होते हैं।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—राजस्थान के मन्त्री हैं।

श्री भैंरूँसिह (दाँता रामगढ़)—लेकिन, यहाँ की जनता गरीब है।

श्री वेदपाल त्यागी—एरिया बड़ा है।

श्री भैंरूसिंह—(जारी रखते हुए) १० हजार रुपये एक मोटर पर खर्च होते हैं लेकिन उस मोटर का उपयोग राजस्थान की जनता के हित में होता है या नहीं? समय के अभाव के कारण इसका पूर्णतया विश्लेषण न करते हुए मैं एक-दो उदाहरण आपके सामने रखूंगा। अभी श्री व्यासजी ने बताया कि निजी कार्यों के लिए, पार्टी के प्रचार के लिए या स्वार्थ के कार्यों के लिए माननीय मन्त्री राजस्थान का दौरा करते हैं। इसके अलावा एक और बुरी चीज है, जिसके लिए भी मन्त्री लोग दौरा करते हैं और वह है चुनाव में भाग लेने का। राजस्थान में प्रजातन्त्र प्रणाली को किस प्रकार स्वस्थ बनाया जाय, इसके लिये आवश्यकता है इम्पार्शियलिटी की चुनाव में, सरकारी मशीनरी का उपयोग न हो ऐसी आशा की जाती है, लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इसमें महज कारें ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट मशीनरी भी साथ देती है, अफसर भी साथ देते हैं। एक कॉंक्रीट एग्जेम्पल (Concrete example) सदन के सामने रखूँगा कि किस तरह मिनिस्टर लोग गवर्नमेंट वेहिकल्स का उपयोग चुनावों में करते हैं।

अभी जो खंडेला में उपचुनाव हुआ उसमें राजस्थान के उप चुनाव मन्त्री (भूत पूर्व) भी पधारे थे और भूतपूर्व वाणिज्य मन्त्री भी पधारे थे। तारीख २२ मई को वाणिज्य मन्त्री के पास स्टेट गेरेज की कार थी और वहाँ पर इलेक्शन प्रोपेगेन्डा के लिये आये थे। उस वक्त जो दूसरी पार्टी थी उसके सदस्यों ने वहां के एसिस्टेन्ट रिटर्निङ्ग ओफीसर को रिपोर्ट की कि माननीय वाणिज्य मन्त्री जी के पास स्टेट कार है। इस पर उन्होंने जाँच के बाद जो रसीद दी उसे मैं पढ़ कर सुनाता हूँ—

"Received an application with reference to a State Garage car plied by the Hon'ble Minister.

Sd/-- S. D. M., Nim-ka-Thana.

Camp Khandela,

22nd May, 1953."

२२ मई, १९५३ से लेकर आज तक क्या हुआ, व कागजात कहीं गायब हो गये या कहीं रखकर भूल गये? डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी के लिये ये कागजात अभी तक नहीं आये हैं।

[श्री भैरूसिंह]

जहाँ तक गवर्नमेंट वेहिकल्स का सवाल है और उन्हें चुनाव के काम में लिया जाता है, तो यह प्रजातन्त्र के उसूलों की हत्या है। जिस स्वच्छ प्रजातन्त्र की नींव हम डालने जा रहे हैं, उसकी नींव में ही इस प्रकार के काम करना घुन पैदा करना है (घंटी) इसमें प्रजातन्त्र के वसूलों की हत्या है। (घंटी) अतः मैं निवेदन करूंगा कि इस माँग पर जो मेरा कटौती प्रस्ताव है उसे स्वीकार करके इस माँग को मन्जूर नहीं किया जावे।

श्री जवानसिंह—अध्यक्ष महोदय, यह जो कटौती का प्रस्ताव मैंने पेश किया है उसके सिलसिले में मैं यह अर्ज करूंगा कि यह पहला ही मौका नहीं है, जब कि माननीय मन्त्री महोदयों की कारों के सिलसिले में इस तरह से जनता की तरफ से यह शिकायत हुई हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जब से माननीय मन्त्री महोदयों की कारों पर इतना अधिक खर्चा होने की शिकायत हुई तो इसके बाद एक ओर तो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यह कह कर कि बड़ी गाड़ियों पर ज्यादा खर्चा आता है, किन्तु दूसरी ओर छोटी गाड़ियाँ लेकर राजस्थान की जनता पर दुबारा और भार रख दिया है और उन नई गाड़ियों को जिस प्रकार से इस्तेमाल में लाया जा रहा है, उससे साफ प्रतीत हो रहा है कि उन नई गाड़ियों की उम्र एक साल से ज्यादा नहीं होगी।

मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि इस समय इस सत्र का जो अधिवेशन हो रहा है, इसकी जब मिटिंग खत्म होती है तो हम देखते हैं कि मन्त्री महोदयों की कारें इस भवन से जब बाहर जाती हैं तो इनमें हालांकि हर एक कार की केपेसिटी ड्राइवर को मिला कर ४ की है, फिर भी इन मौकों पर इन कारों में १०-१० व्यक्ति बैठते हैं, यह बहुत दुख की बात है। यहाँ पर आपके और हमारे सामने इन कारों को खराब करके इस तरह राजस्थान के पैसे को बर्बाद करते हैं तो फिर आपकी और हमारी आँखों से ओझल होने के बाद तो इन कारों के साथ किस तरह की ज्यादतियाँ करते होंगे, यह तो साधारण-सी बात है। जयपुर में माननीय मन्त्री महोदयों के लिए सब्जी लेने के लिए कोई कार जायगी तो हिन्दुस्तान नम्बर १४ जायगी, किसी मन्त्री महोदय को कोयलों की जरूरत हुई तो कोयले लाने के लिये भी वही हिन्दुस्तान नं० १४ जायगी। जयपुर में सब्जी की दूकानों पर और कोयलों के ठेकेदारों की दूकानों के आगे हिन्दुस्तान नं० १४ मिलेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करूंगा कि अगर ये मोटरें इसी कदर इस्तेमाल की जाती रहीं तो उनकी उम्र एक साल से ज्यादा कभी नहीं हो सकेगी।

इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, इन मोटरों के सम्बन्ध में मैं एक और बात आपके ध्यान में जो लाना चाहता हूँ वह यह है कि मन्त्री महोदयों को शायद यह शौक पैदा होता जा रहा है, दिन-दिन, कि वे अपनी मोटरें खुद चलावें।

[श्री जवानसिंह]

जहाँ तक एक्सीडेन्ट करने का सवाल है, वहाँ तक तो यह निश्चित-सा है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और राजस्थान के न्यायालय उन्हीं का साथ देंगे, परन्तु हमें निवेदन यह करना है कि उन कारों की तोड़-फोड़ होने पर उनकी रिपेअर के लिये राजस्थान की गरीब जनता का पैसा खराब जायगा। यह सब कुछ मैं केवल इमेजिनेशन से नहीं कह रहा हूँ, ऐसी घटनायें घट चुकी हैं और उन्हें सदन के ध्यान में लाया जा चुका है। यह राजस्थान सरकार के लिये कोई अच्छा नमूना नहीं है कि मन्त्री महोदय खुद ड्राइविंग करें, कारों को तोड़ें और जनता का पैसा बर्बाद करें। छोटी कारें लेते समय सवाल यह पैदा किया गया था कि बड़ी कारों में खर्चा ज्यादा होता है, इसलिये छोटी कारें ली जा रही हैं इस खर्चे की क्या हद है उनके पास ? आदमी ज्यों के त्यों मौजूद हैं। मोटी कारें ज्यों की त्यों मौजूद हैं, इस पर फिर छोटी मोटरें ली जाती हैं। छोटी कारों के लिये भत्ता अलग से मुकर्रर है। इसलिये जब मन्त्री महोदय बाहर टूर में जाते हैं तो बड़ी मोटरों में जाते हैं, हालांकि छोटी कारें लेते समय यह कहा गया था कि बड़ी कारों का पेट्रोल का कन्ज़म्पशन ज्यादा है, इसलिये छोटी कारें चाहिये।

इस प्रकार मन्त्री महोदयों की गाड़ियों पर इस कदर खर्चा होता रहा। इसके बाद शुरू में जब हमारे सामने बजट पेश किया जाता है तो बताया जाता है कि साढ़े-तीन, चार हजार रुपया ज्यादा से ज्यादा इन मोटरों के रिपेअर्स पर लगेगा। पर आज हम स्पष्ट देखते हैं कि वास्तविक बात क्या है।

सन् १९५३-५४ का बजट जिस समय पेश किया गया तो बताया गया कि साढ़े-तीन, चार हजार रुपये से ज्यादा खर्चा नहीं आयेगा; नई गाड़ियों पर ज्यादा खर्चा नहीं आयेगा, रिपेयर्स वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर आज हमें स्पष्ट विदित हो रहा है कि इन गाड़ियों पर ६३ हजार की ज्यादा रकम चाहते हैं। राजस्थान की जनता को धोखा दिया गया है, सदन को धोखा दिया जा रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अन्त में मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि यह जो ६३ हजार की रकम और माँगी जा रही है उसे मन्जूर नहीं किया जाय।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय सदस्यों के फेफड़ों के प्रति मुझे बहुत सहानुभूति है।

श्री जसवन्तसिंह—किसके प्रति ?

श्री जयनारायण व्यास—फेफड़ों के प्रति। फेफड़े, लंग्स, क्यों कि उनके द्वारा फेफड़ों के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है। फेफड़ों पर जोर दिया है उसकी बजाय अगर दिमाग पर जोर देते

[श्री जयनारायण व्यास]

कि यह किस काम के लिये रकम माँगी गई है तो न तो सेठ छुन्नूमल यहाँ आते जिनका ब्लेक मेल दिया गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सेठ छुन्नूमल नहीं सेठ नन्नूमल।

श्री जयनारायण व्यास—सेठ नन्नूमल होगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—हाँ, सेठ नन्नूमल ही है। श्री भोला नाथजी से पूछ लीजिये, उनको पता है।

श्री अध्यक्ष—Such indecent things should not come in the House.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—What indecent things. Sir ?

श्री अध्यक्ष—Pointing out in the House particular things. Such things should not be done in the House.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—When a member is in possession of the House, he should not be interrupted. I desire it.

(विराम)

न पोद्दारजी और न उदयपुर का पॉवर हाउस तथा न दूसरे सवाल यहाँ सामने आते।

यह जो रकम माँगी जा रही है वह नई गाड़ियों के सिलसिले में नहीं मांगी जा रही है और न जो चालू खर्च है उसके सिलसिले में माँगी जा रही है, बल्कि पुराने बिल्स इन बुजुर्ग गाड़ियों के अब आये हैं। न सिर्फ इन गाड़ियों के अब चलाने के बल्कि पुराने जमाने में चली थी, इनका मेन्टेनेन्स हुआ, इनके रिपेअर्स हुए, उनके एरियर्स, उनके बिल्स के सिलसिले में यह रकम माँगी जा रही है। इसलिए जो दूसरे सवालात उठाये गए हैं वह मैं समझता हूँ कि इस नीति को अपनाते हुए कहा गया है कि मिनिस्टरों के बाबत कुछ कहना ही चाहिए इसीलिए कह दिया गया है और फिर यह होली का मौका है, अगर गालियाँ भी दें तो कोई बुराई की बात नहीं है।

श्री जसवन्तसिंह—नहीं-नहीं ऐसा नहीं।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—नई गाड़ियों के सिलसिले में माननीय जवानसिंहजी ने कहा कि साहब नई गाड़ियों के सिलसिले में यह माँग माँगी जा रही है और भाजी-कोयले की दुकानों पर नई गाड़ियाँ जाती हैं। मैं इत्तला कर देना चाहता हूँ कि इन नई गाड़ियों के लिए महीने का ६० गेलन पेट्रोल मुकर्रर कर दिया गया है और अगर बाहर जाते हैं बड़ी गाड़ी लेकर तो यह जो छोटी गाड़ी होती है उसे ले लिया जाता है और पेट्रोल के पैसे ले लिए जाते हैं। इसलिए यह कहना कि ज्यादा खर्चा होता है गलत बात है। खर्चा ६० गेलन के अन्दर-अन्दर है, यह माननीय सदस्यों को जान लेना चाहिये।

[श्री जयनारायण व्यास]

रही बात बाहर जाते वक्त उन बुजुर्ग गाड़ियों को ले जाने के बाबत, तो इसके लिए मैं यह बता देना चाहता हूँ कि बाहर जाते वक्त इन बुजुर्ग गाड़ियों को साथ रखना पड़ता है। इस तरह, जिस तरह कि पुराने बुजुर्ग रीति-रिवाज में ज्यादा खर्चा रखते थे उसी तरह ये बुजुर्ग गाड़ियें भी ज्यादा पेट्रोल, ज्यादा मोबिल ऑईल आदि इन सब चीजों को ज्यादा ही माँगती हैं परन्तु वे चलती ठीक हैं।

वे अभी तक चालू हैं। युटिलिटी कार को खरीदने का काम हमारा पूरा नहीं हुआ है और उसे पूरा करने में बहुत सारी फोर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है। अगर उनको पूरा करने में थोड़ी-सी भी जल्दी हो गई तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। टेन्डर माँगने पड़ते हैं, टेन्डर माँगे जाते हैं; टेन्डर किन-किन के आये इस प्रकार कई बाधाएँ उत्पन्न हो जाती हैं और ये भी देरी का एक कारण है।

मैं यह कहूँगा कि यह जो रकम माँगी जा रही है वह पुरानी गाड़ियों के मेंटीनेन्स के लिए माँगी जा रही है। इसलिये मैं यह कहूँगा कि ये कट मोशन खारिज कर दिया जावे।

राज श्री हिम्मतसिंह—कृपा कर यह और बतला दिया जावे कि कौन से सालों की रिपेअर्स के लिए माँग की जा रही है?

श्री अध्यक्ष—It is quite clear.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Sir, I want to reply to it.

श्री अध्यक्ष—It is not necessary.

श्री हरिकृष्ण व्यास—It is very important.

श्री अध्यक्ष—You made allegations.

श्री हरिकृष्ण व्यास—The allegations have been accepted; not about me but about the subject-matter of the discussion.

श्री अध्यक्ष—If you want to waste your time in discussion, that is another thing; otherwise I put it to vote.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I do not waste time. I must have the opportunity to reply about this particular information, about this particular demand.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—On a point of order, Sir, I will submit that it is the right of the Member to reply to this debate, and if you, if our privileges are curtailed............

श्री अध्यक्ष—No privilege is being curtailed. I will refer it to the privilege committee if any privilege is curtailed. I had given sufficient time in advance. He took six minutes instead of three.

कु० श्री जसवन्तसिंह—But the Hon'ble Member has a right to reply.

श्री अध्यक्ष--I do not want advocacy in the House.

श्री हरिकृष्ण व्यास--What about the reply, sir ?

श्री अध्यक्ष—I will ask you to waive your right of reply.

श्री हरिकृष्ण व्यास--I would not. I would assure my friend......

श्री अध्यक्ष—In that case I would not allow......

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Speaker, Sir.........

श्री अध्यक्ष--No, no.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Why should I not be permitted ?

श्री अध्यक्ष—Order !

श्री श्रीदास गोयल—He should not be interfered with.

श्री हरिकृष्ण व्यास—दो-तीन मिनट.........

श्री अध्यक्ष—You want to reply ? All right, begin. I will give you one minute,

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, एक मिनट सही।

यह जो कहा जा रहा है XXXX चीफ मिनिस्टर द्वारा जो बताया गया है वह बिलकुल झूठी इत्तला दी गई है। वास्तव में हुआ यह है कि तीन लाख और कुछ रुपया जो गेरेज के लिये रखा था उसमें से एक लाख से ८०,०००) रु० मोटरों में युटिलाइज़ (utilise) कर दिया गया, जिनकी मंजूरी नहीं थी। मैं चीफ मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ कि वे बजट में मोटरों का प्रोविजन मुझे बतावें और इस वजह से यह सारा मामला हुआ है।

अब दूसरी बात यह है कि ६० गेलन की जो बात कही जाती है यह भी धोखा है। यहाँ से किशनगढ़, दौसा आदि छोटी गाड़ियें जाती हैं। इसके अलावा यहाँ और वहाँ भी गाड़ियां घूमती हैं। क्या यह शहर में आने और घूमने में खर्च हुआ ?.........(घंटी)

XXXX श्री अध्यक्ष की आज्ञा से कार्य-विवरण में से हटाया गया।

श्री अध्यक्ष—I order that the words used by the Hon'ble member namely, "झूठ और धोखा" should be expunged. These are unparliamentry, So I order that these words should be expunged.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—On a point of order, Sir, I would like the Hon'ble Speaker to refer to Hansa's Parliamentry Report, page....

श्री अध्यक्ष—No, this is no point of order.

(विराम)

Now, the question is that the cut motion moved by Shri Bhairon Singh, and Shri Jawan Singh be accepted.

(मत-दान के पश्चात्)

The Noes have it.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—The Ayes have it. sir.

श्री अध्यक्ष—Noes have it. Now I will put the original (Demand) to vote.

(विराम)

If you want a division, you have the original demand. That will meet your purpose.

(विराम)

Now the question is that Demand No. 54 be accepted.

(मत-दान के पश्चात्)

The Ayes have it.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—Noes have it, sir.

श्री अध्यक्ष—Let there be a division.

(विभाजन घण्टी के पश्चात्)

The question is that Demand No. 54 be accepted.

(मत-दान के पश्चात्)

The Ayes have it.

(स्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

The Demand is accepted.

(विराम)

माँग संख्या ५७-सामान्य प्रशासन, जी. वर्क्स ।

Now we come to Demand No. 57 Major Head 25-He (Shri Jaswant Singh) indirectly objects to the Hon'ble Members of the House being absent; a resentment against the absence of the Members.

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—Resentment aganist the Demands also.

श्री अध्यक्ष—Demand No. 57 be taken as moved. Cut motion by Shri Bhairon Singh. (Division No. 10)

श्री भैरूंसिह (दाँतारामगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मेरा कट मोशन इस प्रकार है:—

"That the Demand for Supplementary Grant No. LVII relating to 25-General Administration, G—Works be reduced by Rs. 100/- (to discuss the failure of the Government in checking the all-round prevailing corruption in the Department.)

अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक इस माँग का सम्बन्ध है और इसमें ७ लाख ५७ हजार की मन्जूरी माँगी गई है उसको मंजूर करने में रकम को ही लेकर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जिस से खर्च करने की योजना बनाई गई है उसको लेकर मुझे आपत्ति है कि यह माँग मंजूर नहीं की जावे। भारत सरकार द्वारा जब इस प्रकार की यह नई योजना राजस्थान सरकार के पास आई तो राजस्थान सरकार ने वह रकम जिलों में तकसीम कर दी और जिन-जिन जिलों में भेजी गई उन जिलों के हाकिमों ने उसको वहाँ के डिस्ट्रिक्ट डेवेलपमेंट कमेटी को दे दी। मगर उस कमेटी के सदस्य ऐसे हैं जिनको शहरों के मोहल्लों की भी वाकफियत नहीं, गाँवों की तो बात ही छोड़िए। वास्तव में कमेटी के सदस्य ऐसे होने चाहिये थे जिनको सब जगह की वाकफियत हो। मगर वे सदस्य हैं। उनको शहर के मोहल्लों की भी जानकारी नहीं है। विशेष वर्क (work) का भी उनको ज्ञान नहीं है, लेकिन उनको महज एक विशेष पार्टी से सम्बन्धित होने से डिस्ट्रिक्ट डेवेलप्मेंट कमेटी का मेम्बर बनाया जाता है और डिस्ट्रिक्ट डेवेलप्मेन्ट कमेटी उस रकम को खर्च करने के लिए उनको जिम्मेदार बनाती है। शहरों की भी डिस्ट्रक्ट डेवेलप्मेन्ट कमेटी के अन्तर्गत मंजूरी हुई है। ये योजना बनाती है और उसके अन्तर्गत ४७००) रुपये तहसील दांतारामगढ़ के लिए भी मंजूर किये गये। एक लिस्ट मेरे पास भी भेजी गई। लिस्ट में जिन-जिन कामों पर रकम खर्च की जाने वाली है उसकी तफसील है। मैं कलेक्टर साहब के आदेश से जाँच के लिए मौकेपर पहुँचा। मैंने मौके पर जाकर देखा तो मालूम हुआ कि जिन-जिन कुओं पर यह रकम खर्च की जाने वाली है उनका नामोनिशान भी नहीं। मंजूरी दी जाती है,

[श्री भैंरूसिंह]

खेत में कुआ बनाने के लिए। कितने ही कुओं की ऐसी मंजूरी भी दी गई जो कि नहीं दी जानी चाहिए थी क्योंकि वे किसी के काम में आने लायक नहीं हैं। पर यह स्वाभाविक है कि पाँच सौ रुपये यदि दें तो उनका व्यक्तिगत फायदा उठाया जावे। इसी दृष्टिकोण को सामने रखकर मंजूरी दी गई है। तहसील रामगढ़ की सात मदों के लिए जो ४७००) रुपयों की मंजूरी दी गई वह ठीक कार्यों पर खर्च नहीं की जाने वाली है, टोंक का सवाल आप छोड़ दीजिये।

स्कूल बिल्डिंग्ज़ के लिए मन्जूरी दी गई, उनको रकम दी गई। कई स्कूल बिल्डिंग्ज़ में पांच सौ रुपये मन्जूर किये गये, किन्तु मैं आपको निवेदन करूँ कि उस रकम से, अगर उस बिल्डिंग का खाका देखा जाय तो मालूम होगा कि उस रकम से एक हाथ भी ऊपर नींव नहीं आ सकती। इसके विपरीत कई ऐसी बिल्डिंग्ज़ पड़ी हुई हैं जिन पर अगर उस रकम का आधा हिस्सा भी लगा दिया जाय तो स्कूल के भवनों का निर्माण पूरा होकर वे पढ़ाई के काम भी हो सकती हैं और बच्चे पढ़ने जा सकते हैं। डेवलपमेन्ट कमेटी में नियुक्त व्यक्तियों के कहने पर ही वह रकम मन्जूर कर दी जाती है जब कि लोगों को इस सम्बन्ध में पूछा ही नहीं जाता। इससे नतीजा यही निकलेगा कि न तो मकान बन सकेंगे और न बच्चे ही पढ़ सकेंगे तथा रुपयों का भी दुरुपयोग होगा और लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करेंगे। टीचर्स के लिये भी प्रोविज़न रखा है। फलां-फलां जगह छोटे-छोटे स्कूल बना दिये जांय, झोंपड़े बना दिये जांय; इस तरह की योजना भी है। उन झोंपड़ों के लिए ५०),६०) रुपये की मन्जूरी दी गई। मैं आपसे अर्ज करूं कि पचास-साठ रुपयों में झोंपड़े बनाने के बनिस्पत तो अगर वहीं पर मकान किराये पर ले लिया जाय तो वहां बच्चे आसानी से पढ़ सकेंगे। किन्तु इस प्रकार की कोई योजना नहीं है। इसके बावजूद भी इसमें एक गलती रह गयी है और वह गलती यह है कि जिस मकान को बनाने के लिए रकम मन्जूर की गई है, जिस कुए को खुदवाने के लिए रकम मन्जूर की गई है उसमें किसी प्रकार की टेक्निकल सैंक्शन नहीं ली गई है, किसी इन्जीनियर को नहीं दिखाया गया कि इतने रुपयों से फायदा हो सकेगा या नहीं, कि यह रकम काफी से ज्यादा या कम है या नहीं। मैंने जब एतराज उठाया तो वहां से लिखा हुआ आ गया कि जितने आइटम्स (items) हैं वे सारे के सारे पूरे होने चाहिये, यदि पूरी नहीं हों तो टेक्निकल सेन्क्शन प्राप्त नहीं होती है, तो रुपया नहीं मिलेगा। जब उनको टेक्निकल सेन्क्शन के लिए कहा गया तो जवाब मिलता है कि हमारे पास कोई इन्जीनियर नहीं है और हम भेज नहीं सकेंगे। तो ऐसी सूरत में बिना टेक्निकल सेन्क्शन के ही रुपयों का दुरुपयोग हो रहा है। जब तक तहसील में ही यह हाल है तो मैं समझता हूँ कि सारे प्रान्त के अन्दर ही रकम का दुरुपयोग हो रहा होगा। अतः मैं सदन से निवेदन करूँगा कि मेरे कटौती प्रस्ताव को मन्जूर करें।

श्री अध्यक्ष--श्री हरिकृष्ण व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास–I don't want to move.

श्री जवानसिंह--माननीय अध्यक्ष, यह जो माँग सदन के सामने प्रस्तुत की गई है उसके सिलसिले में मैं दो शब्द निवेदन करना चाहता हूँ। वह यह है कि यह पैसा जिस तरह की

[श्री जवानसिंह]

योजना लोकल डेवलपमेन्ट के तहत में बनाई जाती है और जिनके लिए कहा है कि इतना रुपया उसकी तहत में खर्च किया जावेगा जैसा कि उसके सिलसिले में मेरे माननीय पूर्व वक्ता ने निवेदन किया है, दुरुपयोग किया जाता है और यह सही बात है कि यह रुपया जिससे आप जितना कार्य देखना चाहते हैं, समय पर नहीं होता है और समय पर जो काम पूरा होना चाहिए वह पूरा नहीं हो पाता है। एन वक्त पर सवाल पेश आता है कि चूँकि साल खत्म हो रहा है, पैसा लेप्स हो जायगा इसलिए खर्च किया जाना चाहिए। अतः उस पैसे का जो सदुपयोग होना चाहिए वह हो नहीं पाता। माननीय मन्त्रियों के बंगलों की रिपेयर्स के लिए ३,५००) रुपये खर्च हो सकते हैं, वह रुपया उनके लिए शीघ्र ही उपलब्ध हो सकता है किन्तु यदि लोकल डेवलपमेन्ट के लिए चाहिए तो उपलब्ध नहीं हो सकता और विशेष अधिकारियों के कृपा-पात्रों की जेबों में काफी हद तक उस धन-राशि का हिस्सा चला जा सकता है। इसकी तहत में मैंने कट मोशन सदन के सामने प्रस्तुत करते हुए ख्याल किया था कि सदन इस बात के लिए गौर करेगा, सरकार का उचित ध्यान दिलायेगा कि वाकई जो रुपया मांगा जाता है तो वाकई वे उन गांवों की तरक्की करना चाहते हैं, वाकई वे खर्च करना चाहते हैं, वाकई में खर्च किया जाता है या केवल फाल्तू कुओं को खोद कर या दिवालें न बनाकर नीवों में ही रुपया बर्बाद किया जाता है। सिरोही खास शहर में एक पुरानी बिल्डिंग है; उसकी नीवें खोद दी गई थी जो भर दी गई, किन्तु उसके बाद में आज तक उसको बनाने का सवाल कभी भी सरकार ने नहीं सोचा। काफी पहले सरकार से निवेदन किया गया था कि वह इस बिल्डिंग को पूरा करावे और हमें आशा है कि सिरोही हैडक्वार्टर्स के तमाम दफ्तर उस बिल्डिंग में आ सकते हैं, किन्तु सरकार ने कोई गौर नहीं किया। चार वर्ष व्यतीत हो गये, सरकार ने कुछ नहीं किया। दूसरे मकानात को इधर से उधर खाली कराया जा रहा है किन्तु उस बिल्डिंग को पूरा नहीं कराया जाता।

सिरोही में वर्कशॉप पहले था। वहाँ पर वर्कशॉप में काफी गुन्जाइश है। लेकिन पता नहीं सरकार को क्यों यह ज्यादा अच्छा लगा कि वहाँ से मकानात के ऊपर के टिन इकट्ठे करवा कर जयपुर में लाकर लगा दिये गये। मुझे विश्वास है कि उनको लाने का जो खर्चा हुआ शायद वह उन टिन की कीमत से अधिक रहा होगा। सरकार को इससे क्या फायदा हुआ, मैं इसको समझने में परेशानी महसूस करता हूँ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, यह विरोध क्यों किया गया है, समझ में नहीं आता। वास्तव में विरोध के लिए ही विरोध किया गया है, ऐसा मालूम पड़ता है। यह साफ बयान कर दिया गया है कि यह रकम इसलिए हमें मन्जूरी के लिए पेश करनी पड़ी है कि जितनी रकम हम खर्च कर रहे हैं उतनी रकम गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया ने हमें इस शर्त पर देना स्वीकार किया है कि हम इतनी रकम खर्च करें। गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया की सेंक्शन नवम्बर के आस-पास आई थी और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट वाइज़ वह डिस्ट्रिब्यूट कर दी गई और डिस्ट्रिक्ट वाइज़

[श्री जयनारायण व्यास]

खर्च हो रही है। श्री भैंरूसिंहजी ने कहा कि मेरे कुए की गलत तरीके से मरम्मत हो रही है, स्कूलों के लिए झोंपड़े क्यों बनाये जाँय जब कि मकान किराये पर अवेलेबल हैं? हो सकता है कि कहीं डिटेल्स में कहीं गलती भी हो लेकिन जब रुपया आवे और उसको खर्च नहीं किया जावे, - सार्वजनिक निर्माण के हित में खर्च नहीं किया जावे, उससे कुओं का निर्माण और मकानों की मरम्मत नहीं की जावे तो मेरे खयाल से बुद्धिमानी नहीं होगी। सिरोही के हैडक्वार्टर्स के लिए भी कहा गया। एक जगह सारी रकम २० हजार खर्च हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है; किन्तु एक ही काम के लिए २० हजार रुपया, एक ही जगह के लिए खर्च किया जाय यह उचित नहीं है। इस रकम को अलग-अलग हितों में ही खर्च करने के गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया के आदेश हैं और इसीलिए अलग-अलग हितों को ध्यान में रख कर यह रकम बांटी गई है; सदन की मन्जूरी के लिए यह पेश की जा रही है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई विरोध की बात हो सकती है। अतः जो कटौती के प्रस्ताव रखे गये हैं उसको अस्वीकार किया जाय और जो मांग रखी गई है उसको स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—The question is that the cut-motions moved by Shri Bhairon Singh and Shri Jawansingh be acccepted.

(अस्वीकृत)

The cut-motions fail

(विराम)

The question is that Demand No. 57 be accepted.

(स्वीकृत)

The Demand is accepted.

माँग संख्या ७२–नदी योजना सम्बन्धी

Now we come to Demand No. 72, MajorHead 80A Capital Outlay on Multi-purpose River Schemes There are no cut-Motions.

(विराम)

The question is, That a supplementary sum not exceeding Rs. 4,00,28,(00/- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which wlll come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954, in respect of Grant No.LXXII Major Head 80A-Capital Outlay on Multipurpose River Schemes.

(स्वीकृत)

The Demand is granted.

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

अनुपूरक माँग संख्या ५३-सिंचाई-कार्य निर्माण इत्यादि

Then come to Demand No. LIII and take it as moved.

[The Demand is, "That a supplementary sum not exceeding Rs. 2,30,000/- be granted to H. H the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954 in respect of Grant No LIII Major Head 19--Construction of/Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works."

Yes. Shri Jawan Singh to move his Cut motion.

श्री जवानसिंह--माननीय अध्यक्ष, इस विषय में मैंने कट मोशन एक विशेष मकसद के लिए पेश किया है और वह इस क़दर है कि हमारे राजस्थान की उन्नति के लिए और खास तौर से एग्रीकल्चर इन्डस्ट्री की तरफ विशेष ध्यान हिन्दुस्तान की सरकार की तरफ से और हमारी सरकार की तरफ से होने के नाते हम ऐसा ख्याल करते हैं जैसा कि हमें सरकार बतलाती है कि इस ओर विशेष खर्चा किया जा रहा है। इस विशेष खर्चे में जिस कदर और जहाँ पर खर्चा किया जा रहा है उस तरफ मैं इस सदन का ध्यान, श्रीमान् अध्यक्षजी, आपके द्वारा खींचना चाहता हूँ; वह यह है कि जहाँ जहाँ भी यह खर्चा इर्रिगेशन की तहत डेवलपमेन्ट के लिए किया जा रहा है उसमें उदयपुर, जयपुर और कोटा डिविज़न्स ही प्राथमिकता हासिल करते हैं। मैं इसके लिए यह निवेदन करूंगा कि मुझे काफी मेहनत करने पर भी पता नहीं चला कि इस सिलसिले में इस डिपार्टमेंट ने सारे राजस्थान का सर्वे किया है और किस नतीजे पर पहुँच कर कहाँ-कहाँ डेवलपमेंट होने चाहिये, कहाँ कहाँ पर क्या स्कीम होनी चाहिए, क्या ऐसा सर्वे करने के पश्चात् राजस्थान सरकार ने अलग-अलग स्कीमों को प्राथमिकता दी है; ऐसा कोई क़दम उठाया है या नहीं इस सिलसिले में मैंने काफी प्रयत्न किया। मुझे इतना मालूम हो सका है कि कोई सर्वे नहीं किया गया है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया है। किया तो यह गया है कि जब जो स्कीम सरकार के सामने लाई जायगी उस पर कार्य शुरू कर देगी। यह खयाल नहीं किया गया है कि कौनसी (स्कीम) जरूरी है और किसको प्राथमिकता देनी चाहिए। कौनसी योजना सफल होगी, यह तय नहीं किया जाता। इस सिलसिले में खास तौर पर उन आदमियों की ताकत ज्यादा रही है जिनका हमारे उधर बैठने वाले सदस्यों का माननीय मुख्य मन्त्रीजी के सामने जोर ज्यादा है। योजना सबसे पहले उन्हीं के लिए बनवाई गई, विरोध में बैठने वालों के लिए नहीं बनाई गई। मैं आपका ध्यान जोधपुर और बीकानेर डिविज़न्स की ओर दिलाना चाहता हूँ। क्या वहाँ पर ऐसा रक्तपात सरकार की ओर से नहीं हुआ है ? क्या वजह थी कि जवाई स्कीम को मल्टीपरपज बनाया गया, बिजली की योजना का काम शुरू किया गया ? योजना बनाई गयी थी और उसको पूरा करने के पश्चात् हमें मालूम हुआ कि बिजली की योजना नहीं बनाई जायगी।

मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इसकी वजह सिवाय पक्षपात के और क्या हो सकती है ? जिस कार्य के लिये मैं तीन साल से निवेदन करता आया हूँ कि कृष्णावती योजना के सम्बन्ध में क्या अभी तक समय नहीं आया ? क्या सरकार यह महसूस करती है कि उस एरिया में

[श्री जवानसिंह]

एग्रीकलचरल उन्नति नहीं करनी है ? क्या वहाँ किसान लोग नहीं रहते हैं ? क्या वे उनकी तरक्की करना नहीं चाहते। क्या वहाँ के किसान, जिस तरह से दूसरे जिलों के किसान तरक्की कर रहे हैं, तरक्की करना नहीं चाहते ? किन्तु मालूम ऐसा होता है कि केवल पक्षपात पूर्ण रवैये के कारण सरकार हमारे उस इलाके की ओर ध्यान नहीं दे रही है। वे अपनी अपनी कॉन्स्टीट्यूएन्सी का ध्यान रखते हैं, दूसरों की कॉन्सीटयूएन्सी की ओर आपका ध्यान नहीं जाता और यही वजह है कि बीकानेर और जोधपुर के डिविज़नों की ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इन डिविजनों में १/१० वाँ हिस्सा भी खर्च नहीं किया गया। मैंने यह कट मोशन इसीलिए रखा है कि आप इसकी हर्गिज मन्जूरी न दें।

श्री टीकाराम पालीवाल (सिंचाई मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, मुझे यह आशा नहीं थी कि जिस प्रकार दूसरी मांगों पर कटौती प्रस्ताव आये, मैं इस इन्टीमेशन की माँग पर भी कटौती प्रस्ताव की आशा नहीं करता था, सिंचाई के कामों के बारे में भी कटौती प्रस्ताव आ जाय और इस प्रकार की नाराजगी प्रकट की जाय ! हम सब जानते हैं कि सिंचाई के कार्य में हम सब से अधिक रुपया खर्च कर रहे हैं। यह कहना कि राजस्थान का बाकायदा सर्वे नहीं किया गया सिंचाई के काम का, यह वस्तुस्थिति से बहुत दूर की बात है। राजस्थान एक बहुत बड़ा प्रदेश है। इसमें बहुत बड़ा पहाड़ी इलाका है। राजस्थान का प्रदेश बहुत बड़ा फैला हुआ है। कोई भी यह आशा नहीं कर सकता कि हमारी सर्वे की पार्टियाँ सारे इलाके में घूमती रहे और इस प्रकार बड़ा-बड़ा खर्चा निरर्थक किया जाय। ऐसे कामों में जो व्यावहारिक तरीका है वही अपनाया गया है; वह यह कि राजस्थान के भिन्न-भिन्न भागों में हमारे अफसर, इन्जीनियर जावें तथा वहाँ की जनता की भावना को जानें और सर्वे करके यह देखें कि कौनसी ऐसी सम्भावित जगह हो सकती है जहाँ पानी इकट्ठा किया जा सके। चाहे वह पानी बरसात का हो, चाहे नदी-नालों का हो या तालाब का हो; जिसके इकट्ठा करने के बाद वह पानी सिंचाई के काम में आ सके, नहरें निकाली जा सकें और सिंचाई के काम में उस पानी को लिया जा सके। इस तरह से जो सब से उपयोगी स्थान होता है उसको प्राथमिकता दी गई है, दी जाती है और भविष्य में भी ऐसे ही स्थानों को प्राथमिकता दी जायगी।

अभी तक पिछले दो-तीन सालों में हमने ढाई लाख एकड़ भूमि, जो बिल्कुल नई थी इर्रिगेशन के लिए, काम में ले चुके हैं और हम आगामी वर्ष तक करीब ६०-६५ लाख बीघा भूमि को इर्रिगेशन के काम में ले लेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं।

जवाई बांध के लिये जो कुछ कहा गया है उसको सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। यह कहा गया कि जवाई की स्कीम मल्टी परपज़ स्कीम (multi purpose scheme) थी उसमें से बिजली का भाग छोड़ दिया गया। इसके बारे में आपको शायद पूरे डिटेल मालूम नहीं हैं। जिस समय यह स्कीम बनाई गई थी उस समय कई गलत अन्दाजे लगा लिये गये थे और इसी कारण अगर हम उसी के अनुसार कार्य करते तो यह जवाई स्कीम अनइकोनेमिक (uneconomic) हो जाती। गवर्नमेन्ट

[श्री टीकाराम पालीवाल]

इसको पूरा कर रही है सिर्फ इसलिये कि उस क्षेत्र के लोगों के लिए लाभ दिया जा सके। चाहे वह कितना ही महंगा क्यों न हो, लाभ दिया जाना चाहिये। उस स्कीम को बनाते समय यह अन्दाजा लगाया गया था कि उससे करीब डेढ़ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी परन्तु वह एक तरह अनइकोनोमिक स्कीम थी, फिर भी पहले इसमें कुछ रुपया लग गया था, इसलिये इसको बाद में छोड़ना मुश्किल था। इसके अलावा दूसरा सवाल यह रह जाता है कि वहाँ बिजली के लिए प्रबन्ध क्यों नहीं किया जा रहा है? इसके लिये निवेदन है कि वहाँ पर इतना पानी उपलब्ध नहीं हो सकता कि बिजली पैदा हो सके। सरकार की यह मन्शा नहीं कि वह रुपया किसी न किसी तरह खर्च कर ही दे। सरकार वहीं पर रुपया खर्च करेगी जो उपयोगी साबित हो और उपयोगी ढंग से ही पैसा खर्च किया जायगा। हम पैसे को बरबाद नहीं करना चाहते। आपको सरकार से यह आशा भी नहीं करनी चाहिये कि वह बिना उपयोगी साबित हुए कहीं भी पैसे को खर्च कर दे।

गुढ़ा वगैरह का बाँध बनाया जा रहा है। इस तरह से मैं केवल सिरोही के लिये ही नहीं कह रहा हूँ, सब जगह जहाँ हमें उपयोगी साबित होगा पैसा सरकार खर्च करने को तैयार है। ऐसी हालत में मैं यह समझता हूँ कि इरिंगेशन के बारे में जो यह कहा जाता है कि इरिंगेशन के लिए सरकार फेसीलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करती, गलत बात है। आज हमारी ऐसी हालत है कि हम जहाँ यह देखते हैं कि यहाँ यह फेसीलिटी प्रोवाइड होनी चाहिये, वहाँ वह की जाती है और की जायगी। आपको मैं बहुत लम्बी-चौड़ी लिस्ट दे सकता हूँ जिसमें हमने सैकड़ों पुराने बाँध व तालाबों की मरम्मत करवाई है पिछले वर्ष में। मैंने एक प्रश्न के उत्तर में भी यह बताया कि ३८ नये बन्ध व तालाब बनाये गये हैं, भाखरा व चम्बल प्रोजेक्ट तो अलग है। इसलिये मुझे तो यह लगता है कि बहस सिर्फ बहस के लिए की गई है।

श्री जवानसिंह--कतई नही।

श्री अध्यक्ष--The question is that the cut-motion moved by Shri Jawan Singh be accepted.

(अस्वीकृत)

The cut-motion fails.

(विराम)

The question is that the Demand No. 53 be accepted.

(स्वीकृत)

The Demand regarding Construction of Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works is accepted.

अभियाचना संख्या ६४—सिविल वर्क्स

We come to the next Demand No. LXIV Major Head 50-Civil Works. (विराम) Cutmotion by Shri Jawan Singh.

श्री जवान सिंह—माननीय अध्यक्ष, अभी इरिगेशन से सम्बन्धित मन्त्री महोदय ने जैसा उत्तर दिया है, कम से कम यह ग्रान्ट जो रक्खी गई है, मैं उम्मीद करता हूं कि वैसी थोथी दलीलें कम से कम इस सम्बन्ध में इस सदन के सामने नहीं दी जावेंगी और इस विश्वास को लेकर मैं निवेदन करना चाहता हूँ ।

भूतपूर्व सिरोही राज्य के वक्त से मौजूदा सिरोही जिले में कुछ सड़कों के निर्माण की योजनाएँ बनाई गई । इसके बाद दुर्भाग्यवश और किसी दृष्टिकोण से भाग्यवश सिरोही जिले में अकाल पड़ गया । भाग्यवश इसलिए कि उस अकाल में हमारे निर्माण मन्त्री महोदय की मेहरबानी से सड़कों के निर्माण का कार्य शुरु हुआ । लेकिन अफसोस यह है कि जब उस अकाल का समय खत्म हो गया तो वह कार्य भी बन्द हो गया, पर हमें विश्वास दिलाया गया था कि अकाल के समय शुरु किये गये इन कामों को अधूरा नहीं छोड़ा जावेगा, उनको पूरा किया जावेगा लेकिन जब बरसात का समय आया तो काम बन्द हो गया । इसके बाद में सम्बन्धित मन्त्री महोदय से निवेदन किया गया कि क्या उस सड़क का काम आगे नहीं किया जावेगा तो हमें, माननीय अध्यक्ष, खेद के साथ निवेदन करना पड़ता है कि माननीय सम्बन्धित मन्त्री महोदय ने इसका जवाब हमें इस कदर गैर जिम्मेदाराना तरीके से दिया कि जिसका दुख मुझको आज भी है और इसका दुख मुझको ही नहीं बल्कि मैं निवेदन करूं सभी सदन के सदस्यों को होगा । वह जवाब यह था कि "अब आप दूसरे दुर्भिक्ष की इन्तजार कीजिये, उस वक्त इस सड़क को पूरा किया जावेगा ।" यह जवाब था ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Shame ! Shame ! !

श्री जवानसिंह—सम्बन्धित मन्त्री महोदय के द्वारा अगर इस गैर जिम्मेदाराना तरीके से राजस्थान के निर्माण का कार्य होता रहा तो मेरा यह विश्वास होता जा रहा है कि किसी क़दर इन सड़कों की कम से कम कोई उन्नति नहीं हो सकती ?

और इस सड़क के लिए भी परेशानी इसलिए थी सिरोही की जनता को कि इन ३०-३५ और २५ मील की सड़कों को खोद कर उनमें बड़े-बड़े पत्थर डाल दिये गये थे और इसलिए चलने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं था और चूंकि उस वक्त यह उम्मीद की जाती थी कि थोड़े दिनों में यह सड़क बन जावेगी। इसलिए लोगों ने उस सड़क के आस पास जो फेयर वेदर रोड थी और जहाँ सड़क खुद चुकी थी, उसके आस पास आने जाने के लिए एक छोटा-मोटा अस्थायी सा रास्ता निकाल लिया था, पर वह रास्ता दुर्भिक्ष समाप्त हो जाने के बाद बनना बन्द हो गया और आज तक वह बन नहीं सका । तो वही, अस्थायी तौर पर बनाये रास्ते को ही अपनाया जा रहा है क्योंकि इसके सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं था और इससे पैदा होने वाली दिक्कतों और कठिनाइयों का सही अन्दाज भी लगाना हमारे लिए, जो यहाँ बैठे हैं, मुश्किल है । पर हमारी इस जन-सरकार कही जाने वाली

[श्री जवानसिंह]

सरकार को यह सब महसूस नहीं हुआ कि जनता को इस सड़क के अभाव में कितनी तकलीफें हो रही हैं। आपने तो वह रास्ता खोद कर बन्द कर दिया है, जनता का आना जाना कैसे होता होगा, इस ओर से सरकार उदासीन बैठी है।

और इसलिए खास तौर से, यह मैं सदन के सामने रखना चाहता हूँ कि इस कदर अगर इस उदासीनता के साथ यह जो नेशनल हाई वेज़ और सड़कों के निर्माण का कार्य सम्पादन किया गया तो मेरा तो यह विश्वास है कि यह कार्य शायद कदापि पूरा नहीं होगा और इसके अलावा, दूसरा एक और सवाल मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूँ और वह यह है कि जब सड़कों के लिए मन्जूरी आ जाती है तो उसके बाद में माननीय मंत्रियों के सम्बन्धियों के नाते, माननीय मंत्रियों के कुछ कृपापात्रों की वजह से, इन रास्तों को जब जैसी जरूरत होती है वैसे बदल दिया जाता है। मैं माननीय सम्बन्धित मंत्री महोदय से कहूंगा कि सिर्फ जयपुर डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं, टौंक डिस्ट्रिक्ट में भी अभी हाल में, कोई दो महीने पहले ही, क्या ऐसा वाकया नहीं गुजरा है कि जहां पर एक सड़क, एक रास्ता मुकर्रर हो चुका था और इसके बाद वह रूट इसलिए बदल दिया गया था क्योंकि माननीय मंत्री महोदय के कुछ सम्बन्धियों की भूमि उस सड़क पर आती थी और उस भूमि के बीच में से होकर वह रूट निकाला जाने वाला था ? मुझे मालूम हुआ है कि चूँकि उन सम्बन्धियों की जमीन के अन्दर से वह रूट गुजरता था इसलिए उनको रूट बदलना पड़ा।

मैं सोचता हूँ कि अगर इस प्रकार की हरकतें इस स्तर पर होने लगेंगी तो फिर जनता का किस कदर भला हो सकता है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें बहुत खतरा महसूस हो रहा है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि हमारी सरकार को तत्पर होकर जनता की भलाई के जो काम हैं उनको अपनी संरक्षता में काफी अच्छी तरह से देख-भाल करते हुये, पैसा भी बेकार न जावे, इस चीज का भी ख्याल करते हुये और जो कार्य किया जावे वह ठीक तरह से किया जावे इस बात का भी ख्याल करते हुए किया जावे, जनहित में ये सब काम किये जावें; केवल अपने कृपापात्रों और सम्बन्धियों को खुश करने के लिए नहीं किया जावे।

श्री अध्यक्ष—श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री टीकाराम पालीवाल (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पहले से ही मेरा मुँह बन्द करने की कोशिश की है कि जैसे पिछले कट मोशन के बारे में दलीलें दी हैं वैसी थोथी दलीलें न दी जावें।

मेरा यह विश्वास है कि जो पिछली दलीलें मैंने दीं वे वास्तविक थीं, थोथी नहीं थीं और मुझे इस बात का सन्तोष भी है कि सदन ने उनको ठीक माना और माननीय सदस्य को यह मालूम हो गया होगा कि उनके प्रति इस हाउस का क्या एटीट्यूड था। खैर।

[श्री टीकाराम पालीवाल]

ऐसा लगता है मुझको कि राजस्थान की धारा सभा में बैठकर भी अभी हम अपने दिल और दिमाग को राजस्थान जैसा नहीं बना पाये हैं, छोटे से उस कूप और छोटे से उस दायरे तक ही महदूद रहना चाहते हैं। सिरोही में यह फलाँ चीज नहीं हुई, वह नहीं हुई और इसीलिए सारी दुनियाँ बदल गई और सारी बातें सिरोही के रंग में देखने लगते हैं, यद्यपि वह भी सही--सही जानकारी के आधार पर नहीं कहा गया है।

सिरोही के बारे में मैं बताता हूँ :

पिछले साल कुल मिलाकर करीब २०० मील पक्की सड़क बनाई गई। यह दुर्भाग्य की बात है कि सिरोही का नम्बर नहीं आ सका, उसको कुछ हिस्सा नहीं मिल सका। २०० मील से अधिक या २०० मील के करीब सड़कों पर तारकोल किया गया। मेरा इसमें दोष नहीं है, यदि सिरोही को प्राथमिकता नहीं मिल सकी। इससे अधिक और महत्वपूर्ण स्थान राजस्थान में मौजूद हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिरोही बिल्कुल नजरअन्दाज किया जा रहा हो। सिरोही से कालन्द्री तक १५ मील सड़क बनाने का प्रोग्राम है, जिसमें ३ लाख रुपया लगेगा। सिरोही से सुमेरपुर सड़क पर तारकोल करने का प्रोग्राम है, जिसमें १३ मील लम्बा टुकड़ा है और जिसमें १,३०,००० रु० लगेगा। इसी प्रकार और भी छोटे-मोटे काम हो सकते हैं। लेकिन अगर यह चाहा जाय और सभी माननीय सदस्य यदि यह सोचने लगें, यहाँ सौभाग्य से वह बात नहीं है, मगर यदि सभी सदस्य इस प्रकार सोचने लगें कि मेरे यहाँ सबसे पहले काम होना चाहिए तो मेरा ख्याल है कि सारा काम असंभव हो जाय। मैं समझता हूँ कि राजस्थान के बनने के बाद हमें अपने निकट की परीधि से आगे बढ़ कर सोचना चाहिए। इस सम्बन्ध में मुझे यही कहना था।

दूसरी बात माननीय सदस्य ने जो कही है वह मैं समझता हूँ कि बहुत ही गैरजिम्मेदारी से कह डाली है। उन्होंने केवल इशारा मात्र किया है, पर मुझे साफ तौर से खुलकर कहना है कि उन्होंने कहा है कि जयपुर जिले में ही कई सड़कें बन रही हैं और उसके एलाइनमेंट का जो रास्ता पहले था वह बदल दिया गया है और इसलिये बदला है कि कुछ जमीन मंत्री के किसी रिश्तेदार की उसमें आती थी। इस तरह की जो बात है वह श्री अध्यक्ष की आज्ञा से यह भाग कार्य-विवरण में से हटाया गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ओन ए पॉइन्ट ऑफ आर्डर, सर, मैं "झूठ" शब्द का प्रयोग करता हूँ तो एक्स्पन्ज किया जाता है किन्तु मंत्री जी जब 'झूठ" शब्द बोलते हैं तो क्यों नहीं एतराज किया जाता है। क्या "झूठ" उनके निकट "झूठ" नहीं रहता है, मेरा यह निवेदन है कि इसको एक्सपन्ज किया जाय।

श्री अध्यक्ष—It is for all. He is in the possession of the House. You can draw my attention afterwards.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am objecting to it.

श्री अध्यक्ष—I don't like the Hon'ble Members to express in such an angry term. He is in the possession of the House. After he finishes, you can draw my attention.

श्री हरिकृष्ण व्यास—The treatment should be fair.

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !! I am not prepared to hear anything about the treatment. (श्री हरिकृष्ण व्यास पुनः खड़े हुए) Order ! Order ! !

कुँ. श्री जसवन्त सिंह—On a point of order, Sir.

श्री अध्यक्ष—Order ! Order ! !

श्री हरिकृष्ण व्यास—Why should I not be allowed ? Everytime it is "Order".

श्री अध्यक्ष—It is. I reprimand your behaviour.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I reprimand the way in which I am behaved. I have never been given you permission.

श्री अध्यक्ष—Order ! Order ! !

कुँ. श्री जसवन्त सिंह—"भूठ" के मामले का क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष—I will look into the proceedings. Any un-parliamentary language will be expunged.

कुँ. श्री जसवन्तसिंह—But the House should know of this ?

श्री अध्यक्ष—Yes, the House will know.

(श्री लाल सिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री टीकाराम पालीवाल—(अपना पूर्व भाषण जारी रखते हुए) तो, इस किस्म की बातों में कि किसी मंत्री के रिश्तेदार की, किसी संबंधी की जमीन उस रास्ते में आती थी अणुमात्र भी सत्य नहीं है। (हँसी) जो हुआ वह बात यह थी कि राजगढ़ से बाँदीकुई तक सड़क बनाने का एक प्रोग्राम बना और वह पहले से था, नया नहीं। भूतपूर्व जयपुर राज्य के जमाने में भी वह बात सोची गई थी, जिस रास्ते से वह सोची गई थी, उस रास्ते में करीब करीब बहुत कम कल्टीवेटेड लेन्ड आती थी, लेकिन अब जब यह प्रोग्राम लिया गया तो, मैंने खुद ने यह सुना, उसमें कोई सबूत नहीं है। बहुत सी बातों के सबूत नहीं हुआ करते हैं ....

श्री जवान सिंह—इस चीज को मानते हैं।

श्री टीकाराम पालीवाल—कुछ लोगों ने इधर-उधर के प्रभाव डालकर जो पहले रास्ता सोचा गया था उससे भिन्न रास्ता लिया गया। वह निश्चय ही बस्वा कस्बे के बहुत नजदीक से निकलता था, लेकिन करीब ४ मील के चाही जमीन में से होकर वह रास्ता जाता था। ४ मील में कोई एक-दो काश्तकारों की जमीन नहीं होती है, क्योंकि इतने बड़े बड़े होल्डिंग्ज़ यहाँ नहीं हैं किसी के पास, और फिर मजा यह रहा कि अगर वह सीधी की सीधी लाइन निकाली जाती, तब तो मैं यह समझता कि एक तरफ किसानों का नुकसान तो हुआ लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट का फायदा हो गया, सीधी लाइन निकलने से खर्चा कम हुआ और फिर किसी एक खास गाँव में से ले जाना था। शायद उस गाँव में और किसी भी प्रकार से ले जाने की जरूरत समझी होगी। तो, फिर कुछ लोगों ने अफसरों पर इधर-उधर से दबाव डालना शुरू किया और वह प्वाइन्ट उधर ले लिया गया। मेरे सामने जब यह चीज लाई गई तो मैंने अपने उन सहयोगी से सलाह ली जो मुझसे पहले थे। वह भी ऐसा महसूस करते थे कि यह गलत हो गया है और यह बहुत ठीक नहीं है। अगर इसको दूसरी तरफ यानी जो ओरीजिनल रास्ता था उस पर कर लिया जाय तो ठीक रहेगा और उस प्रकार से बदल दिया गया और इसलिए बदला कि उससे और ३-४ गांव जो बड़े बड़े थे, किसी गाँव में २ हजार की आबादी है, किसी गांव में ४ हजार की आबादी है, तो किसी में ३ हजार की आबादी है। इन तीन-चार गांवों में २ हजार से लेकर ५ हजार तक की आबादी है, उनको लाभ पहुँच सकता है। स्टेशन के दूसरी तरफ से लाने में स्टेशन करीब १ फर्लांग रहेगा। दूसरी तरफ से सड़क लाई जाय तो उनको भी फायदा पहुंच सकता है। जो ओरीजिनल कस्बे की तरफ से सड़क लाई जा रही थी उससे सिर्फ कुछ दुकानदारों को जरूर ज्यादा फायदा होता था, जिनके मकानों के पास से यह सड़क जाती थी जो ज्यादा लीगल भी हो सकते हैं, जो कि अपनी पैरवी भी कर सकते हैं, उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी अगर कस्बे के उस किनारे से हटाकर स्टेशन की तरफ आयेगी। इस मायने में वह लोग जरूर नाराज हैं। मुझे मालूम हुआ है कि उनकी तरफ से वकालत की जा रही है। ऑफिसर्स के सामने वकालात की जा रही है, मेरे सामने वकालात की गई और मुझको यह भी मालूम है कि इस सदन में भी उनकी वकालात की जा रही है। वे लोग इस स्थिति में हैं, वे वकीलों से वकालात करा सकते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से। लेकिन मैं यह जानता हूं कि जिसमें अधिक जनता का हित हो और जिसमें कम से कम लोगों को कम से कम नुक्सान हो, वह काम करना ज्यादा ठीक होगा। यदि सदन चाहे तो मैं यहां नक्शे लाऊं दोनों-तीनों एलाइनमेंट के, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि यह प्रश्न यहाँ उठाया जायगा। मैं उन नक्शों को हाउस के सामने रखूंगा और आप देखेंगे कि दोनों-तीनों एलाइनमेंट के अन्दर जो गाँव आते हैं, सदन यह जाँच करे कि जिन लोगों ने माननीय सदस्य से जो कहा है और जो माननीय सदस्य ने यहाँ कहा है तो उनके कहने में कितनी सच्चाई है और उनमें कितनी ईमानदारी है? (हियर, हियर) फिर माननीय सदस्य महसूस करेंगे कि उन्होंने जो कुछ कहा है उसमें कितनी सच्चाई है और उन्होंने अपनी बुद्धि से कितना काम लिया, यह सारा कुछ कहने में वह महसूस करेंगे। यह सारी चीज सामने रखूंगा।

श्री जवान सिंह—माननीय उपाध्यक्ष, मैं जवाब में दो-एक शब्द कहना चाहता हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--On a point of order, Sir, Shri Paliwalji is not in the possession of the House : इसलिए उन्होंने जो शब्द 'झूट' कहा है उसको इमीजएटली एक्सपन्ज करने का हुक्म फरमाया जाय।

श्री टीकाराम पालीवाल—उपाध्यक्ष महोदय, यह कहने में कि अमुक आदमी 'झूट' बोलता है और जो यह कहा गया है कि उसमें अणु मात्र भी सच्चाई नहीं है, वह झूठ है, मैं समझता हूँ, जमीन-आसमान का अन्तर है। मैंने यह बात कही है कि वह कतई झूठ है, इसको मान लिया जाय तो एक्सपन्ज करने में मुझे कोई एतराज नहीं होगा। मेरे दूसरे शब्द मौजूद हैं कि उसमें जरा भी अणु मात्र भी सच्चाई नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्षजी, मैं भी यह साफ अर्ज कर दूँ कि मुझे कोई दिलचस्पी इस बात में नहीं है कि आपके शब्द एक्सपंज किए जाँय लेकिन इस बात को जरूरी समझता हूँ कि इस सम्बन्ध में पार्शियलिटी का व्यवहार क्यों किया जाता है? मैं आपकी निस्बत कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बल्कि मैं तो यह चाहता हूँ कि माननीय अध्यक्ष इस समय यहाँ होते। यहाँ पर जो कट मोशन पर बहस हुई वह मन्त्रीजी को बुरी मालूम हुई तो उन्होंने मेरे शब्दों को एक्सपंज करने को कह दिया और पालीवालजी के शब्दों को एक्सपंज नहीं किया गया? हम कोई स्कूल के बच्चे नहीं हैं जो मास्टर के रोड के डर से जिधर चाहें उधर चलते जाँय। हम बराबर प्रोटेस्ट करेंगे और उसके शब्द बाहर जायेंगे। उसकी जिम्मेदारी हम पर नहीं आप पर होगी।

श्री उपाध्यक्ष—Order ! Order !!

(श्री हरिकृष्ण व्यास बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री भोलानाथ—Order ! Order !!

श्री हरिकृष्ण व्यास—ऑर्डर, ऑर्डर अपने स्पीकर को कहिये who has become disordered.

श्री गोपीलाल यादव—माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी जो पालीवालजी ने फरमाया उससे ज्यादा गैर जिम्मेदार और कोई चीज़ नहीं है।

श्री टीकाराम पालीवाल—I never said. If I have said, you can ask Jawan Singhji.

श्री श्रीदाम गोयल—On a point of order. (खड़े रहे)

अनेक माननीय सदस्य—What is that point of order, speak on.

श्री श्रीदास गोयल—I will say when the Hon'ble Member sits.

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या जिम्मेदारी का ठेका आपने ही ले लिया है ?

श्री श्रीदास गोयल—जब पालीवालजी ने साफ कह दिया है कि उन्होंने यदि ऐसे शब्द कहे हैं तो जवानसिंहजी से पूछ लिया जाय, ज्यादा आप क्या चाहते हैं ?

श्री गोपीलाल यादव—अभी जो शब्द पालीवालजी ने कहे हैं उससे ज्यादा गैर जिम्मेदार कोई चीज नहीं हो सकती। The proceedings are there. पढ़वाली जाँय !

श्री जवानसिंह—मुझे तो बोलने का मौक दीजिये।

माननीय उपाध्यक्षजी, अभी जवाब में माननीय सम्बन्धित मन्त्री महोदय ने जो कुछ फरमाया उनके दो शब्दों के लिये मुझे निवेदन करना है। पहला तो यह कि उन्होंने कहा था कि यह बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना तरीके से झूठा और असत्य है। इन तमाम शब्दों को हाउस की प्रतिष्ठा के लिए एक्सपंज करने लिए मेरा निवेदन है। मुझे विश्वास है और इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सदन की फर्श पर जो सदस्य एक साथ बैठते हैं चाहे वे सरकारी पक्ष के हों और चाहे विरोधी पक्ष के हों, हरएक के साथ में एक सा बरताव किया जायगा। इस विश्वास के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इन शब्दों को एक्सपंज कर दिया जाय।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—मेरे ख्याल से इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो एक्सपंज की जाय। यदि आप विलायत या फ्रेन्च पार्लियामेंट की बात देखेंगे या हंसार्ड को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ दोनों पक्ष वाले एक दूसरे पक्षवालों को कुर्सियों से मार देते हैं, मुक्का मार देते हैं, गाली-गलौच कर देते हैं। हम विधान सभा का कार्य वहाँ के तरीके पर ही कर रहे हैं। चाहे गलत हो या झूठा हो हंसार्ड को देखेंगे तो आपको पता चल जायगा। दोनों ही के शब्द पार्लियामेंट्री हैं। न तो हरिकृष्णजी के शब्दों को एक्सपंज करने की जरूरत है और न पालीवालजी के शब्दों को। जो पार्लियामेंट्री डिबेट पढ़ते हैं या जो हंसार्ड के पार्लियामेंट्री डिबेट्स पढ़ते हैं, ज्ञान रखते हैं या कॉंस्टीट्युशन का जो ज्ञान रखते हैं उनको मालूम होना चाहिये कि ये बातें मामूली होती हैं। यह विचार करने की बातें नहीं हैं। इङ्गलैंड में मैंने खुद हाउस ऑफ कॉमन्स में देखा है कि चर्चिल जैसे ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर ने भी ऐसे-ऐसे शब्द इस्तेमाल किये हैं। ग्लेडस्टन जैसों ने तो एक दूसरे को मुक्के तक मारे हैं, सदन की बैठक के दौरान में। फ्रान्स की पार्लियामेंट में तो एक दूसरों पर कुर्सियां तक फैंकी जाती हैं।

श्री उपाध्यक्ष—We need not follow this practice.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—इसलिए दोनों में से किसी के भी शब्द एक्सपंज करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री श्रीदास गोयल—उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय ऑपोज़िशन के नेता ने जो बातें कहीं उनको यहाँ फॉलो नहीं करना है। जिन शब्दों पर ऑब्जेक्शन उठाया गया था वे माननीय हरिकृष्ण द्वारा प्रयोग किये गये "झूठा, धोखा आदि" शब्द हैं, उनको एक्सपंज करने की बात है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—ये शब्द तो मिनिस्टरों के लिए काम में लाए जाते ही हैं।

श्री टीकाराम पालीवाल (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—आपको इनका कितना अनुभव है ?

कुँ श्री जसवन्तसिंह—उस समय हाउस नहीं था।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय उपाध्यक्ष, मैं झूठ की व्याख्या में निवेदन करना चाहता हूँ कि मन्त्री महोदय जो कुछ बोलते हैं वे जानते हैं कि वे जो बोल रहे हैं वह सच है या झूठ है; पर वे आत्म विश्वास के साथ बोलते हैं इसलिए उनकी नजरों में झूठ होते हुए भी सच है, झूठ नहीं है; ऐसा उनका आत्म-विश्वास है।

श्री टीकाराम पालीवाल—वह आप ही को मुबारक हो।

श्री गोपीलाल यादव—मेरे मित्र जसवन्तसिंहजी ने जैसा कहा है कि कुर्सियाँ फेंकी जाती हैं वैसी ही परम्परा यहाँ भी कायम करदी जायँ।

श्री उपाध्यक्ष (श्री लालसिंह शक्तावत)—इस पर अब काफी वाद-विवाद हो चुका है। अपने सामने जो सब्जेक्ट है उस पर कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री जवानसिंह—ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, मेरा अब भी राइट ऑफ रिप्लाई बाकी है। मैं जब बोलने के लिए खड़ा हुआ तो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर हो जाने से मुझे बैठ जाना पड़ा, इसलिए मुझे अब बोलने की इजाजत मिलनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—मिस्टर व्यास से मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे पहले जो बात हुई I am not going to touch that. अब जो जवानसिंह जी जवाब दें उसमें कृपया दखल न दें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आपके सामने जो बात हुई है उसका रूलिंग देते हैं क्या आप ?

श्री उपाध्यक्ष—मैंने झूठ-सच के बारे में कोई पाबन्दी नहीं लगाई है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ठीक है आप का रूलिंग यही है कि यह असत्य है।

श्री उपाध्यक्ष—मेरा कोई रूलिंग नहीं है।

श्री जवानसिंह--माननीय उपाध्यक्ष, मुझे अत्यन्त खेद है कि किस कदर सम्बन्धित मन्त्री महोदय ने जवाब दिया और राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले जो व्यक्ति सदन के सदस्य हैं वे अपने यहाँ परेशानियाँ और मुश्किलातें यदि इस सदन में आपके जरिये बतावें और मन्त्री महोदय को यदि कोई चीज सुझाना चाहते हैं तो उसका जवाब यह दिया जाता है कि वे किसी की ओर से वकालत कर रहे हैं। मेरा खयाल है कि इससे ज्यादा उनके दिमाग के पतन के बारे में और कुछ नहीं कहा जा सकता। मुझे सख्त अफसोस है कि वे इस चीज पर जाते हैं।

श्री श्रीदास गोयल—मैं यह प्रार्थना करूंगा कि पाँच मिनिट की गरमागरम बहस में ऐसे शब्दों का प्रयोग होने लगा जो सदन के हेल्दी कन्वेन्शन की ओर नहीं ले जाते हैं। दूसरे देशों में दूसरी तरह के कन्वेन्शन्स हों तो उन्हें हमें फोलो नहीं करना चाहिए; क्योंकि यह हमारे शिष्टाचार और सभ्यता के अनुकूल नहीं है। यदि इस प्रकार का प्रयोग हाउस में होना शुरू हुआ तो वह उचित नहीं होगा। श्री जवानसिंहजी ने 'दिमाग का पतन' शब्द काम में लिया यह भी पार्लियामेंट्री नहीं है, इसलिए इसे भी निकाल देना चाहिये।

श्री जवानसिंह--माननीय सदस्य यदि इसका अर्थ नहीं समझते हैं तो इसमें मेरा दोष नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—ऐसी भाषा काम में लाना जिससे कि एक्साइटमेंट हो, बोलने वालों के लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसी भाषा काम में नहीं लानी चाहिए। यह हाउस के लिए शोभा की बात नहीं है। वर्ड्स ऑफ एक्साइटमेंट निकल जाते हैं, लेकिन यह भावना रखना कि उन्होंने ऐसे शब्द काम में लिए हैं इसलिए आप उनसे बढ़कर दूसरे शब्द काम में लावें यह न आर्ग्युमेंट के लिहाज से अच्छे हैं और न हाउस को अच्छे कन्वेन्शन की ओर ले जाते हैं। इसलिए मैं हाउस के मेम्बर्स से निवेदन करूँगा कि वे बजाय सेन्टिमेंटल भावना के आरग्युमेंटरी तौर पर शब्द काम में लावें तो ज्यादा उपयोगी होगा।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—मैं यह जानना चाहूँगा कि ऐसे कौन से शब्द जवानसिंहजी ने इस्तेमाल किये।

एक सदस्य--"दिमाग का पतन"।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह--हाउस ऑफ पीपल यानी अपनी पार्लियामेंट में श्री गोपालस्वामी आयंगर ने, जिनका नाम लेकर मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार के शब्द उन्होंने इस्तेमाल किये थे।

श्री उपाध्यक्ष--मेरा मतलब यह है कि बड़े शब्द यूज़ करना अच्छा नहीं है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—जब हाउस ऑफ पीपल, जो भारतवर्ष की आदर्श संस्था है, वहाँ पर ऐसे शब्द काम में लाये जा सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं लावें?

श्री उपाध्यक्ष—उनको यहाँ लाने का प्रयत्न नहीं होना चाहिये।

श्री जवानसिंह—मैं सफाई करना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—मैं सफाई नहीं चाहता। Let this end here.

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन कर रहा था कि यहाँ वकालत करने का सवाल नहीं है या यह चीज नहीं है कि खाली एक मामूली दृष्टिकोण से केवल सिरोही जिले के निस्बत ही आपके सामने निवेदन करूँ। आज सिरोही में ऐसी गल्तियाँ इस सरकार की हो रही हैं या नहीं? यदि उन गलतियों को आपके सामने लाया जाता है तो आपको भयभीत नहीं होना चाहिये। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि यदि बुखार के रोगी को कुनेन जैसी कड़वी दवा देते हैं तो वह असर जरूर करती है, इसलिये माननीय सदस्यों को नागवार नहीं मालूम होना चाहिये। मैंने तो यहाँ तक निवेदन किया था कि इस चीज़ की कमी के कारण सिरोही में किन-किन लोगों को तकलीफ होती है। इसलिये आप सुधारने की कोशिश करें और दूसरों की गलती नहीं समझें, और दूसरा अर्थ नहीं समझें। जो असलियत है उसको सरकार के सामने पेश करना पड़ता है। तो उस असलियत को व्यक्त करने के लिये ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है जो कि पार्लियामेंट्री नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष—The question is that the cut-motion moved by Shri Jawan Singh be accepted.

(अस्वीकृत)

The Cut-motion is dropped.

(विराम)

The question is, "That a supplementry sum not exceeding Rs. 20,66,000/- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of march, 1954, in respect of Grant No. LXIV Major 50-Civil Works.

(स्वीकृत)

The Demand is granted.

अभियाचना संख्या ६५-भवन तथा सड़कों पर चार्जेज़ इत्यादि

Demand No. 65, Head 50 may be taken as moved. The question is, "That a supplementry sum not exceeding Rs. 3,41,000/- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March; 1954, in respect of Grant No. LXV Major Head 50, Charges on Buildings and Roads (combined) Establishment and Tools and Plant."

(स्वीकृत)

The Demand is granted·

अभियाचना संख्या ६६-विद्युत् चार्जेज़ इत्यादि

The Demand No. LXVI Major Head XLI-Charges on Electricity etc. may be taken as moved.

There is cut-motion by Shri Jawan Singh.

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, राजस्थान की अलग-अलग रियासतों के एकीकरण के पश्चात् राजस्थान सरकार के सामने यह एक परिस्थिति आई कि आया अलग-अलग जगहों पर जो पॉवर हाउसेज़ इस वक्त चल रहे हैं उनको उन्हीं प्राइवेट ओनर्स के पास रहने दिया जाय या उन्हें सरकार अपने कब्जे में ले ले। इस बारे में राजस्थान सरकार की कोई ऐसी निश्चित चीज या योजना नहीं बनी है कि आया उन तमाम पॉवर हाउसेज़ को सरकार अपने कब्जे में लेगी या उन्हीं आदमियों के कब्जे में रहने देगी जो कि आज उन्हें चला रहे हैं।

परन्तु, इस चीज से यह सदन अवगत है कि अलग-अलग जगहां पर जो पॉवर हाउसेज़ रन करते हैं वे सन्तोषजनक हालत में नहीं हैं। इसका हाल ही का ताजा उदाहरण हमारे सामने मौजूद है कि उदयपुर में किस तरह का आन्दोलन हुआ, जिसमें उस ओर बैठे हुए इस सदन के सदस्य भी शरीक थे कि वहाँ की जनता को पॉवर हाउस को रन करने में और जितनी दर बिकी की थी उसको देने में लोगों को मुश्किलात थी, उतनी दर नहीं दे सकते थे इसलिये इतना भयंकर आन्दोलन हुआ।

इसी तरह और भी जगहों के पॉवर हाउसेज़ के बारे में लोगों की शिकायतें हुई हैं, अलग-अलग जगह दरें बढ़ गई हैं। कुछ पॉवर हाउसेज़; जैसे किशनगढ़ और कुचामान वगैरह के पॉवर हाउसेज़ हैं उनको सरकार ने अपने कब्जे में लिया है, पर वहाँ की भी जो हालत है यह आपसे छुपी नहीं है।

सिरोही की जनता के प्रति मेरी जिम्मेदारी है, इसलिये उसके लिये निवेदन करना पड़ता है, चाहे इसके लिये राजस्थान के मन्त्री महोदय यह कहें या इसके लिये यह समझें कि दृष्टि संकुचित है। कुछ जिम्मेदारी भी होती है। ऐसी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए निवेदन करना पड़ता है कि सिरोही के पॉवर हाउस के बारे में भी वहाँ की जनता को यही परेशानी की शिकायत है। उसके बारे में सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो सिरोही का पॉवर हाउस है उसे भी सरकार अपने कब्जे में ले और चलाये। वहाँ पर पॉवर हाउस का समय-असमय बन्द हो जाना

[श्री जवानसिंह]

अचम्भे की बात नहीं रही है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उस पॉवर हाउस को भी सरकार को अपने कब्जे में ले लेना चाहिये।

आपने जो यह मांग की है, कुछ स्टाफ बढ़ाने के बारे में तथा और-और बातों के बारे में। इसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपके पास ऐसी कोई योजना है कि आपको स्टाफ बढ़ाना है तो आपको पहले यह देखना पड़ेगा कि जो पॉवर हाउसेज़ आज प्राइवेट ओनर्स के कब्जे में हैं उनको अपने कब्जे में लेना पड़ेगा और पहले यह देखना होगा कि उन पॉवर हाउसेज़ में किस-किस में कितनी-कितनी उन्नति की और कितने सुधार की आवश्यकता है? इन सब बातों की जांच के बाद अब आप इस नतीजे पर पहुँच जांय कि आपको सब कितना स्टाफ बढ़ाना है; तभी स्टाफ बढ़ाने की बात रखनी चाहिये।

स्टाफ बढ़ाने के अलावा राजधानी का जो पॉवर हाउस है उसके बारे में एक-दो शब्द निवेदन करना चाहता हूँ। इस डिपार्टमेंट को कोमर्शियल कन्सर्न मानते हुए भी एकाउन्ट्स मेन्टेन करने जैसी बात नहीं रखी जाय तो मैं समझता हूँ कि यह तरीका ठीक नहीं है।

अगर हम उस एकाउन्ट को मेन्टेन नहीं करेंगे तो सरकार को यह मालूम नहीं होगा कि खर्चा कितना हुआ। सरकार का खर्चा तो जरूर होगा ही, लेकिन कोमर्शियल कन्सर्न होते हुए भी वह अपना फायदा नहीं दे सकेगी। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि भाखरा नांगल में कुछ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की तरफ से काम होने वाला है। इस सिलसिले में मुझे कुछ कहना है। शायद स्टाफ उस जगह के लिये भी आप देना चाहते हैं। वैसे तो डिपार्टमेंट को काम करने से पहले एस्टीमेट भेजना चाहिये, जो नहीं भेजा। यह एक अजीब तरीका है। इसको संतोषजनक नहीं माना जा सकता। अगर हमें कोई भी काम करना हो तो पहले उसके लिये एस्टीमेट बनाना होता है। मगर एस्टीमेट नहीं लेने का तरीका ठीक नहीं है। एस्टीमेट में बाद में ५-१० आदमियों के खर्चे के लिये बाद में भी मन्जूरी ली जा सकती है। इसलिये मैं यह कहूँगा कि जो काम हाथ में लिया जावे उसके लिये सबसे पहले एस्टीमेट बनाया जावे, जैसे पॉवर हाउस में देख-रेख का काम है। अब मैं उसकी तरफ हाउस का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और उसके लिए एक-आध दृष्टान्त पेश करना चाहता हूँ। यहां के अधिकारियों की देख-रेख कैसी रही है और जो रही उसको संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। इसके लिये जैसे कोल सप्लाई का काम है उसको लीजिये। कोल टेन्डर लेकर मंगाते हैं और उसमें देख-भाल ठीक नहीं होने की वजह से डिब्बे के डिब्बे गायब हो जाते हैं। मैं सरकार का ध्यान अधिकारियों की रिपोर्ट की तरफ आकर्षित करूँगा। उन्होंने सरकार के पास अपनी सूचना भेजी है कि कोयले की एक गाड़ी गायब हो गई, इसका क्या कारण था? इसके अलावा इस बात का पता ८-१० महीने बाद लगा। यह मामला एक-दो मन कोयलों का तो नहीं था, गाड़ी की गाड़ी गायब हुई थी। इस तरह से हमारी सरकार के अफसरों की पूरी देख-रेख न होने से नुकसान हो रहा है। इसलिये सरकार को इस सम्बन्ध में क़दम उठाना चाहिये।

[श्री जवानसिंह]

दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि पॉवर हाउस की स्थिति सुधारने के लिये, जहाँ गड़बड़ हो, वहाँ मशीनों का होना अत्यन्त आवश्यक है। जब कोयला जैसी चीज़, जो बहुत तादाद में आती है, उसके लिये इस प्रकार की मशीन होनी चाहिये कि जिससे कोयलों का डिब्बा तोला जा सके। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि इस सम्बन्ध में सरकार ध्यान दे।

(समय–समाप्ति सूचक घन्टी)

श्री टीकाराम पालीवाल--अध्यक्ष महोदय, कट मोशन इस प्रकार है :— "to discuss the negligence for not properly looking after the power Houses." मैं यह तो दावा नहीं करता कि कहीं भी किसी भी पॉवर हाउस के काम में कोई कमी या ढ़िलाई नहीं है। लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि नेगलीजेन्स जैसी चीज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नहीं है और इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट सतर्क है और मैं यह कहूँगा कि पॉवर हाउस की हालत सुधरनी चाहिये व सुधरी है। कई एक पॉवर हाउस ऐसे हैं जिनको बिल्कुल रिन्यू किया गया, उनकी जेनरेटिंग केपेसिटी को बढ़ाया गया है। इसके बारे में मैं आपको आँकड़े दूंगा कि सन् १६४६ में जहाँ सारे राजस्थान के पॉवर हाउसों की केपेसिटी १३,२४३ किलोवाट थी वहाँ अब ३३,१३४·५ किलोवाट है। यह नेग्लीजेन्स का सबूत नहीं है। कुछ ध्यान देकर काम शुरू किया है, जिससे यह स्थिति सुधरी है।

इसके अतिरिक्त कोयले के बारे में चर्चा की गई। मैं कहूँगा कि कोयले की खरीद और खपत के बारे में बहुत कुछ सुधार किया गया है और किया जा रहा है। अभी हाल ही में कोयला खरीदने के सम्बन्ध में टेन्डर का सिस्टम जारी किया और टेन्डरों की जाँच करने के लिये और उनको मन्जूर करने और न करने के लिये, उसकी सिफारिश करने के लिये एक कमेटी की नियुक्ति की गई है जिसमें चार सदस्य हैं। और भी सामान आदि की खरीद के लिये ऐसा ही किया जाने का विचार है।

वेइङ्ग मशीन के बारे में पहिले ही निश्चित किया गया है और खरीदी जा रही है। ऐसी हालत में मैं यह तो मानने के लिये तैयार नहीं हूँ कि जान-बूझ कर ऐसा किया गया है।

मैं इतना ही कहकर सदन के सामने यह निवेदन करूँगा कि यह माँग सदन को स्वीकार करनी चाहिये।

श्री जवानसिंह--ऑन ए पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, सर, वेइङ्ग मशीन के लिये अभी फरमाया है तो क्या वह जयपुर के लिये ही है या बीकानेर के लिये भी है।

श्री टीकाराम पालीवाल--बीकानेर नगर के लिये भी है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव सदन के समक्ष है उसे स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

अब मूल प्रस्ताव मत-दान के लिये रखता हूँ।

(विराम)

The question is, "That a supplementary sum not exceeding Rs. 37,25,000/- be granted to H. H. Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954, in respect of Grant-No. LXVI, Major Head XLI-Charges on Electricity (Combined) Establishment and Tools and Plant."

(स्वीकृत)

The Demand is accepted.

अभियाचना संख्या ७३-रेवेन्यू एकाउंन्ट के अतिरिक्त सिविल वर्क्स का केपिटल एकाउन्ट

Demand No. 73 is taken as moved.

(विराम)

The question is, "That a supplementary sum not exceeding Rs. 44,58,000/- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954, in respect of Grant No. LXXIII, Major Head 81—Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account."

(स्वीकृत)

The Demand is granted,

अभियाचना संख्या ७४-विद्युत् योजना का केपिटल एकाउन्ट

Demand No. 74 may be taken as moved.

(विराम)

The question is, "That a supplementry sum not exceeding Rs. 10,70,000/- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954, in

[श्री उपाध्यक्ष]

respect of Grant No. LXXIV, Major Head 81-A—Capital Account of Electricity Scheme.

(स्वीकृत)

The Demand is granted.

अभियाचना संख्या ७५-रेवेन्यू, एकाउन्ट के अतिरिक्त राज्य के अन्य कार्यों का केपिटल एकाउन्ट

Demand No. 74. The motion is taken as moved.

(विराम)

The question is, "That a supplementary sum not exceeding Rs. 9,10,000/- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954, in respect of Grant No. LXXV, Major Head 82-Capital Account of other State Works outside the Revenue Account."

(स्वीकृत)

The Demand is granted.

एडवान्सेज तथा बैंक्स इत्यादि

श्री उपाध्यक्ष—N—Public Debt-Advances & बैंक्स 15,42,173,000 charged.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I have given a 'Katauti prastava'. Since it has not to be voted, only discussions should be allowed.

श्री उपाध्यक्ष—Yes.

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्षजी, पहले इसके कि मैं कुछ अर्ज करूँ सदन के सामने, आपके जरिये यह पूछना चाहूँगा कि अगर कोई समय की सीमा निर्धारित की है तो क्या ?

श्री उपाध्यक्ष—समय की सीमा निर्धारित है और वह है पाँच मिनट।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं अर्ज करना चाहूँगा कि हम लोगों ने जान-बूझ कर कटौती के प्रस्ताव कम रखे हैं जिससे महत्त्वपूर्ण माँगों पर बोलने का समय मिल सके। मेरा ख्याल है कि इस प्रकार की महत्वपूर्ण माँगों पर पाँच मिनिट में जो कुछ हमें कहना है वह पूरा नहीं होगा। अतः मैं अर्ज करूँगा कि समय की सीमा बढ़ा दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—इस पर हर एक डिस्कशन करेंगे तो बहुत समय लगेगा। बजट के वक्त में बोलने का मौका मिलेगा। अतः ज्यादा समय न लेकर जो बात कहनी हो, कहियेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो मैं यह समझूँ कि समय की सीमा थोड़ी-सी बढ़ा दी जायगी।

श्री उपाध्यक्ष—आप समय खर्च करने के बजाय कहना प्रारम्भ करें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्षजी, यह जो माँग हमारे सामने आई है इसे कई एक मामलों में औपचारिक चीज जैसा दिखाया गया है। इसे मन्जूर करना, मेरा खयाल है कि बहुत ही भयंकर भूल होगी, इसलिए कि इस माँग के पीछे राज्य सरकार की एक नीति है और उस नीति का ताल्लुक एक महकमे से नहीं किन्तु करीब करीब प्रत्येक विभाग से है। जो हमें एक्स्प्लेनेशन दिया गया है उसमें यह कहा गया है कि हिसाब-किताब लगाने का तरीका बदल दिया गया है। पहले और तरीका था और अब दूसरा तरीका अपनाया गया है और इसी वजह से यह माँग प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ी है। यह बात तो सही है कि तरीका बदल गया है। तो क्या यही एक कारण है माँग प्रस्तुत करने का? लेकिन जो आँकड़े हैं वे आँकड़े तो, चाहे हिसाब का तरीका क्यों न बदल गया हो, दूसरी कहानी बताते हैं, दूसरी बातें प्रदर्शित करते हैं और जिनका सम्बन्ध केवल हिसाब के तरीके से ही बदलने का नहीं है किन्तु जिनका सम्बन्ध राज्य सरकार की अर्थ-व्यवस्था से है। जो लगातार पैसे लिए जाते हैं, उसके उपयोग के बारे में अथवा सरकार की उस-सम्बन्धी नीति के बारे में है। सदन यह जानता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि हम बहुत काफी कर्जा ले चुके हैं और उसके लिए इस चालू वर्ष में ३८ लाख रुपये केवल व्याज के रूप में खर्च दिखाये गए हैं। इस मामले में कम से कम इस बात को फिर से प्रदर्शित करने के सिवाय कोई चारा नहीं था, इसलिए प्रदर्शित कर दी गई। अब भी यह मामला सुलझने की ओर जा नहीं रहा है और यों देखें तो मेरा यह खयाल है: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, की आज अगर बैंक से जो रुपया लेते हैं और वापिस उनको जो रुपया देते हैं उसमें लिए हुए रुपयों की तादाद ज्यादा हो रही है और दिये हुए रुपयों की तादाद कम। इस बात का कारण यह है कि रुपयों की जो वसूली करना है अलग अलग मदों में, अलग अलग महकमों में वह वसूली जान-बूझ कर अथवा किसी के प्रभाव में आने के कारण नहीं की जा रही है। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूँगा इसलिए कि बहुत तफसील में विचार करने का मौका बाद में मिलेगा। मैं आपका ध्यान एक-दो बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। एक बिल्डिंग सिनेमा रामप्रकाश की सालों से किराये पर थी और किराये की सरकार के हिसाब से जो रकम बाकी निकलती है उसकी तादाद माननीय मन्त्री जी ने तीन लाख बताई। तो सरकार ने कितनी ही बिल्डिंग्स रिक्वीजिशन की हैं और अलग-अलग अधिकारियों को दीं और उनमें हजारों की तादाद में किराये के पैसे बाकी हैं। मैं आपको सिविल सप्लाइज़ महकमे के बारे में भी कह दूँ। माननीय मन्त्रीजी ने उस दिन बड़े जोर से कहा कि सरकार कोई प्रोफिटीयरिंग नहीं करती। माननीय उपाध्यक्षजी, मेरा उन माननीय मन्त्री जी की स्पष्टवादिता के बारे में खयाल कुछ हद तक अच्छा था। उस दिन उनके उस उत्तर को सुनने के बाद कुछ विचार करना पड़ा है। जिस विभाग में जो शुरू हुआ, वहाँ से अब तक प्रोफिट एन्ड लोस अकाउन्ट तैयार नहीं किया गया। जिस विभाग का बैलेन्स शीट तैयार न हो, जिस विभाग के स्टाक का फिजिकल

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

वेरिफिकेशन न हुआ हो, उस विभाग के बारे में यदि आप यह कहें कि हम प्रोफिटियरिंग नहीं करते हैं तो मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आप हिसाब किसका लगाते हैं, प्रोफिट एन्ड लोस अकाउन्ट के एवज में दुनिया में ऐसा आपने कौन-सा नया तरीका इजाद किया है ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी एवं "पाँच मिनिट हो गये" इस प्रकार की सदन में आवाज)

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं बैठ ही रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि इस सिलसिले में और अधिक समय लूँ। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान-ग्रहण करूंगा कि अगर हमारे सदन के वातावरण के बारे में जो भावनायें व्यक्त की गई हैं, अगर यही हालत रही कि हमें दो-दो या पाँच मिनिट ही बोलने के लिए दिए गए और करोड़ों रुपयों की माँगों को इस तरह से पास कर दिया गया तो यह हमारे साथ एक प्रकार से न्याय नहीं होगा। उत्तर-प्रत्युत्तर के लिए भी आपकी तरफ से समय नहीं दिया जाता। मैं आज तो इस बारे में केओस पैदा नहीं करना चाहता, किन्तु इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि यह आप लोगों के लिए शोभा नहीं देता। मैं आज कुछ इस विषय पर कहना नहीं चाहता, इसलिए बैठ जाता हूँ।

अभियाचना संख्या ६७—अकाल

श्री उपाध्यक्ष—Demand No. 67. it may be taken as moved. (विराम) As there is no cut motion I put the question. The question is, "That a supplementary sum not exceeding Rs. 3,25,000/- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954, in respect of Grant No. LXVII Major Head 54-Famine.

(स्वीकृत)

The Demand is granted.

अभियाचना संख्या ६१—ग्राम विकास तथा समाज-सेवा

Demand No. 61. Cut-motion by Shri Bharon Singh (विराम) He is not present. Shri Jawan Singh.

श्री जवानसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस कट मोशन पर इसलिये नहीं बोलना चाहता कि मुझे दूसरे कट मोशन पर बोलने के लिए ज्यादा समय मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष—As Shri Jawan Singh has not moved his cut motion I put the question. The question is, "That a supplementary sum not exceeding

[श्री उपाध्यक्ष]

Rs. 7,55,000/- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31th day of March, 1954, in respect of Grant No. LXI, Major Head 40A—Rural Development and Social Services.

(स्वीकृत)

The Demand is granted.

अभियाचना संख्या ६२-उद्योग तथा रसद

श्री उपाध्यक्ष—Demand No. 62. Cut-motion by Shri H. K. Vyas.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Deputy Speaker, Sir, before I put my submissions I want to raise a point of order. A few minutes back a time limit was imposed on the speeches for cut motions. I would like to know under what Rule that time limit was laid because under Rule 173 a time limit is imposed on discussions of the Budget. In regard to cut-motions there is neither a limit nor anything. There is only guillotine and that can take place irrespective of any Demands that may be left.

श्री उपाध्यक्ष—For the general conduct of business in the House, the Speaker has a right to control the speeches. This is General. You put your cut motion.

श्री हरिकृष्ण व्यास—The difficulty of the time limit will come again.

श्री उपाध्यक्ष—Five Minutes. You try to be brief.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I have not yet learnt the art of dealing with such matters in five minutes.

(विराम)

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मैंने कट मोशन दिया है यह ६ लाख ५७ हजार रुपये की मन्जूरी न देने के लिये दिया है। यह गंगानगर के शक्कर के कारखाने के सिलसिले में मांग की जा रही है। इस विषय पर काफी बहस हो चुकी है और बहुत-सी बातें इस बारे में कही भी गई हैं। आज सवेरे ही एक प्रश्न के उत्तर में कुछ बातें बतायी गयी थीं। कल भी माननीय मुख्य मन्त्री ने बड़े जोरों से यह कहा कि बेचारे देहात के रहने वाले किसानों के लिए, जो गन्ना पैदा करते हैं उनकी क्या हालत हो रही होगी; गंगानगर के शक्कर के कारखाने के मजदूरों की क्या हालत हो रही होगी, इसका ख्याल करके सरकार ने यह कदम उठाया है। मुझे बहुत खुशी होती, यदि वास्तव

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

में ही हमारे मुख्य मन्त्री के दिल में दया होती, किन्तु उन्होंने गत साल जो किशनगढ़ मिल में चार महीने तक जो लोक अप हुआ था उन्होंने उस समय वहाँ की मिल को अपने संरक्षण में क्यों नहीं लिया ? उस समय जो वहाँ हड़ताल पड़ी थी, तालाबन्धी जो हुई थी उस समय आपकी दया नजर नहीं आई। आज आप कहते हैं कि हमें गन्ना बोने वाले किसानों के लिए दया है। यदि यह दया भी पिछले साल सामने आती तो हम समझ सकते थे कि वास्तव में हमारे मुख्य मन्त्रीजी के दिल में मजदूरों के प्रति दया है। पिछले साल एक अजीब बात यह हुई कि गन्ने की कीमत भारत सरकार ने तय की थी। गंगानगर शक्कर के कारखाने के मालिक उस कीमत पर गन्ना लेने के लिए तैयार नहीं थे। गंगानगर के किसानों का गन्ना उन दिनों बिक नहीं रहा था, तब राजस्थान सरकार ने क्या किया ? उस समय हमारी राजस्थान सरकार भारत सरकार के पास यह सिफारिश लेकर गई कि गन्ने की कीमत कम कर दी जाय। माननीय उपाध्यक्ष, जिन लोगों के दिल के अन्दर मजदूरों के प्रति, किसानों के प्रति दया थी, वे ही लोग उन दिनों भारत सरकार के पास जाते हैं, यह कराने के लिए कि जो कीमत आपने गन्ने की निर्धारित की है वह ज्यादा है, उसमें कमी कीजिये। यह तो खुशी की बात थी कि भारत सरकार ने उनका कहना नहीं माना। आज वे ही लोग गन्ना पैदा करने वालों की भलाई के लिये, उन पर दया दिखाने के लिए कहते हैं कि हमने उनकी भलाई के लिए गंगानगर की मिल को अपने हाथ में लिया। क्या आप गन्ने की कीमत कम कराने गये तब भी क्या आपके दिल में गन्ना पैदा करने वालों का ख्याल था या मिल के मालिक का ख्याल था ? यह साफ है, उपाध्यक्ष महोदय, कि उस समय किसानों का ख्याल न था, ख्याल था तो मिल मालिक को फायदा पहुँचाने का।

आज भी राजस्थान सरकार का लाखों रुपया उस मिल में लगा हुआ है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो गंगानगर के शक्कर के कारखाने में दिलचस्पी रखते हैं कि क्या उन्होंने डाइरेक्टरों की रिपोर्ट को पढ़ा है ? इस शक्कर के कारखाने को अपने हाथ में लेने से पहले क्या उन्होंने जो डाइरेक्टर थे या जो सरकारी मुलाजिम थे उनकी रिपोर्ट माँगी गयी थी ? उन्होंने साफ कह दिया था कि यह मिल मुनाफे में चल नहीं सकती। यह लिखित रिपोर्ट सरकार के पास है। उस कारखाने से सम्बन्धित व्यक्तियों की यह राय है कि वह मुनाफे में नहीं चल सकती। कानपुर से एक गुड़ के एक्सपर्ट को बुलाया गया, उसने अपनी रिपोर्ट में सात बातों का जिक्र किया है। उसमें लिखा है कि अगर इसमें ७ लाख मन गन्ना क्रश हो जाय या फलां चीज हो जाय; इस प्रकार उसने करीब सात "अगर-मगर" करके रिपोर्ट दी है, तो मुनाफा हो सकता है। हमारे मुख्य मन्त्री जी ने एक शर्त का जिक्र किया, किन्तु बाकी सबको खा गये। इसके बावजूद भी आज एग्रीमेन्ट किया जाता है लीज पर लेने का। अगर आपको मिल चलाना ही था तो सरकार को यह चाहिये था कि वह बिना एक पैसा ही पोद्दार जी को दिये मिल को अपने संरक्षण में ले लेती। यदि ऐसा होता तो हम यह समझते, चलो कम से कम हमारी सरकार ने इतने अरसे में एक तो अच्छा काम किया है। कारखाने के लिए यह भी कहा गया कि लीज़ पर लिया गया; किन्तु अभी तक लीज़ का रुपया तय नहीं किया है। इसलिये तय नहीं किया कि आप बाद में छिपाकर तय

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

करेंगे जब कि कमिश्नर आदि जिनको वहाँ लगाया गया है उनको सरकार तनखा दे देगी। असिस्टेन्ट सेक्रेटरी, रेवेन्यु विभाग इस काम के लिए वहाँ गये हैं। डेप्रीसियेशन क्या होगा, यह मालूम नहीं ? सरकार का जो लाखों रुपया उसमें लगा हुआ है उसका रिटर्न क्या मिलेगा, यह भी तय नहीं। आज उद्योग मन्त्री हमारे मुख्य मन्त्री हैं, कल कुम्भारामजी यहाँ आयेंगे और कह देंगे कि हमें चालीस-पचास हजार का फायदा हुआ है और अगले साल इतना फायदा हो जायगा; इसलिये लीज के लिए इतना रुपया ले लीजिये, यह अन्दरूनी तो तय हो गया है।

लेकिन डर लगता है। पाँच लाख का जिसको घाटा रहा और पिछले साल जो कारखाना बन्द पड़ा रहा है उसको साढ़े तीन लाख रुपया लीज़ पर लेने का एलान करते हुए डर लगता है। उसके पीछे सरकार को तीन लाख देने का फैसला हुआ है और यह कैसे हुआ, यह मैं जानना चाहता हूँ; व्याज के रूप में, नॉमिनल मेनेजिंग एजेन्सी के कमीशन के रूप में या साथ-साथ लैसी (lessee) बनने के रूप में ? मैं पूछना चाहता हूँ माननीय मन्त्री जी से कि इस सिद्धान्त को उन्होंने कुबूल किया है या नहीं ? व्याज़ के सिद्धान्त को कुबूल किया है या नहीं, नॉमीनल लीज़ देने के सिद्धान्त को कुबूल किया है या नहीं और मैनेजिंग एजेन्सी का कमीशन देने के सिद्धान्त को कुबूल किया है या नहीं ? फिर, आप लिखा-पढ़ी भी इसकी बाद में तय करेंगे, इसका तात्पर्य क्या है ? सारे के सारे मामले में एक विशेष व्यक्ति को, विशेष सरकार के मन्त्री जी के मुलाकाती को सरकार स्वयं मौका दे रही है, सरकार के इस फैसले का नाजायज फायदा उठाने के लिए।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

इसलिए माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारे सामने कहा जा रहा है यह मजदूरों के हित में है सरकार का फैसला ! पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सरकार का समझौता न मजदूरों के हित में है, न यह सौदा सरकार की किसी नीति से सम्बन्ध रखता है और न सरकार के रुपये के हित में ही यह सौदा है। इसलिए अगर उस कम्पनी को घाटा लगे तो मेरा सुझाव है कि वह पोद्दार जी के केपिटल में से पूरा किया जावे। लेकिन लीज़ के तौर पर इसे लिये जाने के बाद में साढ़े तीन लाख रुपये नहीं दिये जाने चाहिये।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

श्री टीकाराम पालीवाल—अध्यक्ष महोदय, अभी वह जमाना तो आया नहीं यहाँ जब बिना मुआवजा दिये ही कोई चीज ले ली जावे और मेरा विश्वास तो यह है कि निकट भविष्य में तो ऐसा वक्त आता नहीं दिखता।

श्री गोपीलाल यादव—क्या आपका यह ख्याल है कि रिमोट (remote) भविष्य में आ जावेगा ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो·······

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !!

श्री टीकाराम पालीवाल—चार साल पहिले और आज में बहुत जमाना बदल गया है। चार साल पहले कॉन्स्टीटुयशन नहीं था जो अब आ गया है। इसमें कई एक कठिनाइयाँ हैं। बाकी जहाँ तक रुपये के नुकसान का ताल्लुक है, यह तो सिर्फ उसको फाइनेन्स करने के लिए अलॉट किया जा रहा है। यह सब रुपया वापिस आने वाला है। वर्किङ्ग के बारे में चाहे और कितनी भी सूरतें रही होंगी पर हमने एक्सपर्ट की राय ली है। इस बारे में एक मुख्य बात और यह बताऊँ मैं कि इसमें सात लाख मन गन्ना क्रश किया जा सकता है और इस तरह से इसे प्रोफिट में चलाया जा सकता है और जितना गन्ना अब तक क्रश किया जा चुका है उसको देखते हुए यह बहुत अच्छी तरह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि इसमें सात लाख से ज्यादा ही गन्ना क्रश किया जा सकता है। इसलिए अपेरेन्टली (apparently) तो इसमें नुकसान का कोई कारण नहीं दीखता।

अब यह कहना कि पिछली साल अगर इसे लिया होता, अगर किसानों के साथ सहानुभूति थी तो गन्ने की रेट ही ठीक कराई होती। इसके लिये मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार की सहानुभूति बराबर उनके साथ थी। परिस्थितियाँ दूसरी थीं और उससे कुछ सही चीज न हो सकी, यह दूसरी बात है। लेकिन वास्तविक कठिनाइयों को ओझल करना अलग बात है, गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया ने एक रेट फिक्स की थी। हो सकता है मिल मालिक विदिन राइट था और गन्ने की यह रेट उसको सूट न पड़ी और कह दिया कि मैं तो मिल ही नहीं चलाता। ऐसी कठिनाइयों की स्थिति में क्या करें सिवाय इसके कि कोई बीच का रास्ता निकालें और वह बीच का रास्ता निकल गया। उनकी सब कठिनाइयों को देखते हुए इस साल भी मिल मालिक मिल को चलाने के लिए तैयार नहीं था, और इससे उधर के किसानों को निश्चित रूप से नुकसान था और इसका स्वाभाविक परिणाम यह भी आने वाला था कि आगे के लिए गन्ने की खेती कम हो जाने की सम्भावना थी। इन सब बातों को देखते हुए एक्सपेरिमेन्टल तौर पर सरकार ने इस मिल को अपने हाथ में लिया है और अगर यह एक्सपेरिमेन्ट ठीक साबित हुआ तो सरकार इरादा कर सकती है कि इस कन्सर्न को कम्पेन्सेशन देकर भी परचेज़ कर लिया जावे, आया गवर्नमेन्ट के भी इसमें कई शेयर हैं, यह बात की बात है। शुरू से ही कुछ रुपये तो हमारे इसमें अटके हुए हैं और बाकी और रुपया लगाकर इसे ले लें और फिर वह प्रोफिटेबल साबित न हो आगे चलकर तो वह बुद्धिमानी का काम नहीं होगा। इसलिये एक्सपेरिमेन्ट के तौर पर ही इस समय लिया गया है और इसलिए इस समय तो मैं समझता हूँ कि यह रकम मन्जूर करनी ही चाहिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इसकी सब्सक्राइड कैपिटल (Subscribed capital) में गवर्नमेंट की कुल कैपिटल कितनी है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—यह तो प्रश्नोत्तर के समय की बात है। पेपर्स इस समय लाया नहीं हूँ।

(श्री हरिकृष्ण व्यास को नहीं सुनाई देने पर)

श्री अध्यक्ष--पेपर्स नहीं हैं पास में ?

श्री हरिकृष्ण व्यास--यह बड़ा महत्त्व का सवाल है । इससे मालूम हो सकेगा कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है । यह सब इसी एक सवाल से साफ हो सकता है कि इसमें कितने शेयर सरकार के हैं ? और अगर वास्तव में पेपर्स उनके पास नहीं हैं तो मैं परसिस्ट (persist) नहीं करूँगा ।

श्री जसवन्तसिंह--मैं अर्ज करूं कि जब एक डिमान्ड माँगी जा रही है तो क्या ट्रेजरी बैंच विरोधी पक्ष से यह उम्मीद करती है कि वे यों ही उसे मान लें और बगैर ऑपोजिशन के एतराजों को पूरा किये ही मान ली जावें । तो यह तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जिसके लिए कहते दुख होता है और अगर ऐसी आपकी मंशा नहीं है तो फिर इत्तला दें आप कि आप क्या करना चाहते हैं ? जो इत्तला माँगी जावे वह तो कम से कम मिलनी ही चाहिये । गवर्नमेंट के शेयर हैं, कितनी टोटल कैपिटल है, यह जो बात पूछी गई है ठीक ही है क्या ? इससे ठीक पोजिशन का पता चल सकेगा । नहीं तो उनके कहने से ही हम नहीं मन्जूर कर सकते इस डिमान्ड को ।

श्री टीकाराम पालीवाल--यह प्रश्न तो रिलेवेन्ट नहीं है । यह उस वक्त रिलेवेन्ट होगा जब खरीदने और बेचने का प्रश्न आवे । इस वक्त तो लीज़ पर ली जा रही है । यहाँ एक खर्चा कर रहे थे इसके सम्बन्ध में उसके लिए मैं कह सकता हूँ कि बिना मुआवजा लिए लेने की कोई सम्भावना नहीं है, मुआवजा देकर लेने की सम्भावना हो सकती है । पर, इस समय तो हम केवल एक्सपेरिमेंटल तौर पर काम कर रहे हैं । लेने, न लेने के विषय में बाद में सोच सकते हैं । यह भी कन्सीडरेशन रहेगा हमारा कि यह बिलकुल खाली भी न पड़ी रहे जिससे कि आम लोगों को दिक्कत आवे और आज भी बिलकुल खाली न पड़ी रहे इसलिए यह एक्सपेरीमेंट किया जा रहा है ।

जहाँ तक सरकार के शेयर का सवाल है मैं यह भी राउन्ड अबाउट फिगर (round about figure) आपको बता देता हूँ । निश्चित रूप से तो पेपर्स देखकर ही कह सकूँगा, पर करीब करीब २० लाख रुपये के शेयर इसमें हमारे हैं । इस वक्त पूरे फिगर नहीं हैं, पर यह काफी रकम गवर्नमेंट की है इसमें ?

श्री हरिकृष्ण व्यास--मैं यह जानना चाहूँगा, इस पर वोट लिए जाने से पहले कि क्या कोई जिम्मेदार व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो लीज़ में एन्टर कर सकता हो बगैर इसके टर्मस पहले सैटल करने के ? अगर राजस्थान गवर्नमेंट इतने बड़े कन्सर्न को बिना लीज़ की टर्मस सैटल किये ही लीज पर लेने का काम कर सकती है तो मेरे मित्र पालीवालजी से मैं पूछता हूँ कि वे व्यक्तिगत रूप में ठेका या कोई कन्ट्राक्ट या कोई काम क्या बिना किसी लीज़ में एन्टर होने के पहले कर सकेंगे ?

श्री टीकाराम पालीवाल--व्यक्तिगत रूप से मैं ऐसा नहीं करूँगा । पर, यह सोचने की बात है । जो लीज़ देने वाले हैं, उनके लिए यह सोचना ज्यादा जरूरी था । हम तो उसको एक्सपेरिमेंट

[श्री टीकाराम पालीवाल]

के तौर पर लीज पर ले रहे हैं और बाद में भी अगर टर्मस् तय करें तो इसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं मालूम होती। इसमें गवर्नमेन्ट को मौका मिलेगा कि टर्म्स क्या रक्खी जावें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अभी-अभी यह कहा गया कि गवर्नमेन्ट के इसमें कितने शेयर हैं और कुल सब्स्काइब्ड कैपिटल कितनी है। इसके बारे में कहा गया कि यह इरिलेवेन्ट बात है। केवल एक इस सेन्टेन्स के जरिये ही यह साबित हो जाता है कि सरकार ने इस पूरे मामले में कौनसी नीति अपनाई है।

गवर्नमेन्ट कुछ करना चाहती है अपना रुपया बचाने के लिए, किसानों को राहत देने के लिए और सेन्टर का हुक्म बजाने के लिए, तो अगर वाकई में सरकार की यह इच्छा होती तो कुल सब्सक्राइब्ड कैपिटल में जिसकी इतनी बड़ी रकम के शेयर हों उसके अधिकार से, उसकी आवाज से यह सब हो सकता था। वह सेठ कौन होता है कहने वाला कि गन्ना खरीदेगा या नहीं खरीदेगा? आपने इतना कैपिटल सब्सक्राइब किया है तो हालत तो यह होती है कि जो ३३ फी सदी और २५ फी सदी लगाकर कारखाना चाहता और कन्ट्रोल है, उसके मुकाबले में गवर्नमेन्ट ने इतना रुपया लगाया, परन्तु उसकी पोजीशन नामिनल है। तो जो सेठ नहीं मानता, जिनको सेठ नहीं चाहता उसे साफ आप कह दें कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता और अगर आप ऐसा कहते तो उसको मानने के सिवाय उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अगर यह गवर्नमेन्ट या पिछली सरकार इस अपने अधिकार का इस्तेमाल करती, तो यह सब हो सकता था। (उपमन्त्री, श्री चन्दनमल वैद को सम्बोधित करते हुए) अगर आपके पास कोई इत्तला अब आ गई है तो कह दीजिये ताकि मैं इसका भी उत्तर दे दूँ। माननीय उपाध्यक्षजी !............

श्री टीकाराम पालीवाल—मैं आँकड़ो की इत्तिला अभी देता हूँ, लेकिन एक मोटी इत्तिला दे दूँ कि जिस वक्त यह इन्वेस्टमेंट किया गया था वह बीकानेर स्टेट ने किया था और यह गवर्नमेंट, कि आया वह इन्वेस्टमेंट वाइज़ (wise) था या अनवाइज (unwise) था, उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। उसमें से जितना इन्वेस्टमेंट है उसका बहुत थोड़ा पोर्शन शेयर्स में है और ज्यादा पोर्शन डिबेन्चर्स में है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का कम्पनी में वोटिंग राइट्स बहुत कम रह जाता है। यह आवश्यक कन्डीशन्स हैं और यह निश्चितरूप से सेठ साहब के लिये फेवरेबल कन्डीशन्स (Favourable Conditions) हैं। इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का हुआ है, पर इन्वेस्टमेंट की कन्डीशन्स ऐसी है कि इन्वेस्टमेंट से जितना कन्ट्रोल हो सकता था गवर्नमेंट का उतना कन्ट्रोल नहीं हो पाया है। वह चीज पहले हो चुकी है, बीकानेर गवर्नमेंट के जमाने की बात है जिसमें इस गवर्नमेंट के किसी भी सदस्य का सम्बन्ध नहीं रहा है, उधर से (विरोधी पक्ष) रहा होगा। उसकी जानकारी शायद कुँवर साहब दे सकते हैं। हम नहीं दे सकते हैं। बाकी स्थिति यह है कि रुपया गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा लगा हुआ है। वह डिबेन्चर्स के रूप में ज्यादा है और शेयर्स में कम। इसलिए कन्ट्रोल कम्पनी पर बहुत कम है। (श्री चन्दनमल वैद के सूचना देने पर)

[श्री टीकाराम पालीवाल]

१५ लाख के डिवेन्चर्स हैं और ४ लाख के शेयर्स हैं, वह भी प्रिफ़ेन्शियल शेयर्स (preferential shares) हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—टोटल सब्स्क्राइब्ड केपिटल कितनी है ?

श्री जसवन्त सिंह—क्या यह भी टर्म्स में था कि बीकानेर कमिश्नर इस मिल का मैनेजर, एजेन्ट या पिग्रोन (peon) रहेगा।

(रिपीटीशन, रिपीटीशन)

श्री टीकाराम पालीवाल—यह कई दफा आपने कहा है। वह एक अच्छे रेस्पॉन्सीबल आफिसर हैं। गवर्नमेंट चाहती थी कि वे सुपरवाइज करें उसके वर्किंग का और वह हमने किया। एजेन्ट का प्रश्न उठता नहीं है। एजेन्ट के अलावा जो आप कहते हैं, मैं नहीं कहता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वह क्या काम करते हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—उसके वर्किंग को सुपरवाइज़ करते हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय मन्त्री जी कुछ हद तक धन्यवाद के पात्र हैं कि धीरे-धीरे इत्तिलाए' सामने आ रही हैं। २० लाख की जो शेयर केपिटल है उसमें से १५ लाख से भी ज्यादा अपने हैं, लेकिन वह इस ढंग से दिये हुए हैं कि अपना अधिकार नहीं है।...

श्री चन्दनमल वैद—२० लाख की शेयर केपिटल नहीं ली है। डिवेन्चर्स को उसमें नहीं मिलायें। डिबेन्चर्स और शेयर केपिटल में फर्क समझ लीजिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—पहले आप तो समझ लीजिये।

श्री टीकाराम पालीवाल—जी नहीं, उन्होंने तो ठीक कहा था आपके सुनने में फर्क है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उसके बाद का सवाल है। बेलेन्सशीट गवर्नमेंट के पास आई या नहीं ? (घंटी)

यह एक बहुत ही इम्पोर्टेन्ट प्वाइन्ट है, माननीय उपाध्यक्ष जी।

श्री उपाध्यक्ष—आप जल्दी खत्म कीजिये। That is not to be settled here. You should say your own things.

श्री हरिकृष्ण व्यास—But I will say my things.

श्री उपाध्यक्ष—You cannot continue for a long time.

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह हुआ कि ऐसा इन्वेस्टमेंट हुआ, फिर मौजूदा सरकार की जिम्मेवारी है कि जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट हुआ है उसके अधिकार को इस्तेमाल किया या नहीं? उसके पास प्रोफिट एन्ड लोस एकाउन्ट यहाँ आये या नहीं? हर बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स की मीटिंग के बाद जो डाइरेक्टर्स हमारे वहाँ गये उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की या नहीं और उस पर गवर्नमेंट ने क्या फैसला किया? और भी इत्तिलाएं आयेंगी, तब यह पता लगेगा इस मिल के टेक ओवर (Take Over) करने के सिलसिले में। सदन में यहां संविधान का ज्ञान तो बहुत से लोगों को है, लेकिन साधारण से कानून-कायदा मालूम नहीं। वह है इन्डस्ट्रियल अन्डरटेकिंग्ज़ कन्ट्रोल एन्ड रेग्यूलेशन एक्ट। यह कायदा दिल्ली में हाउस आफ पीपल (Housc of people) में पास हो चुका है, और मेरा यह कहना है कि गंगानगर के सुगर के कारखाने के सिलसिले में ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कन्डीशन आ गई हैं जिनमें वह कायदा लागू करने की परिस्थिति मौजूद है। इस प्रश्न पर सरकार ने कोई विचार किया है? मुझे मालूम है कि नहीं किया है। यह कहना कि टर्म्स सेटल नहीं होने से खतरा उनको है, गलत बात है। बराबर खतरा सरकार को है। एक, दो, तीन साल के बाद इसमें कई कानूनी अड़चनें पैदा करके वे रखेंगे, फिर रिट की एप्लीकेशन करें और फिर ४ साल का किराया नहीं देंगे और फिर पोलो विक्ट्री का मालिक अपना लोन नहीं देगा, और फिर मशीन तकावी की तरह बगैर ट्रेक्टर खरीदे गये रुपया देने का सवाल आयेगा, रिट आयेगी। इतना अनुभव होने के बाद भी बगैर कानूनी सलाह के एग्रीमेंट करने का तात्पर्य साफ यह है कि वह सेठ साहब रकम माँगेंगे और अपनी टर्म्स डिक्टेट करेंगे और मंत्री जी कुछ नहीं कर सकेंगे और उनको पैसा दे दिया जायगा...—

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—Mr. Speaker, the statements made by the Hon'ble Member are highly objectionable under the Rules of Procedure of the House. He should be disallowed from making them.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Any way.

श्री उपाध्यक्ष—Now, I put this cut motion to vote. No further debate.

प्रश्न यह है कि कटौती प्रस्ताव स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

The cut motion is defeated.

(विराम)

Now the question is, 'That a supplementary sum not exceeding Rs. 6,57,000/-- be granted to His Highness the Rajpramukh to defary the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st

Page No.94

[श्री उपाध्यक्ष]

day of March, 1954 in respect of Grant No. 62, Major Head 43—Industries and Supplies.

(स्वीकृत)

डिमांड स्वीकार की गई।

अभियाचना संख्या ५०—वन

श्री उपाध्यक्ष— Demand No. 50-Cut motion by Shri Jawan Singh.

(श्री जवानसिंह बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)

श्री उपाध्यक्ष—As the mover does not like to move his cut motion, I put the question. The question is, 'That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,13,000 be granted to H. H. the Rajpramukh to defary the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954 in respect of Grant No. L, Major Head 10-Forest.

(स्वीकृत)

The Demand is granted.

शेष अनुपूरक अभियाचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—चूंकि अब समय नहीं है इसलिए गिलोटीन एप्लाई किया जाता है।

[निम्न लिखित अभियाचनाओं पर गिलोटीन एप्लाई होने के कारण वे एक साथ ली गई और मतदान के पश्चात् स्वीकृत हुई।]

Demand No. LI Head 12—Charges on account of Motor Vehicles Act.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 5,000/-- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954 in respect of Grant No. LI Major Head 12--Charges on account of Motor Vehicles Act.

Demand No. LXX, Head 70—Capital Outley on Improvement of Public Health

That a supplementary sum not exceeding Rs. 8,02,000/-- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954 in respect of Grant No. LXX Major Head 70--Capital Outlay on Improvement of Public Health.

श्री उपाध्यक्ष]

Demand No. XLIX, Head 9—Stamps.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 59,000/-- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954 in respect of Grant No. XLIX, Major Head 9--Stamps.

Demand No. LII, Head 13– Other Taxes and Duties.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,000/-- be granted to H.H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954 in respect of Grant No. LII, Major Head 13-Other Taxes and Duties.

Demand No. LVI, Head 25—General Administration-C-Elections.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1000/-- be granted to H.H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in the course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954 in respect of Grant No. LVI, Major Head 25--General Administrations C--Elections.

Demand No. LVIII, Head 37--Education.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,000/be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954 in respect of Grant No. LVIII, Major Head 37-- Education.

Demand No. LIX, Head 39—Public Health.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 43,000/-- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954 in respect of Grant No. LIX, Major Head 39--Public Health.

Demand No. LX, Head 40--Agriculture.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 500/-- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment du-

[श्री उपाध्यक्ष]

ring the year ending the 31st day of March, 1954 in respect of Grant No. LX, Major Head 40--Agriculture.

Demand No. LXIII, Head 47-Miscellaneous Departments.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,38,000/-- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954, in respect of Grant No. LXIII, Major Head 47- Miscellaneous Departments.

52- Interest on Capital Outlay On Electricity Schemes.	**17,000/-- (Charged).**

Demand No. LXVIII, Head 55-Superannuation Allowances and Pensions.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,01,000/ be granted to H. H the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954 in respect of Grant No. LXVIII, Major Head 55- Superannuation Allowances & pensions.

Demand No. LXIX, Head 57- Miscellaneous

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,000/- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954 in respect of Grant No. LXIX, Major Head 57 Miscellaneous.

Demand No. LXXI, Head 72-Capital Outlay on Industrial Development.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 2,500/-- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954 in respect of Grant No. LXXI Major Head 72-Capital Outlay on Industrial Development.

Demand No. LXXVI Head-R-Loans & Advances by State Government.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,000/- be granted to H. H. the Rajpramukh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1954 in respect of Grant No. LXXVI, Major Head R-Loans & Advances by State Government.

Page No.97

राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १६५४

श्री टीकाराम पालीवाल (अर्थ मन्त्री)—Mr. Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State for the service of the year ending the 31st day of March, 1954.

श्री उपाध्यक्ष—Motion moved.

श्री गोपीलाल यादव—माननीय उपाध्यक्ष, यह कहा गया है कि चूँकि पहले गिलोटिन एप्लाई कर दिया गया था, इसलिये अब इस बिल पर बहस की आवश्यकता नहीं।

मैं इसकी सबसे ज्यादा मुखालफत इसलिये करना चाहता हूँ कि.............

श्री टीकाराम पालीवाल—Is my Hon'ble friend opposing the motion ?

श्री गोपीलाल यादव—Yes.

श्री टीकाराम पालीवाल—I only sought leave.

श्री उपाध्यक्ष—Is it the leave of the House to introduce the Bill.

(स्वीकृत)

The leave is granted.

श्री टीकाराम पालीवाल (अर्थ मन्त्री)—I introduce the Bill.

(विराम)

श्री टीकाराम पालीवाल—I further beg leave to move that the Bill be taken into consideration.

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point of order, Sir, copies of the Bill have not been supplied to the Members and two clear days notice is necessary according to our Rules of Business. Generally the same rules must apply to the Appropriation Bill as they apply to other Bills. Therefore, I object to the motion being made that this Bill be taken into consideration.

श्री गोपीलाल यादव—I support the objection.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Rule 133 on page 55 of our Rules......

श्री उपाध्यक्ष—चूँकि सब ग्रान्ट्स, डिस्कशन होकर पास हो चुकी हैं और यह उन्हीं का एक कन्सोलिडेटेड एप्रोप्रियेशन बिल है इसलिए इस पर कोई खास वाद-विवाद की आवश्यकत नहीं रहती।

कुँ० श्री जसवन्तसिह—ओन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, वाद-विवाद का सवाल नहीं। कॉन्स्टीट्यूशनल ओब्जेक्शन उठाया गया है कि दूसरे बिलों पर जो कायदा लागू होता है वही इस पर लागू होगा। दूसरे बिलों पर जो कायदा लागू होता है वही इस पर लागू होना चाहिये। इसलिए इस बिल को लिया नहीं जा सकता।

श्री जवानसिंह—इस विषय में मैं भी सदन का ध्यान रूल १२२ के प्रोविज़नों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ।

इसमें साफ तौर से यह बताया गया है कि कम से कम तीन दिन पहले बिल को सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहिये, उसके बाद में ही बिल कंसीडर किया जा सकता है।

जहाँ उचित परम्पराओं का सवाल आता है, वहाँ मेरा खयाल है कि सारा सदन ऐसी चीज को मन्जूर करेगा। हमें ऐसी भागदौड़ में इसे नहीं करना है, इसलिए यह उचित होगा कि इस बिल को कन्सीडर करने से पहले कुछ समय जरूर दिया जाय।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं आपका ध्यान दो दिन पहले जो सेमी-ऑफिशियल रूलिंग दी गई थी उसकी ओर दिलाना चाहता हूँ। रूलिंग दी गई थी कि जहाँ एडजोर्नमेंट मौशन की आवश्यकता हो जाय तो जिस वक्त एप्रोप्रियेशन बिल आया उस वक्त आप जो चाहें डिस्कस कर सकते हैं।

एडजोर्नमेंट मोशन लाते समय कह दिया जाय कि एप्रोप्रियेशन बिल आवे तब बहस कर सकते हैं और एप्रोप्रियेशन बिल आये उस समय यह कहा जाता है कि चूँकि माँगे मन्जूर हो गई हैं इसलिए बहस की क्या आवश्यकता है। तो इस तरह क्या सरकार की जनरल नीति के बारे में कुछ बोलें ही नहीं? तो क्या सरकार की नीयत को इस दृष्टि से देखा जाय कि सरकार की जनरल नीति पर सदस्यों को बोलने का मौका ही नहीं दिया जाय?

श्री टीकाराम पालीवाल—Mr. Speaker, Sir, the Rule is very clear. Subject to the provisions of the constitution, the procedure in regard to an Appropriation Bill shall be the same as for bills generally with such modifications as the Speaker may consider necessary. The Speaker has already given his ruling that it is not considered necessary.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Obection is being taken, Sir. The previous rule definitely lays down that two days notice is necessary before the consideration of any Bill can be taken up.

श्री टीकाराम पालीवाल—No, Sir. Then the question is that today the Bill is introduced. Later: discussions are held on this which means that the Bill will be delayed.

श्री गोपीलाल यादव—मेरे मित्र पालीवालजी ने फरमाया कि ....

"With such modifications as the Speaker may consider necessary"

इसका मतलब यह लगाया है कि स्पीकर जैसा भी, जब भी चाहें रूल्स ओफ प्रोसीजर में मोडीफिकेशन करदें।

सेक्शन १२२ में साफ दिया गया है कि:—

"Provided that no such motion shall be made until after copies of the bill have been made avaible for the use of the members, and that any member may objeet to any such motion being made unless copies of the bill have been so made available for three clear days before the day on which the motion is made and such objection shall prevail unless the Speaker in his discretion allows the motion to be made."

अब इसमें सवाल यह पैदा हो सकता है कि स्पीकर को डिस्क्रीशन एलाउ करना चाहिये या नहीं? मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पिछले दो साल से हाउस के प्रिविलेजेज़ को इस तरह कर्टेल (Curtail) किया जा रहा है कि इस सदन में बजट पर कोई बहस ही नहीं हो पा रही है।

अब जो बजट आ रहा है उसमें ७०—८० डिमान्ड्स हैं और बहस के लिए ३ दिन रखे हैं जिनमें से एक एक घंटा तो क्वश्चन ऑवर का चला जाता है। कुल ६ घंटे इस पर बहस के मिलते हैं। ६ घंटों में ७०-८० डिमान्ड्स पर वोट करना, मैं तो कहता हूँ, अभी चाहे फिर पार्लियामेंटरी-अनपार्लियामेंटरी का सवाल उठाया जाय, मैं तो यही कहूँगा कि इससे बढ़कर धाँधलेबाजी कोई हो नहीं सकती।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—Mr.Speaker, I have raised this objection already.

श्री श्रीदाम गोयल—इस सम्बन्ध के रिलेवेन्ट सेक्शन्स १२२ और १८३ हैं। १२२ के साथ साथ १८३ को मुलाहिजा फरमायें तो साफ है कि दोनों दफात में स्पीकर को अख्त्यारात दिये गए हैं। १२२ में इस चेप्टर को मानते हुए लिखा है:—

"Unless the Speaker in his discretion allows the motion to be made.

तथा

Rule 183 also provides—

"......with such modifications as the Speaker may consider necessary".

ऐसी परिस्थिति में ये इन दोनों खण्डों में स्पीकर को जो डिस्क्रीशनरी पॉवर दिये हैं, उनका मतलब यह है कि हाउस का अनमोल समय नाजायज तरीकों से जाया नहीं किया जाय।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—On a point of order, Sir 'नाजायज' शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है क्या मतलब है इसका?

श्री चन्दनमल वैद—जो जायज नहीं, वह नाजायज।

श्री श्रीदास गोयल—जितने कट मोशन्स आए उन पर हाउस में डिबेट्स हुई। अब यह बिल खिदमत में आता है तो सिर्फ सैंक्शन की बात है। दो या तीन दिन का जो १२२ प्रोविजन रखा गया है उसके इस्तेमाल की मेरे ख्याल में कोई जरूरत नहीं प्रतीत होती।

श्री उपाध्यक्ष—Let us discuss the Bill on principles. Let us start discussion.

(करतल ध्वनि)

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—Now, it is 12.30 already.

श्री हरिकृष्ण व्यास—This can carry forward to the other day.

श्री उपाध्यक्ष—We can go upto one (P. M.).

श्री टीकाराम पालीवाल—I have not been able to understand what is the objection. Whether the objection is to the motion about the Bill being taken into consideration, or whether the Hon'ble Members want time for discussion.

श्री हरिकृष्ण व्यास—The first objection is in regard to the motion. Then the stage of time will come. The objection primarily is that the Bill should not be taken into consideration.

श्री टीकाराम पालीवाल—That I think rests with the Speaker entirely and a ruling has already been given.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Yes.

श्री टीकाराम पालीवाल—The Speaker has already allowed the motion.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—On a point of order, what I have to submit is this :

क्या हमारे माननीय मन्त्री का यह विचार है·········

श्री टीकाराम पालीवाल—Sir, as regards discussion, I subnit that House has passed all these Grants and the discussion stage was almot over, but if there are any new points to be raised I will be the last person to shri'k any discussion or to make any attempt on curtailment of the pivileges of this House. But we haven't got any time at our disposal as we have already

[श्री टीकाराम पालीवाल]

begun the consideration of this Bill. I think we will have lesser time to discuss many other things.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—Why ?

श्री टीकाराम पालीवाल—Or we will have to sit during holiday.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—If necessary, I am prepared for it.

श्री टीकाराम पालीवाल—I am also prepared.

श्री हरिकृष्ण व्यास—And next time Government will also have to call the session earlier

श्री टीकाराम पालीवाल—We will be prepared for that also.

माननीय उपाध्यक्ष, जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात.........

(श्री उपाध्यक्ष कुछ कहने को खड़े हुए)

श्री चन्दनमल—I have to say something.

श्री जसवन्तसिंह—Against the Speaker ?

(श्री जसवन्तसिंह से) You are not the 'Speaker'.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—What are you ? You are a member in the House as much as I am. You have no right to interrupt. The position is this that हमारी गवर्नमेंट यह ख्याल करती है कि गवर्नमेंट जो बेजाब्तगि करे, उनको चेअर (अध्यक्ष) सपोर्ट (समर्थन) करे। मगर मैं यह कहूँगा कि चेअर की स्थिति इम्पार्शियल जज (तटस्थ न्यायाधीश) की है.........

श्री टीकाराम पालीवाल—मैं कुछ आपके बीच में इन्टरप्ट करना चाहता हूँ।
These are utterances not warranted.

श्री उपाध्यक्ष—We may give one day for discussion of this Bill. On Monany we will discuss this.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Then the time-table is extended accordingly.

श्री उपाध्यक्ष—Yes.

श्री हरिकृष्ण व्यास—No budget will be presented to day ?

श्री टीकाराम पालीवाल— (Emphatically) Budget has to be presented today at 4 00 P. M.

श्री उपाध्यक्ष—The budget will be presented today. A short time for discussion of this Appropriation Bill I have given you, as the Members wanted to discuss it. Today we adjourn,......

श्री टीकाराम पालीवाल–Or we might sit longer and we can sit for another hour.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—Not agreed.

श्री उपाध्यक्ष--We have to meet again at 4,00 P. M. Now we adjourn.

(सदन की कार्यवाही १२-१५ मध्यान्होत्तर पर संध्या के ४ बजे सायंकाल तक के लिये स्थगित हुई ।)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनाँक—१२ मार्च, १९५४.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा ।

परिशिष्ट १

(प्रश्न संख्या १८२ के (ग) तथा (घ) भाग का उत्तर)

Relevant portions of Report on visit to Rajasthan.

Period of visit January 29. February 2. 1954.

I first visited Sankra where a convention was being held by the Chief Minister which was attended by the Commissioners and the Heads of Departments in the State. The inhabitants of Sankra and the surrounding areas are said to live on dacoity as the primary means of livelihood.

Jaisalmer State as a whole presents the most inhospitable raw surface, so far as human life is concerned. Jaisalmer covers an area of 15000 square miles with a population of about one lakh including the population of the town of Jaisalmer the Headquarters of the ex-ruler. It is a desert country where nothing grows for want of water, except weeds and some kind of desert grass that can serve as fodder for sheep and cattle. Water even for drinking purposes is conspicuous by its absence and if at all it can be located, it is normally at a depth of about 300 to 400 feet. People travel in caravans over miles for collecting drinking water. Government in the past is said to have done nothing for the people living in the countryside. People were left to the mercy of nature rainfall being 5" once every five to ten years.

The people, both men and women, are extremely vital. They are hard working and used to taking almost super-human risks for a living. With raw nature as it stands, and in the absence of any aid from Government, I wonder if there could any other course open to the people. It is an acknowledgement of this fact that obviously prompted the Chief Minister of Rajasthan to take a live interest in the hard pressed people of this area.

As a result of discussions that took place during the convention, which incidentally was presided over by the Chief Minister it has been tentatively decided that some NES Blocks will be sited in this area out of the next allotment. This is a very welcome decision.

Shri A. D. Bohra, the Chief Planning Officer to the CPA visited the area at the invitation of the Chief Minister of Rajasthan. He has already drawn up a line of approach for the development of this area. His recommendations were discussed threadbare at the meeting of Departmental Heads at Sankara. I fully concur with recommendations. I should strongly recommend that the State Govt. may take immediate initiative for allotment of NES Blocks for this area out of the next quota.

Northern boundary of the Jaisalmer State, now Jaisalmer Tehsil, is the common frontier between India and Pakistan, Communications are conspicuous

by their absence. The Railway line extends upto Pokaran a distance of about 65 miles from the town of Jaisalmer which is the nerve centre of the area. Communications are essential if this strategic area is to be suitably developed. Jaisalmer is a desert country, but we live in the age of science and therefore, it should not be very long before we can devise alternative methods of bringing water to the surface. If water can be secured, the area should serve to absorb a substantially large section of our surplus population. The area extending over 15000 sqare miles lying untilised with a meagre population of 7 per square mile in the present are of science is an anti-climax, when there are areas in India bursting with a population density of 2000 to 5000 per square mile. The subject is worth studying. The area is inhabited by people of a turbulent character. I met hundreds of them. They appeared extremely well meaning people and in many respects far more desirable neighbours than our so-called civilized citizens.

Overall recommendation for the Rajasthan state.

Rajasthan is relatively spursely populated. It was under Indian States at one time. The population except in the capital cities received not only no attention from the Government but lived only to maintain the few purple spots with their ivory towers. Both the people as well as the natural resources are more or less in their virgin state. Now that a decision has been taken to cover the whole country with the National Extension Service in the course of the second Five-year Plan, it is imperative that effort be made from right now to establish requisite training facilities, in all fields of activities covered by the programme.

As implied earlier, Rajasthan has tremendous potentialities. The resources placed by the Government of India are substantially unlimited. If the two are to meet, certain basic factors have to be given immediate attention.

Sd. S. K. Dey

18-2-1954.

All Members of the Central Committee

All Officers of the CPA

Director of Community Projects, Govt. of Rajasthan, Jaipur (6)

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या १६६ का उत्तर देखिये)

सूची अ

(क) १. पीपाड जोधपुर डिविजन

२. पीपल्दा जयपुर डिविजन

१६५३

३. सादड़ी प्रसूति हॉस्पीटल

४. कुचामनरोड प्रसूतिगृह

५. रतनगढ़ जनाना अस्पताल

६. बेड़ला डिस्पैन्सरी

७. शिव एड पोस्ट

८. डैह एड पोस्ठ

६. लिक्सर एड पोस्ट

१०. पिपलु एड पोस्ट

११. आगरा अस्पताल एवं प्रसूतिगृह

(ख) जिला जोधपुर	१
जिला जयपुर	१
जिला नागोर	३
जिला चुरू	१
जिला उदयपुर	१
जिला बाड़मेर	१
जिला पाली	१
जिला जालोर	१
जिला टोंक	१

सूची-आ

एक वर्षीय योजना में खोले जाने वाले औषधालयों की सूची :

क्रम संख्या,	नाम औषधालय,	डिविजन	डिस्ट्रिक्ट	विवरण
१	जोबनेर	जयपुर	जयपुर	
२	गीजगढ़	जयपुर	जयपुर	
३	धूला	जयपुर	जयपुर	
४	बिग्गु	बीकानेर	बीकानेर	
५	चोकड़ी तोपखाना (यूनानी)	जयपुर	जयपुर	
६	कुन्डन	जयपुर	सीकर	
७	मन्डोर	जोधपुर	जोधपुर	
८	मेरून्डा	जोधपुर	जोधपुर	
९	लुणवा	जोधपुर	नागोर	
१०	मुन्डारा	जोधपुर	पाली	
११	मग्गु	जोधपुर	नागोर	
१२	सालमगढ़	उदयपुर	चितौड़गढ़	
१३	मोड़का निम्बाहैड़ा	उदयपुर	भीलवाड़ा	
१४	कोल्यारी	उदयपुर	उदयपुर	
१५	फतहनगर (यूनानी)	उदयपुर	उदयपुर	
१६	जास्मा	उदयपुर	उदयपुर	
१७	तातारपुर	अलवर	अलवर	
१८	शिमला	अलवर	झुंझुनू	
१९	थूल	भरतपुर	नगर	
२०	चान्दोती	भरतपुर	भरतपुर	
२१	पपरेरा	भरतपुर	भरतपुर	
२२	घाटोल	डूंगरपुर	बांसवाड़ा	
२३	टाकरड़ा	डूंगरपुर	डूंगरपुर	
२४	बड़ाखेड़ा	कोटा	बूंदी	
२५	उन्डवा	कोटा	कोटा	
२६	कलाना	बीकानेर	गंगानगर	

Page No.107

क्रम संख्या,	नाम औषधालय,	डिविजन	डिस्ट्रीक्ट	विवरण
२७	वीरवास	बीकानेर	तारानगर	
२८	अजीतपुर	बीकानेर	गंगानगर	
२९	बन्धनाऊ	बीकानेर	सरदार शहर	
३०	रेड़ का बरवाड़ा (यूनानी)	बीकानेर	बीकानेर	
३१	कैयराथल	बीकानेर		
३२	शेरड़ा	बीकानेर	गंगानगर	
३३	शेरेखां	बीकानेर		
३४	काकड़ा	बीकानेर		

एक नाम सरकार के विचाराधीन है।

परिशिष्ट ३

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो प्रश्न-समय में न लिये जा सकने के कारण सदन की मेज पर रखे गये)

प्रश्न

२०७. (३३/एम. एच. एम.) श्री जगतसिंह झाला एम. एल. ए. डिविजन नम्बर ६४—क्या स्वास्थ्य विभाग के मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(अ) आयुर्वेदिक औषधालय बड़ी सादड़ी से कांकरोली क्यों ले जाया गया ?

(आ) क्या सरकार इसे वापस कांकरोली से बड़ी सादड़ी या बड़ी सादड़ी तहसील के किसी अन्य स्थान पर ले जाने का विचार कर रही है ?

(इ) यदि हाँ, तो कब तक ?

उत्तर

(अ) बड़ी सादड़ी में एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरियां दोनों ही थीं। जनता के हित में यह उपयुक्त समझा गया कि औषधालय को अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया जाए। कॉंकरोली प्रमुख तीर्थ स्थान है और प्रति माह हजारों वैष्णव यात्री आते हैं जो एलोपैथिक औषधि ग्रहण नहीं करते। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए यह औषधालय कॉंकरोली स्थानान्तरित कर दिया गया जो यात्रियों के हित में है।

(आ) जी नहीं।

(इ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

प्रश्न

२०८. (६३/सी. एम.) श्री चाँदमल मेहता एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ८७—क्या उद्योग मन्त्री निम्न प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

१. राजस्थान में टेक्सटाइल मिल्स कितनी हैं और उनमें से किन किन को कस्टमड्यूटी से मुक्त रहने की सुविधायें प्राप्त हैं ?

२. क्या कस्टम ड्यूटी से मुक्त रखने की सुविधा राजस्थान के एकीकरण के पहले से ही है ?

३. क्या किशनगढ़ की टेक्सटाइल मिल्स को कस्टम ड्यूटी के रूप में रुपये अमानत जमा कराने पड़ रहे हैं ?

४. यदि हाँ, तो अब तक कितनी रकम अमानत जमा है ?

५. क्या उक्त मिल को राजस्थान के एकीकरण के पहिले कस्टमड्यूटी से मुक्त रहने की सुविधायें नहीं थीं ?

उत्तर

१. राजस्थान में निम्नलिखित सात टेक्सटाइल मिलें हैं :

(१) सादुल टेक्सटाइल, श्री गंगानगर

(२) महाराजा किशनगढ़ मिल्स, किशनगढ़

(३) मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स, भीलवाड़ा

(४) महादेव कोटन मिल्स, भीलवाड़ा

(५) महाराजा उम्मेद मिल्स, पाली

(६) जयपुर स्पीनिंग एन्ड वीविंग मिल्स, जयपुर

(७) कोटा टेक्सटाइल मिल्स, कोटा ।

उपर्युक्त सब मिलों को कस्टम्स ड्यूटी से मुक्ति की सुविधाएँ हैं । किशनगढ़ मिल्स की मयाद तारीख १४.११.५३ को समाप्त हो गई है और इसे आगे बढ़ाने या नहीं बढ़ाने का मामला सरकार के विचाराधीन है ।

२. हाँ ।

३. हाँ

४. इसका रिकार्ड कस्टम्स विभाग में है ।

५. एकीकरण से पहले कस्टम्स ड्यूटी से मुक्त रहने की सुविधायें थीं ।

प्रश्न

२०६. (६४/सी. एम.) श्री चाँदमल मेहता, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ८७— क्या माननीय उद्योग मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे—

(क) हाथ-करघा उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(ख) यदि हाँ, तो वह योजना कब तक कार्यान्वित हो सकेगी ?

उत्तर

हाथ करघे के उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए एक योजना सरकार के विचाराधीन है । आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से अखिल भारतीय हाथ करघा संघ द्वारा जाँच भी की जा चुकी है । जैसे ही योजना के लिए आर्थिक सहायता का प्रबन्ध हो जायगा, उसे कार्यान्वित कर दिया जायेगा ।

प्रश्न

२१०. (३४/एच. एम. एम.) श्री धर्मचंद सपोट्रा, एम. एल. ए. डिविजन नम्बर ३६—क्या माननीय स्वास्थ्य मन्त्री उत्तर-देने की कृपा करेंगे—

करनपुर में औषधालय स्थापित न करने का क्या कारण है ?

उत्तर

क्योंकि करणपुर में एक एलोपेथिक डिस्पेन्सरी मौजूद है।

प्रश्न

२११. (६८/सी. एम.) श्री धर्मचंद सपोट्रा एम. एल. ए. डिविजन नम्बर ३६—क्या मुख्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे—

(अ) सपोटरा, मडरायल, उटगिर, नरौली, किलों पर कितने कर्मचारी (डील) हैं ?

(ब) उनको प्रतिमास क्या वेतन मिल रहा है ?

(स) उन्हें कब से वेतन नहीं मिला है ? और न मिलने का क्या कारण ?

उत्तर

(क) प्रत्येक के सामने कर्मचारी-वर्ग की वर्तमान संख्या दी गई है:—

किला	रिसालदार या किलेदार	डील
१. सपोत्रा	१	६
२. मंद्रैल	१	६
३. उटीगढ़	१	१०
४. नरोली	——	३

(ख) प्रत्येक के सामने वेतन-दर दिये गए हैं, किन्तु उनको १-१-५१ से वेतन नहीं मिल रहा है—

किला	रिसालदार	डील
१. सपोत्रा	रु० २६)	२०) और २१)
२. मंद्रैल	रु० २१) ८ आना	२०)
३. उटीगढ़	३२	२१),२०),१६) व १८)
४. नरोली	———	२१) व १६)

(ग) इन कर्मचारियों को उनका वेतन १-१-५१ से इसलिये नहीं मिल रहा है कि उनकी सेवा की समाप्ति का प्रश्न विचाराधीन रहा है । अब आज्ञा दे दी गई है और उनको जल्दी ही भुगतान कर दिया जायगा ।

(घ) उनको ऐसी अवधि के लिये, जिसमें ये सरका की सेवा में थे, उनका वेतन अवश्य ही मिलेगा । इस आर्थिक वर्ष की समाप्ति के पहले उनके वेतन के वितरण का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

प्रश्न

२१२. (१०१/सी. एम.) श्री धर्मचंद सपोट्रा, एम. एल. ए. डिविजन नम्बर ३६—क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या सरकार पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मंडरायल कस्बे से चम्बल तक सड़क बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

अब तक अन्य अधिक महत्व पूर्ण कार्यों के कारण यह कार्य प्राथमिकता नहीं प्राप्त कर सकता है और इस कारण इस पंचवर्षीय योजना में स्थान न मिल सका, अब दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसे सम्मिलित करने का विचार किया जायगा और यदि सम्भव हो सका तो इसी पंचवर्षीय के योजना अन्तर्गत लेने का प्रयत्न किया जायगा ।

प्रश्न

२१३. (३५/एम. एच. एम.) श्री धर्मचन्द सपोट्रा, एम. एल. ए. डिविजन नम्बर ३६—क्या चिकित्सा व स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(अ) सपोट्रा तहसील में कितने इनओक्युलेटर्स नियुक्त हैं ?

(ब) उन्होंने इस वर्ष किन किन तारीखों में किन किन गाँवों में दौरा किया है और किस-किस गाँव में कितने बच्चों के चीरे लगाये हैं ?

(स) क्या सरकार के यह ध्यान में है कि कितने बड़े इलाके में इनओकलेटर्स की बड़ी भारी कमी है और यह कार्य संतोषजनक नहीं हो रहा है ?

उत्तर

(अ) सपोतरा तहसील में दो वैक्सीनेटर एक सपोतरा और दूसरा करनपुर में तैनात हैं ।

(ब) इस सम्बन्ध की लिस्ट इसके साथ है।

(स) अभी तक कोई शिकायत नहीं थी; अब जाँच की जायगी।

Statement of vaccination work of Sapotra Circle from 16-10-1953

Dates of Visit.	Name of villages in which vaccination performed.	Total vaccination
15-10-53 & 16-10-53	Rai Madhra.	10
17 to 23-10-53 and31-10-53.	Amargarh.	41
20-10-53.	Kalagudha.	7
25th to 27th Oct. and30th Oct.	Amarwar	43
28, 29th Oct., 18th Dec. and 23rd Dec.	Narauli	71
1st Nov. & 17th Dec. 2nd & 7th	Gothra	13 plus 6
Nov., 6th Nov.	Gothra	8
3-11-53.	Mijhora.	14
4th & 5th Nov. 53	Bajna.	12 plus 7
9th Nov.	Bapoti.	9
10-11-53	Tursingh pura	11
11 & 12 Nov. 53	Gajjupura	14
13 & 14-11-53.	Bapauti pura Ghasandi	23
14th Nov. 53	Gopi pura.	3
15th Nov. 53	Buda Bajna.	3
16th Nov. 53	Inati School	31
17th Nov. 53	Anati	8
18th Nov. 53	Dulwas	14
19th Nov. 53	Khawda.	13
20th & 21-11-53	Bukna.	22
22-11-53	Bishana	8
23-11-53	Ratan pura	3
24-11-53	Inaty Sapotraki	24
25-11-53	Inayati.	10
26-11-53	Luloj	7
27-11-53	Lalooj	8
28-11-53	Inayati Jhonpri.	9
-do-	Sapotra	9
30-11-53	Gajjupura	2
1 & 5-12-53	Aruda	21

Dates of Visit.	Name or villages is which vaccination performed.	Total vaccination
2 to 4-12-53	Baroda.	30
6-12-53	Baroda puremen	12
7-12-53	Sapotra	3
9-12-53	Choragaon	13
10-12-53	Kanpur	5
12 to 13-12-53	Jirota	40
14th & 15th Dec. 52	Sapotra	4
16th Dec. 53	Raneta	7
24-12-53	Ghoragaon	2
1st to 3rd Jan. 1954	Bhartoon	32
4th to 5th Jan. 1954	Masaota	23
7th Jan. 54	Sapotra	2
8th Jan 54	Narauli School	5
9th, 11th, 12th & 24th Jan. 1954.	Dabra	45
10th Jan. 54	Khirkhira	11
13-1-54	Sapotra	8
15-1-54	Nimoda	7
16-1-54	Bhartoon Jhonpra	5
17-1-54	Khirkhiri	17
18-1-55	Khedla Jhonpra	10
19-1-54	Khedla Danda	14
20, 21, 23 & 31 Jan. 54	Khandela	48
23-1-54	Sapotra	2
24-1-54 to 30th Jan. and 7-2-54	Baroti	74
1st to 6th Feb. 54 16th & 8th Feb. 54	Salampur	135
9th Feb. 54 to 12th Feb. 15th, 23, 24th Feb. 54	Kurgaon	103
13-2-54	Gokalpur	6
14-2-54	Rampur	5
17th & 18th Feb. 54	Mahmadpur	20
19th, 21st & 22nd Feb. 54.	Mandawara	29
25-2-54	Jatwari	1
26-2-54	Huma	17
27-2-54	Hajampur Jhonpra	8
28-2-54	Bad Jiwan Singh	16

Statement of Vaccination work performed by Vaccinator Shri Jahoor Mohd. at Karanpur for Tehsil Sapotra from 15-10-53:—

Dates of Visit.	Name of villages in which vaccination performed.	Total vaccination
15-10-53	Chhoti Patti Karaika	4
16-10-54	Chari Ka Har	6
17-10-53	Karai	6
18-10-53	Bahadurpur	5
19-10-53	Bhuriayka	6
20-10-53	Besuri Chamar	3
21-10-53	Besuri	2
26-10-53	Sonpur	8
27-10-53	Chhatarpura	4
28-10-50	Raiveli	6
29-10-53	Daultpura	5
30-10-53	Bahaduren	8
3rd Nov. 53	...do...	8
4-11-53	Chaubeki	10
5-11-53	Alwatki	12
10th to 31-1-54	Semri	8
11-11-53	Amleki	5
12-11-53	Khaleki	4
13-11-53	Barki	4
14-11-53	Nareki	4
15-11-53	Daulatyanki.	7
16-11-53	Lakhruki	2
19-11-53	Gundarkhuhra	4
20th to 22nd Nov.	Karanpur	17
23-11-53	Talapura	3
23-11-53	Chhoti Patti	6
25-11-53	Rantha	3

Dates of Visit.	Name of villages in which vaccination parformed.	Total vaccination
26-11-53&7-1-54	Kārilpura	9
27-11-53	School	27
28-11-53	Karanpur	2
5-12-53	Mahal	11
6-12-53	Tahankari	6
7-12-53	Bhonpura Mauza Karilpura	5
8-12-53	Kuhathi	8
9-12-53	Shonpura	6
10-12-53	Churmol	5
11-12-53 to 12-12-53	Arura	9
13-12-53	School	11
17-12-53	Kosra	13
18, 24, 29th Dec. 53 & 9th Jan. 54	Pator	27
19-12-53	Bahadi	28
20, 21, 23rd Dec. 53.	Kased	26
22-12-53	Basedi	21
25, 26th Dec. 53 .	Bhamuda	10
27-12-53	Manikpura	6
28-12-53	Mandibhat	8
5th & 6th Jan. 54	Shobara	27
6-1-54	Gadigaon	10
7-1-54	Tagariya	10
8-1-54	Tawar	8
14-1-54	Nanadpur	11
15-1-54	Tohan	5
16-1-54	Talapura	7
20th & 21st Jan. 54	Kamukhari	12
22-1-54	Manki	8

Dates of Visit.	Name of villages in which vaccination performed.	Total vaccination
23-1-54 & 24-1-54	Ahaki	11
25-1-54	Ladeki Tagaria	10
28-1-54	Bahadur Pur	31
29-1-54	Amleki ki	31
20-1-54	Alawki	4
29-1-54	Shivpur	8
30-1-54	Rahar	26

प्रश्न

२१४. (१०३/सी. एम.) महाराज कुमार श्री ब्रजेन्द्रपाल, एम. एल. ए. डिविजन नम्बर २३—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सच है कि एक पुलिस सब इन्सपेक्टर ने एस. डी. ओ. करोली की अदालत में रिश्वत ली ?

(२) क्या यह सच है कि रिश्वत के नोटों पर एस. डी. एम. के दस्तखत थे ?

(३) क्या यह सच है कि एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट तथा डी. एस. पी. करौली के सामने रिश्वत बरामत हुई ?

उत्तर

(इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

प्रश्न

२१५. (१०४/सी. एम.) महाराजकुमार श्री ब्रजेन्द्रपाल, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर २३—क्या प्लानिंग मन्त्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) जिला सवाई माधोपुर के लिए कितने नये डेवलपमेंट ब्लॉक्स की स्वीकृति दी गई है ?

(२) करौली की बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या सरकार एक डेवलपमेंट ब्लॉक की स्वीकृति देगी ?

(३) यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) फिलहाल कोई नए डेवलपमेंट ब्लॉक (Development Block) की स्वीकृति नहीं की गई है।

(२) यह विचाराधीन है।

(३) यदि संभव हुआ तो आगामी अक्टूबर मास तक हो सकता है।

प्रश्न

२१६. (३७/एम. एच. एम.) **महाराजकुमार श्री ब्रजेन्द्रपाल, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर** २३—क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे ?

क्या सरकार को यह मालूम है कि सब तहसील मंडरायल सब डिविजन करौली की जन संख्या १८००० होने पर भी वहाँ पर आवश्यक चिकित्सालय का प्रबन्ध नहीं है ?

उत्तर

चिकित्सा के लिये मंडरायल में एक एलोपेथिक डिस्पेन्सरी है।

परिशिष्ट ४

(अतारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सदन की मेज पर रखे गये)

प्रश्न

(१) (१३ एम. एच. एम.) श्री मुक्तिलाल मोदी, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १०८;—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगेः—

(क) श्री मांगीलाल सवाई मानसिंह अस्पताल में कब से तैनात हैं ?

(ख) सवाई मानसिंह अस्पताल में श्री मांगीलाल किस पद पर है और उनके क्या-क्या फंक्शान्स हैं ?

(ग) क्या श्री मांगीलाल पर अस्पताल में किसी महिला ने चाकू से वार किया ?

(घ) क्या सरकार ने इस घटना की जाँच कराई ?

(ङ) श्री मांगीलाल अस्पताल में तैनात होने से पूर्व किस ओहदे पर क्या काम करते थे ?

उत्तर

(क) श्री माँगीलाल सवाई मानसिंह अस्पताल में ता० २२.१२.५१ से नियुक्त हैं।

(ख) श्री मांगीलाल स्थानीय सवाई मानसिंह अस्पताल में ऐडमीनीस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद पर नियुक्त हैं। इस पद की नियुक्ति के नाते श्री माँगीलाल प्रिन्सीपल मेडीकल आफिसर के शासन-सम्बन्धित कार्यों में सहायक का कार्य करते हैं और प्रिन्सीपल मेडीकल ऑफिसर इनको जो-जो कार्य दफ्तर अथवा अनुशासन सम्बन्धी, जिसमें टैकनीकल एवं आर्थिक सम्बन्ध न हों करने के लिये नियुक्त करते हैं; यह कार्य श्री मांगीलाल करते हैं।

(ग) जी हाँ।

(घ) इस घटना की जाँच पुलिस द्वारा की जा रही है।

(ङ) इस घटना की जाँच पुलिस द्वारा जारी है और वह जब तक पूर्ण न हो इस सम्बन्ध में सत्य क्या है, कुछ नहीं कहा जा सकता।

(च) श्री मांगीलाल इस अस्पताल में नियुक्ति के पूर्व श्री मुख्य मन्त्री के दफ्तर में ऑफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट एवं निजी सहायक के पद पर कार्य करते थे।

राजस्थान विधान सभा

सातवीं बैठक, शुक्रवार–१२ मार्च, सन् १९५४ ई०

(सायंकालीन बैठक)

विधान सभा की बैठक सभा-भवन, जयपुर में मध्यान्होत्तर ४ बज कर १० मिनट पर प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

सन् १९५४-५५ के आय-व्ययक की प्रस्तुति के समय भाषण

श्री अध्यक्ष—श्री टीकाराम पालीवाल ।

श्री टीकाराम पालीवाल (वित्त मंत्री)—

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सरकार का १९५४-५५ का बजट प्रस्तुत करता हूँ। इस राज्य की आवश्यकताएं तो बहुत हैं, पर साधन सीमित हैं। एक ओर तो बढ़े हुए प्रशासनिक कार्यों के लिए, सामाजिक सेवाओं का स्तर ऊँचा करने के लिए तथा अन्य अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रुपये की आवश्यकता है, दूसरी ओर धन का अभाव है। केन्द्र के साथ वित्तीय एकीकरण का परिणाम यह हुआ है कि आमदनी के अधिकांश ऐसे साधन जिनमें वृद्धि की आशा की जा सकती है, जैसे कि रेलें, डाक, तार, टैलीफोन इत्यादि हमारे हाथ से निकल गये हैं। परन्तु मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि केन्द्रीय सरकार हमारी आवश्यकताओं को पूरी तरह समझती है और इस परिवर्तन-काल में उसने हमें पर्याप्त आर्थिक सहायता देना स्वीकार कर लिया है ताकि हम अपनी कमी को पूरी कर लें और अब तक जिन विशेष रुकावटों के कारण हम आगे बढ़ने में असमर्थ रहे हैं उन्हें दूर कर सकें।

यह बात पूर्णतया स्पष्ट है और विस्तार से बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि भाग 'क' या अधिक समुन्नत भाग 'ख' के राज्यों के स्तर तक पहुँचने से पहले हमें विभिन्न दिशाओं में भारी धन-व्यय करने की आवश्यकता है।

यदि हम अपनी विरासत पर नजर डालें तो मालूम होगा कि कुछ इकाइयों को छोड़ कर जिनमें प्रगतिशील प्रशासन के निर्माण के प्रयत्न जारी थे, बाकी में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिसको प्रशासन भी कहा जा सके।

[श्री टीकाराम पालीवाल]

एकीकरण के उपरान्त एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था बनाना आवश्यक हो गया जो वैय क्तक विचारों और इच्छाओं पर निर्धारित न हो। इस प्रकार की पेचीदा व्यवस्था निश्चय ही खर्चीली होगी। इसके अतिरिक्त, नई व्यवस्था बनाने में इस बात का भी ध्यान रखना पड़ा कि वह संसदीय शासन-व्यवस्था के अनुकूल बन जाय। इसके परिणाम-स्वरूप बहुत अधिक व्यय की व्यवस्था करनी पड़ी है।

माननीय सदस्यों के आगामी वर्ष के बजट अनुमानों को भलीभाँति समझने की सुविधा के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें उन आर्थिक परिस्थितियों से, जिनका असर बजट पर होने वाला है, अवगत करा दिया जाय।

द्वितीय विश्व युद्ध तथा विभाजन का देश की आर्थिक दशा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उस समय जीवन की नितान्त आवश्यक वस्तुओं का भी अभाव था। भोजन तथा जूट एवं कपड़े के उद्योगों के लिये कच्चे माल तक की कमी थी। देश की क्षत् विक्षत आर्थिक अवस्था के पुनः निर्माण के लिये एक राष्ट्रीय विकास योजना बनाई गई। इस योजना को चालू किये अभी करीब तीन वर्ष समाप्त हुए हैं। आगे चल कर मैं यह भी बताऊँगा कि राजकीय योजना कैसी चल रही है? यहाँ मैं आर्थिक अवस्था में हुए परिवर्तनों पर ही संक्षेप में प्रकाश डालूँगा। बड़ी-बड़ी योजनाओं के क्या परिणाम आते हैं यह तो कुछ समय बाद मालूम होगा लेकिन जो कुछ जानकारी प्राप्त है, उसे व अन्य सब बातों को देखते हुए उपज एवं कीमतों के स्तरों में सामान्यतः सुधार के स्पष्ट लक्षण नजर आते हैं। चालू वर्ष का बजट तैयार करते समय यह आशा थी कि देश की आर्थिक दशा में काफी सुधार हो जायगा। वह आशा ठीक ही उतरी है। अनाज तथा कच्चे माल के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। कुछ अस्थायी एवं सामयिक कारणों को छोड़कर, जिनसे कि कीमतों में मामूली वृद्धि हुई, कीमतों को बढ़ने से रोकना सम्भव हुआ है और पिछले कुछ महीनों से कीमतें लगातार गिर रही हैं। अनाज की पैदावार में सुधार होने के परिणाम-स्वरूप अनाज की कीमतों में कमी हुई है। आयात में धीरे-धीरे कमी करने की नीति को कायम रखा गया है। कन्ट्रोल सम्बन्धी विभिन्न आज्ञाओं को शिथिल करना सम्भव हुआ है जिससे चारों ओर संतोष की भावना नजर आ रही है। व्यापार तथा वाणिज्य से लाभ में कमी हो जाने का एक कुपरिणाम यह हुआ कि कुछ बेरोजगारी बढ़ी है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें इस समस्या के प्रति सजग हैं। स्थिति का सामना करने के समस्त सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं। शिक्षित व्यक्तियों में जो बेरोजगारी अधिक दिखाई पड़ रही है उसका कारण यह है कि जनसंख्या बढ़ गई है तथा उच्च शिक्षा के लिए भी अधिक सुविधाएँ दी गई हैं। शिक्षा सम्बन्धी नीति को नये ढाँचे में ढालने की आवश्यकता को मान लिया गया है तथा देश की समस्त सरकारें शिक्षा के मौजूदा ढांचे का पुनः निर्माण करने का विशेषरूप से प्रयत्न कर रही हैं। सेन्ट्रल एडवाइज़री बोर्ड ऑफ एज्यूकेशन ने शिक्षा प्रणाली में सुधार के सम्बन्ध में युनिवर्सिटी तथा सेकिन्डरी एज्यूकेशन कमीशन के प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिये व्यावहारिक कदम उठाने की सिफारिश की है। यह सिफारिश की गई है कि मौजूदा सैकिन्डरी स्कूलों में से कुछ स्कूलों को विविध प्रयोजन पाठशालाओं में परिणत कर दिया जाये। राज्य का शिक्षा विभाग उन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये योजनाएँ बना रहा है और यह आशा की जाती है कि आगामी वर्ष के

[श्री टीकाराम पालीवाल]

दौरान में हम इस दिशा में अच्छी प्रगति कर सकेंगे। बजट अनुमान में इस प्रयोजन के लिये पर्याप्त रकम की व्यवस्था की गई है।

यद्यपि, विशाल सिंचन परियोजना के कार्यक्रम, सड़क और भवन-निर्माण के कार्यक्रम, स्थानीय विकास कार्यों का सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार-सेवा योजनाओं, नये स्कूलों के खोलने आदि के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी के लिये पर्याप्त अवसर प्रदान करना सम्भव हो सकेगा तथापि शहरी क्षेत्रों में नौकरी की माँग की पूर्ति करना कठिन होगा। बजट अनुमानों में तरह-तरह की कला सिखाने वाले टेक्निकल प्रशिक्षण केन्द्र, और पशु-चिकित्सालय, विद्यालय, नर्सों, दाइयों व स्वास्थ्य निरीक्षकों के प्रशिक्षण के लिये संस्थायें खोलने आदि की योजनायें रक्खी गई हैं, फिर भी यह एक ऐसी समस्या है जो सीढ़ी दर सीढ़ी ही सुलझाई जा सकती है। फिर भी मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूँ कि राज्य के साधनों को देखते हुए जो कुछ भी करना सम्भव हो सकेगा उसे करने में कोई बात उठा नहीं रखी जायगी। उद्योग, व्यापार और अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी और गैर सरकारी व्यक्तियों की एक समिति बेकारी की स्थिति का सामना करने के उपाय सुझाने के लिये स्थापित कर दी गई है।

आर्थिक प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में कुल मिला कर यह विचार बनता है कि आगामी वर्ष में पर्याप्त सुधार हो जायगा। रबी की फसल अच्छी होने की आशा है और यदि कोई अकल्पित घटना हुई तो हम आगामी वर्ष में सामान्य स्थिति की आशा कर सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में घटनाओं का जो रुख है उससे निस्संदेह चिन्ता उत्पन्न हो रही है लेकिन हमें इससे भयभीत नहीं होना चाहिये; क्योंकि हमारे देश का भाग्य हमारे नेताओं के हाथों में पूर्णरूप से सुरक्षित है।

आर्थिक पृष्ठभूमि का सूक्ष्म हाल प्रस्तुत करने के पश्चात्, मैं पिछले तीन वर्षों के वित्तीय कार्यों का सूक्ष्म विवरण प्रस्तुत करता हूँ।

१९५०–५१ का लेखा

यद्यपि राज्य का प्रथम नियमित बजट १ अप्रेल १९५० से तैयार किया गया था तथापि, चूँकि विभागों और राजकीय सेवाओं के एकीकरण का काम केवल प्रारम्भ ही किया गया था। अतः नये राज्य की वित्तीय स्थिति का स्पष्ट चित्र प्रथम बजट में प्रस्तुत नहीं किया जा सका। सन् १९५०–५१ में कुल आय १३६.५३ लाख की हुई। राजस्व में से किया जाने वाला व्यय १३९१.२९ लाख रुपये का हुआ और इस प्रकार उस वर्ष में राजस्व में ६९.२४ लाख की बचत रही। पूँजी व्यय का योग २००.७३ लाख रुपये का रहा।

१९५१-५२ का लेखा

१९५१-५२ के लेखे से प्रकट होता है कि राजस्व की १५५५.१९ लाख रुपये की आय के मुकाबले में कुल व्यय १५७४.७६ लाख रुपये का हुआ। अतः १९.५७ लाख रु० का घाटा रहा। यद्यपि एकीकृत वेतन दरें १९५१-५२ में मंजूर कर दी गयी थीं, तथापि विभिन्न प्रकार की सेवाओं के

[श्री टीकाराम पालीवाल]

एकीकरण करने में विलम्ब होने के कारण, उस वर्ष के आँकड़े राज्य की वित्तीय स्थिति पर नए वेतन दरों का क्या वास्तविक प्रभाव पड़ा, इस तथ्य को नहीं बतलाते हुए, एकीकृत वेतन दरों के परिणाम-स्वरूप लगभग १ करोड़ रुपये का व्यय बढ़ा है। १९५१-५२ में पूँजी की लागत ६०७.१७ लाख रुपये की रही।

१९५२-५३ का लेखा

प्रारम्भ में १९५२-५३ का बजट १६३२.१८ लाख रुपये की आय और १७२५.६६ लाख रुपये का व्यय बतलाते हुए तैयार किया गया था जिससे ९३.४८ लाख रुपये की राजस्व में कमी प्रकट हो रही थी। पूँजी की लागत के बारे में ऐसी आशा की गई थी कि इस वर्ष अनाज की खरीद पर कम रुपया लगेगा और बिक्री से आने वाली रकम अधिक होगी। अतः बिक्री की रकम में ७३ लाख रुपये की बचत का हिसाब लगाते हुए शुद्ध पूँजी व्यय का अनुमान २२.६४ लाख रुपये का ही लगाया गया था।

१९५२-५३ में फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों के अन्तर्गत प्राप्त २६९.८८ लाख रुपये को शामिल करते हुए राजस्व की कुल आय १८१४.७३ लाख रुपये की हुई जिसके मुकाबले में राजस्व से होने वाले व्यय की रकम केवल १५९३.६५ लाख है। वर्ष के अन्त में हमारे पास राजस्व में २२१.०८ लाख की बचत रही। वर्ष में अनाज की बिक्री से हुई १६३.३५ लाख रुपए की आय का हिसाब लगाते हुए शुद्ध पूंजी व्यय ५.०३ लाख रुपए का हुआ।

१९५३-५४ के बजट का अनुमान

अब मैं चालू वित्तीय वर्ष के काम का विवरण उपस्थित करता हूँ। राजस्व की प्राप्तियों के अनुमान का योग १९.४४ करोड़ रुपया था। १९५१-५२ में १५॥ करोड़ से कुछ ऊपर हुई वसूली के मुकाबले में १९५३-५४ में लगभग ४ करोड़ रुपये की वृद्धि की आशा की गई थी। वृद्धि की मुख्य-मुख्य दरें इस प्रकार थीं:—

संघीय आबकारी कर में ७७.७५ लाख रुपए, कृषि आय कर की १५ लाख रुपए की रकम को शामिल करते हुए निगम कर के अलावा आय करों में १८७.७२ लाख रुपये, प्राइमरी शिक्षा के लिए सहायतार्थ अनुदान २० लाख रुपये, जागीर पुनर्ग्रहण एक्ट के लागू कर देने के परिणाम-स्वरूप कुल मिलाकर ५० लाख रुपये की आमदनी तथा १९४९-५० में प्रतिरक्षा सेवाओं पर किये गये व्यय के लिए ५० लाख रुपये की विशेष प्राप्ति, जिसकी भारत सरकार से मिलने की आशा थी तथा जिसके मुकाबले में राजस्थान सरकार की देयता २० लाख रुपये की थी और जिसके भुगतान के निमित्त व्यय के अनुमानों में व्यवस्था कर दी गई थी।

व्यय के अनुमानों में सभी अनिवार्य व्यय शामिल कर लिया गया था।

[श्री टीकाराम पालीवाल]

१६५३--५४ के संशोधित अनुमान

१६५३-५४ के संशोधित अनुमान असल प्राप्तियों और व्यय की गति के आधार पर तैयार किये गये हैं। इनसे इस बात का अनुमान लगाया जा सकेगा कि बजट के विषय में हमारी आशाओं के किस हद तक सफल होने की सम्भावना है।

कुल प्राप्तियों के अनुमानों का योग १८८३.३१ लाख रुपये का है और व्यय की रकमों का कुल योग १८८६.७४ लाख रुपये होता है जिससे प्रकट है कि इस वर्ष के अन्त में बजट में अनुमानित संतुलित स्थिति के मुकाबले में राजस्व ६.४३ लाख रुपये का घाटा रहेगा।

संशोधित अनुमानों में जो आँकड़े लिये गये हैं उनके कारण बजट मैमोरैन्डम में बतलाये गये हैं। तथापि मैं ,महत्त्वपूर्ण सीगों में जो, हेर-फेर हुआ है, उसके विषय में कुछ सूक्ष्म विवरण दूंगा।

"२--संघीय आबकारी कर" के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर हमने ७७.७५ लाख रुपये का अनुमान लगाया था। पर, इस सम्बन्ध में जो अन्तिम सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार हमारा हिस्सा ७३.३४ लाख रुपये का रहा है। अतः इस सीगे में ४.४१ लाख रुपये की कमी बतलाई गई है।

"४--निगम कर के अलावा आमदनी पर कर" के अन्तर्गत इनकम टैक्स की आमदनी में से हमने अपने हिस्से में १८५.२५ लाख रुपये की आशा की थी जिसके बदले सूचना मिली है कि हमको १६४.१८ लाख रुपया दिया जायगा। इस सीगे में आमदनी में कमी का कारण यह है कि विधान सभा में कृषि आयकर अधिनियम के लागू किए जाने योग्य भाग को १ अप्रेल, १६५३ से अमल में लाने का निर्णय किया है जिसका अर्थ यह है कि कर का निर्धारण और उसकी वसूली, जिसकी १ अप्रेल, १६५३ से आरम्भ हो जाने की आशा थी, अब १ अप्रेल, १६५४ से आरम्भ होगी।

"७--भू-राजस्व" के अन्तर्गत जागीरों के पुनर्ग्रहण के सिलसिले में वसूलियों का कुल अनुमान ५० लाख रुपये का लगया गया था। अधिनियम को अमल में लाने में विलम्ब हो गया है। अतः अनुमानों की अपेक्षा प्राप्तियों में कमी रही है। व्यय में २६ लाख रुपये की बचत रही है। दूसरी सामान्य वसूलियाँ की जा रही हैं और उनमें कमी की संभावना नहीं है।

"८--राजकीय आबकारी कर"-- यह एक दूसरा महत्त्वपूर्ण सीगा है जिसके अन्तर्गत ३० लाख रुपये की कमी का अनुमान लगया जा रहा है। यह थोड़ी-सी कमी सामान्य मन्दी और जनसमूह की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण है। दूसरे राज्यों में भी आबकारी कर की आमदनी में कमी हुई है। गैर कानूनी तौर पर शराब तैयार करना भी इस कमी का एक कारण है। समस्त प्रयत्न करने के बावजूद भी गैर कानूनी तौर पर शराब का तैयार किया जाना और उसको चोरी से बाहर निकालना बढ़ ही रहा है। सरकार ने प्रशासनिक मशीनरी को और भी कड़ा कर दिया है जिसके

[श्री टीकाराम पालीवाल]

परिणामस्वरूप पिछले दो महीनों में नतीजा अच्छा रहा है। इन महीनों में हुई वसूली के आँकड़ों से सुधार होना प्रकट होता है।

और भी कुछ सीगे हैं जिनमें कमी दिखलाई देती है। स्टाम्प, रजिस्ट्रेशन, दूसरे कर तथा महसूल, सिंचाई, पुलिस, शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग और रसद, लेखन सामग्री और मुद्रण, तथा भारत सरकार से प्राप्त होने वाले सहायतार्थ अनुदान, ऐसे सीगे हैं, जिनमें वृद्धि हुई है।

उद्योग और रसद के अन्तर्गत वृद्धि का कारण यह है कि सोडियम सल्फेट फैक्ट्री के गत वर्ष के लाभों का समायोजन चालू वर्ष में किया गया है तथा गंगानगर शुगर फैक्ट्री की प्राप्तियों को भी जमा में ले लिया गया है।

जहाँ तक व्यय के अनुमानों का सम्बन्ध है, यद्यपि संशोधित अनुमानों का योग बजट अनुमानों से कम है तथापि कई सीगों में वृद्धि हुई है, जिनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं:—

(१) "१०—वन":४.६६ लाख रुपये (यह वृद्धि बचत के उपाय लागू करने में विलम्ब करने तथा विकास योजनाओं के लिये अतिरिक्त ३.०२ लाख रुपये दे देने के कारण हुई है।)

(२) "१३—अन्य कर व महसूल":—२.०७ लाख रुपये (जागीरदारों को क्षतिपूर्ति की बकाया के भुगतान के लिये, ३.६१ लाख रुपये और स्वीकार किये गये हैं। यह वृद्धि अन्य कई उप-सीगों में कमी हो जाने के कारण आंशिक रूप से संतुलित हो गई है।)

(३) "२५—सामान्य प्रशासन" :—१५.७८ लाख रुपये (कुछ छोटे सीगों में वृद्धि हुई है और दूसरों में कमी।)

[१] **सचिवालय**—बजट अनुमानों के १७,६५,००० रुपयों के मुकाबले में संशोधित अनुमान २०,२६,००० रुपये के हैं जो २,३१,००० रुपये की वृद्धि दिखलाते हैं। यह वृद्धि निम्नलिखित अतिरिक्त व्यय के कारण हुई है :—

(क) ६०,००० रुपये, लेखन-सामग्री के अन्तर्गत पुराने दायित्वों के निबटारे के लिये।

(ख) ३७,००० रुपये वेतन-दरों के समन्वय के लिये (आई. ए. एस. पदाधिकारियों को उच्च वेतन-दरें दी गई हैं व उनके बकाया का भुगतान करना पड़ा।

(ग) १,३४,००० रुपया विस्तारक कार्यों के लिये स्वीकार किये गये, अतिरिक्त पदों के लिये।

[श्री टीकाराम पालीवाल]

[२] विधान सभा सचिवालय—विधान सभा के बजट में वृद्धि का कारण यह है कि एक उप-सचिव का पद और कायम किया गया व सदस्यों को सरकारी प्रकाशन मुफ्त देने के लिये ६,००० रुपये की व्यवस्था की गई।

[३] स्थानीय विकास कार्यों को कार्यान्वित करने के लिये ६ लाख रुपये की जो व्यवस्था इस सीगे के अन्तर्गत दिखाई गई है वह भी वृद्धि के लिये उत्तरदायी है।

[४] "२७–न्याय प्रशासन" :—इसमें वृद्धि होने का मुख्य कारण यह है कि बचत की जिस हद तक आशा की गई थी उतनी नहीं हुई।

[५] "३६–सार्वजनिक स्वास्थ्य" :— इसमें वृद्धि का कारण यह है कि जल प्रदाय योजनाओं के संधारण के लिये अधिक रुपयों की व्यवस्था की गई है।

[६] "५५–वृद्धावस्था वृत्तियाँ व पेंशनों" :—शुरू के कुछ महीनों के वास्तविक खर्चे के आधार पर अधिक रुपयों की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। पेंशनों के विचाराधीन मामलों को अब शीघ्रतर गति से तय किया जा रहा है।

[७] "४०–क–ग्रामोन्नति" :—यह वृद्धि पिछड़ी हुई जातियों के कल्याणकारी कार्यों के हेतु अतिरिक्त रुपये की व्यवस्था करने के कारण हुई है।

[८] "४३–उद्योग व रसद" :—यह वृद्धि गंगानगर शुगर फैक्ट्री के लिये की गई व्यवस्था के कारण हुई है, जिसे सरकार ने लीज़ पर ले लिया है।

[९] "५०–नागरिक कार्य" :—यह वृद्धि पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण के कार्यक्रम के लिये स्वीकार किये गये ५० लाख रुपये के ऋण के एक भाग को इसमें शामिल कर लेने के कारण हुई है।

[१०] "८० क–बहु प्रयोजन नदी योजनाओं पर पूँजी की लागत" :—यह वृद्धि भाखरा परियोजना पर सम्बन्धित राज्यों के संयुक्त कामों पर व्यय की गई रकम में से पंजाब सरकार द्वारा राजस्थान से लिये जाने वाले हिस्से के ४५४ लाख रुपयों को शामिल करने से हुई है। इसका संबन्ध मार्च, १९५१ तक किये गये खर्चे से है।

[११] "८१ राजस्व लेखे के बाहर नागरिक कार्यों के पूँजी लेखे"—यह वृद्धि, पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत सड़क-निर्माण के कार्यक्रम को अधिक प्रगतिशील बनाने के हेतु भारत सरकार द्वारा ऋण के रूप में दिये गये ५० लाख रुपये के कारण हुई है। मौजूदा वर्गीकरण के अनुसार, इस रकम के एक हिस्से की व्यवस्था "५०–नागरिक कार्य" के अन्तर्गत की गई है, क्योंकि एक लाख रुपये से कम लागत वाले काम उस सीगे में दिखाये जाते हैं।

Page No.126

[श्री टीकाराम पालीवाल]

[१२] "८१ क-विद्युत् योजनाओं पर पूँजी की लागत"—यह वृद्धि बिजलीघरों के नवीनीकरण के लिए रखे गये अतिरिक्त रुपये के कारण हुई है, जिसके लिए भारत सरकार ने २॥ करोड़ रुपये का ऋण देने का वचन दिया है।

[१३] "८२-अन्य राज्य कार्यों के पूँजी लेखे"—यह वृद्धि अतिरिक्त रुपये की स्वीकृति भारत सरकार से वर्ष के दौरान में देरी से आने के कारण हुई है।

[१४] "८५क-सरकारी व्यापार योजनाओं पर पूँजी की लागत"—इस वृद्धि का कारण यह है कि बिक्री आशा से कम हुई है।

अन्य सीगों में कमी का कारण यह है कि सेवा-सीगों में व्यय कम हुआ है तथा निर्माण कार्यों में प्रगति धीमी हुई है।

बजट अनुमान १९५४-५५—विभिन्न सीगों के अन्तर्गत अनुमान वर्तमान आर्थिक अवस्था, भावी आशाएं, जिनका अन्दाज इस समय लगाया जा सकता है, और चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों का ध्यान रखते हुए तैयार किये गये हैं। समस्त प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखने का तथा अनावश्यक आशावादिता से दूर रहने का अधिकतम प्रयत्न किया गया है और अनुमानों को युक्ति-युक्त वास्तविक अंकों में ही रखने का प्रयत्न किया गया है। केवल ऐसी ही रकमों को जमा में बतलाया गया है जिनको १९५४-५५ में वसूली हो जाने की संभावना है।

राजस्व प्राप्तियाँ—राजस्व प्राप्तियों के अनुमानों का योग २१,५५,११,००० रु० होता है, जो १९५२-५३ के वास्तविक अनुमानों की तुलना में ३,४०,३८,००० रु० की और चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों के मुकाबले २,७१,८०,००० रुपयों की वृद्धि बतलाता है। "निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर," "भू-राजस्व", "सिंचन" केन्द्रीय सरकार से प्राप्त होने वाला सहायतार्थ अनुदान और प्रति रक्षा पर किये गये व्यय के भुगतान के कारण "विविध" के अन्तर्गत ५० लाख रुपये की प्रत्याशित प्राप्ति के ऊँचे अंक इस वृद्धि के लिये जिम्मेदार हैं। अन्य सीगों के अन्तर्गत भी वृद्धियाँ हुई हैं।

२. संघीय आबकारी कर—भारत सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार केन्द्रीय आबकारी कर में से ७६,८२,०००रु० हमारे हिस्से में आने का अनुमान किया गया है।

४. निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर—निर्धारित सिद्धांत के आधार पर, इस सीगे के अन्तर्गत प्रत्याशित प्राप्तियों में से राजस्थान का हिस्सा २,०७,९०,०००रु० होता है। कृषि आय कर के १५ लाख रु० जोड़ने पर आगामी वर्ष के लिए २,२२,९०,०००रु० का अनुमान लगाया गया है।

[श्री टीकाराम पालीवाल]

'७. भू राजस्व''--१६५२-५३ के वास्तविक अंक ४०७·५८ लाख रुपये हैं और जागीरों के पुनर्ग्रहण से प्रत्याशित राजस्व को निकाल कर संशोधित अनुमान ३८६ लाख रुपये रखा गया है। आगामी वर्ष का अनुमान ४७१ लाख रुपये प्रस्तावित किया गया है। जागीरों से आय का अनुमान १२० लाख रु० लगाया गया है और यदि हम इसमें संशोधित अनुमान के ३८६ लाख रु० जोड़ दें तो अनुमान ५०६ लाख रु० तक पहुँच जायगा। लेकिन यह अनुमान सही नहीं होगा; क्योंकि इन ३८६ लाख रुपयों में रेख चाकरी आदि के ४० लाख रु० भी शामिल हैं जो जागीर पुनर्ग्रहण के बाद प्राप्त नहीं होंगे। इस प्रकार उस अवस्था में यह संख्या ४६६ लाख रुपये ही रह जायगी। कुछ मामूली-सी वृद्धि के पश्चात् ४७१ लाख रुपये का अनुमान प्रस्तावित किया गया है।

८-राजकीय आबकारी कर—आगामी वर्ष का अनुमान संशोधित अनुमानों पर आधारित है। अवैध रूप से शराब खींचने आदि को रोकने के लिए अपनाये गये उपायों से होने वाली वृद्धि धीरे धीरे अफीम खाना कम करने की नीति के कारण 'अफीम' के अन्तर्गत प्राप्तियों में कमी हो जाने से बराबर हो जायगी।

६-स्टाम्प्स—संशोधित अनुमानों के आधार पर आगमी वर्ष मामूली-सी वृद्धि की आशा की जाती है।

१२-मोटरगाड़ी अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियाँ—इस सीगे के अन्तर्गत प्राप्तियों के बढ़ने की आशा है; क्योंकि गाड़ियों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है। १०-वन, ११-रजिस्ट्रेशन, २१-न्याय प्रशासन, २२-कारागार, २६क-ग्रामोन्नति, ३१-सहकारिता और ४४-अधिवार्षिकी की सहायता के निमित प्राप्तियों में संशोधित अनुमानों की तुलना में कोई परिवर्तन होता नहीं दिखाई देता।

अन्य कर और महसूल—प्रस्तावित अंक संशोधित से कम हैं; क्योंकि विक्रय कर के लागू हो जाने से इसमें कमी होने की संभावना है।

१७-सिंचन, नौकानयन, तटबन्धन और जल-निकास संबंधी निर्माण-कार्य जिनके लिये पूँजी लेखे रखे जाते हैं—इस वर्ष गंग नहर के क्षेत्र में दरों में वृद्धि स्वीकार किये जाने के कारण अधिक प्राप्ति होने की आशा है।

१८-सिंचन, नौकानयन, तटबंधन और जल निकास संबंधी निर्माण कार्य जिनके लिये कोई पूँजी लेखे नहीं रखे जाते हैं—सिंचन के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्र के लाये जाने के कारण वृद्धि दिखाई गई है।

२०-ब्याज—संशोधित की तुलना में यह वृद्धि लौटाये जाने वाले आय कर के कारण आगामी वर्ष प्राप्त होने वाले ६ लाख रुपये शामिल कर लेने से हुई है।

[श्री टीकाराम पालीवाल]

२३-**पुलिस**—चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में अधिक भुगतानों के कारण की जाने वाली वसूलियाँ शामिल हैं, इसलिए इसके आधार पर आगामी वर्ष के अनुमान लगाना ठीक नहीं है।

२६-**शिक्षा**—आगामी वर्ष का अनुमान संशोधित से मामूली-सा कम है और कोई वृद्धि नहीं की गई है; क्योंकि हनवंत उपकार निधि से स्थानान्तरण कम होगा।

३२-**उद्योग और रसद**—गंगानगर शुगर फैक्ट्री और आगामी वर्ष में प्रारम्भ किये जाने वाले अन्य छोटे-मोटे उद्योगों से होने वाली कुल प्राप्तियों का हिसाब लगाकर बढ़ी हुई रकमें प्रस्तावित की गई हैं।

३६-**विविध-विभाग**--कमी खासतौर से खानों से होने वाली प्राप्तियों में कमी होने के कारण हैं।

४१-**विद्युत योजनाओं से प्राप्तियाँ**--६ लाख रु० की ऋणात्मक राशि इस कारण दिखाई गई है कि जो आमदनी होगी उससे कम की वसूली की आशा है। विद्युतगृहों के कार्य में सुधार के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। पहले के वर्षों की तुलना में सुधार हुआ है, लेकिन नरेशों से बिजली के दामों की वसूली न होने के कारण और विभागीय बिलों का समायोजन न होने के कारण सारी आमदनी को वसूल करना संभव नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त बहुत से यन्त्रों के पुराने होने के कारण उनका साधारण व्यय अधिक है। ऐसी आशा थी कि चालू वर्ष में आय और व्यय संतुलित हो जायेंगे लेकिन अब तक की वास्तविक प्राप्तियों को देखते हुए संशोधित अनुमानों में भी बजट अनुमानों की राशि को दोहराना ठीक नहीं प्रतीत होता।

४५-**लेखन सामग्री तथा मुद्रण**—अधिक प्राप्तियों की आशा है; क्योंकि छापेखानों में काम बढ़ गया है। जयपुर और जोधपुर के छापे खानों में दो पालियाँ चलाई गई हैं।

४६-**विविध**—इसमें प्रतिरक्षा पर किये गये व्यय के भुगतान-स्वरूप भारत सरकार से मिलने वाले ५० लाख रुपये सम्मिलित हैं। इस राशि की जाँच का कार्य लगभग पूरा हो गया है और केवल भारत सरकार की अन्तिम स्वीकृति का इन्तजार है।

४९-**सहायतार्थ अनुदान**--गाडगिल कमेटी की सिफारिशों के अनुसार दी गई विशेष सहायता की राशि भी सम्मिलित कर लेने के कारण इस मद में वृद्धि हुई है।

५१-**असाधारण प्राप्तियाँ**--इसमें सामुदायिक विकास व राष्ट्रीय विस्तार-सेवा खंडों के सहायतार्थ अनुदान सम्मिलित हैं।

राजस्व से लिया जाने वाला व्यय--नये मदों के ८०,१५,००० रुपयों को सम्मिलित करते हुए व्यय के अनुमानों का कुल योग २१,५५,११,००० रुपये होता है।

[श्री टीकाराम पालीवाल]

अनुमानित आँकड़ों की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

७-भू-राजस्व—१९५२-५३ के १,०२,०२,९५७ रुपयों के लेखा अंकों और संशोधित अनुमानों के १,१०,००,००० रुपयों की तुलना में आगामी वर्ष का अनुमान २,०२,००,००० रुपये का है। इसमें जागीरों के पुनर्ग्रहण के सम्बन्ध में रखे गए लगभग ८० लाख रुपए शामिल हैं, जिनमें से ६० लाख रुपए जागीरदारों को मुआवजा देने के लिए हैं और शेष प्रशासनिक संस्थापनाओं के व्यय के लिए।

जयपुर, बीकानेर और कोटा डिविजनों में संशोधित बन्दोबस्त से सम्बन्धित व्यय के लिए अतिरिक्त रकम की व्यवस्था की गई है।

९-स्टाम्प्स—बिक्री बढ़ने की संभावना के कारण कमीशन के लिए संशोधित आँकड़ों से थोड़ी-सी वृद्धि दिखाई गई है।

१३-अन्य कर और महसूल—वर्ष के केवल कुछ भाग के लिए ही विक्रय कर सम्बन्धी संस्थापन की व्यवस्था करने और मुआवजे की बकाया रकम के भुगतान की व्यवस्था को हटाने के कारण कमी हुई है जो वार्षिक वेतन वृद्धियों इत्यादि से होने वाली वृद्धि के कारण आंशिक रूप से बराबर हो गई है।

१७-ऐसे कार्यों पर व्याज जिनके लिए पूँजीलेखे रखे जाते हैं—पूँजी की लागत अधिक लगाने के कारण व्याज के लिए भी अधिक रकम की व्यवस्था की गई है।

१८-अन्य राजस्व व्यय जो साधारण राजस्व में किया जाता है—साधारण और मरम्मत तथा पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत (एक लाख से कम की लागत वाले) कार्यों तथा सिंचाई के अन्य छोटे-छोटे कार्यों के लिए व्यवस्था की गई है, जिनके लिए खाद्य और कृषि मंत्रालय की स्वेच्छाधीन विशेष रकम में से धन मिलता है।

१९-सिंचन कार्यों का निर्माण—इसके लिए कम रकम की व्यवस्था की गई है, क्योंकि फैडूल फाइनेन्शियल इंटिग्रेशन ऐग्रीमेंट के अन्तर्गत इस प्रयोजन के लिए मिलने वाली रकम से बनाये जाने वाले सिंचन कार्यों का कार्यक्रम पूरा हो जायगा।

२२-ऋण और अन्य दायित्वों पर व्याज—उत्पादक कार्यों पर भारी पूँजी लगाने के कारण १७ और ५२ मदों को इस मद में से अधिक परिवर्तन होंगे, इसलिए इस मद में ऋणात्मक संख्या दिखाई दी गई है।

२:-ऋणों को कम करने या परिवर्जित करने के लिए नियोजन--राजस्व समानीकरण फंड में देने के लिए १५ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

Page No.130

[श्री टीकाराम पालीवाल]

२५–सामान्य प्रशासन—इस मद में अधिक रकम रखे जाने का मुख्य कारण वार्षिक वेतन वृद्धियों इत्यादि तथा अन्य परिवर्तनों के कारण होने वाली मामूली वृद्धि के अतिरिक्त स्थानीय विकास-कार्यों के लिए की गई २१ लाख रुपयों की व्यवस्था है।

२७–न्याय प्रशासन—बचत के लिए किए गए उपायों के परिणामों को ध्यान में रखा गया है पर संशोधित अनुमानों के मुकाबले में फिर भी जो वृद्धि हुई है उसका कारण यह है कि अन्य सीगों में सामान्य वृद्धियाँ और मामूली परिवर्तन हुए हैं।

२८–कारागार और अपराधी बस्तियां—संशोधित अनुमानों के मुकाबले में वृद्धि दूसरे उप सीगों के अन्तर्गत वार्षिक वृद्धियां और परिवर्तनों के लिये व्यवस्था करने के कारण हुई है।

३७–शिक्षा—संशोधित अनुमानों के २८६ लाख रुपयों से बढ़ाकर आगामी वर्ष के लिये ३३५.२० लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। चालू वर्ष में ८०० प्राइमरी स्कूल खोले गये, १० मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल बनाया गया और ५० प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूल। महारानी कालिज, जयपुर में इंटरमीजियेट की कक्षाओं तक जीव-विज्ञान व गणित विषयों में विज्ञान की कक्षाएँ खोली गई हैं। अलवर और भरतपुर में इंटरमिजियेट तक जीव-विज्ञान का नया विषय बढ़ा दिया गया है। कोटा में जीव-विज्ञान की शिक्षा डिग्री कक्षाओं में भी आरंभ कर दी गई है। बांसवाड़ा और चूरू में गणित सहित विज्ञान की इंटरमीजियेट तक शिक्षा देने का प्रबन्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा बनाई गई योजनाओं के अन्तर्गत शिक्षितों में बेकारी दूर करने के लिये एक अध्यापक वाले ५०० स्कूल खोले गये हैं। भारत में टेक्निकल शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को अध्ययन के निमित्त ऋण देने के लिये सरकार ने कुल मिलाकर ६०,००० रुपयों की स्वीकृति दी है। भारत में अफ्रीकी विद्यार्थियों को शिक्षा की अधिक सुविधाएँ देने की भारत सरकार की योजना के अनुसरण में प्रत्येक वर्ष दो अफ्रीकी विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा देने का निश्चय किया गया है।

नेशनल केडेट कोर के ३ सीनियर डिविजन हैं जिनमें ७ कंपनियां व २७ जूनियर डिविजन ट्रूपस हैं। केडेट्स की कुल संख्या करीब १९९१ है और ५५ अच्छी तरह प्रशिक्षित पदाधिकारी हैं। इस वर्ष एक लड़कियों का डिविजन भी जोड़ दिया गया है।

सरकार ने बेसिक ऐजुकेशन की योजना भी स्वीकार की थी। बेसिक ऐजुकेशन के जनतंत्रीय सामाजिक व्यवस्था-निर्माण करने में प्रभावकारी होने के लिये प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होती है। इसलिये शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये प्रबन्ध कर दिये गये हैं। एक पोस्ट ग्रेजुएट बेसिक ट्रेनिंग कालिज, चार बेसिक मॉडर्न स्कूल, पांच सामुदायिक केन्द्र, जिनमें से प्रत्येक में २० गाँव हैं, और प्राइमरी बेसिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये कालिज, खोल दिये गये हैं। इंजिनियरिंग कालिज, जोधपुर में डिप्लोमा कक्षाओं में ३० सीट्स बढ़ाने की योजना बना ली गयी है। इसके

[श्री टीकाराम पालीवाल]

अतिरिक्त आगामी वर्ष के बजट में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा बनाई गई अन्य नई योजनाओं के लिये भी व्यवस्था की गई है।

३८-**चिकित्सा**—"चिकित्सा" के मद में अधिक रकम की व्यवस्था, यह बात ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित की गई है कि ऐसे क्षेत्रों में चिकित्सा की व्यवस्था करना आवश्यक है, जिनमें अभी ऐसी सुविधायें नहीं हैं। चालू वर्ष में ३५ नये आयुर्वेदिक औषधालय खोले गये हैं और १९५४-५५ में भी इतने ही और खोलने का विचार है। इसी प्रकार आगामी वर्ष में ५ या ६ नये एलोपैथिक औषधालय खोले जावेंगे। औषधियों, भोजन इत्यादि के मद में अधिक रकम की व्यवस्था की गई है। अन्य महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाएँ इस प्रकार हैं—

(१) सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलिज में पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाएँ (२) उदयपुर के अस्पताल को उच्च श्रेणी का बनाना (३) जयपुर के छूत की बीमारियों के अस्पताल को नये ढंग से बनाना (४) जिलों के अस्पतालों में सुधार करना (५) दो चलते-फिरते औषधालय इत्यादि।

३९-**जन-स्वास्थ्य**—कर्मचारी वर्ग के मद में १.१९ लाख रुपयों की वृद्धि दिखाई गई है; क्योंकि एसिस्टेंट हैल्थ आफिसर्स के पदों की वृद्धि हो गई है जो पुनर्संगठन की योजना के अन्तर्गत स्वीकार किये गये हैं।

राज्य की पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित १ करोड़ रुपये व्यय करने के कार्यक्रम में से गाँवों में पानी की व्यवस्था करने की योजनाएँ कार्यान्वित करने के लिये, २५ लाख रुपयों की व्यवस्था की गई है। धन की कमी के कारण अब तक लगभग १० लाख रुपये ही खर्च करना संभव हो सका है। दो मलेरिया नियंत्रण यूनिट्स के लिये भी व्यवस्था की गई है।

४०-क-**ग्रामोन्नति**—केन्द्रीय सरकार से अधिक सहायता प्राप्त होने की संभावना के कारण इस मद में बढ़ा कर व्यवस्था की गई है।

४३-**उद्योग व रसद**—वृद्धि का मुख्य कारण यह है कि गंगानगर शुगर फैक्ट्री तथा अन्य उद्योगों को चलाने के लिये पूरे वर्ष के लिये व्यवस्था की गई है।

४७-**विविध विभाग**—तीन श्रम कल्याण केन्द्र तथा अन्य आवश्यकताओं के लिये व्यवस्था की गई है।

५०-**नागरिक निर्माण कार्य**—यातायात तथा भवनों के संधारण के लिये और अधिक रकम की व्यवस्था की गई है। पंचवर्षीय सड़क विकास के कार्यक्रम में से १ लाख से कम लागत वाली सड़कों के लिये ८ लाख रुपयों की व्यवस्था की गई है। इस कार्य के लिये रखे गये १२०. लाख रुपयों में से शेष रकम मद (८१) के अन्तर्गत रखी जा रही है। जैसा कि चालू वर्ष में है

[श्री टीकाराम पालीवाल]

उसी प्रकार ६ लाख रुपये की रकम बड़े शहरों की सड़कों को सुधारने के वास्ते प्रथम रख दी गई है।

५०-क-असाधारण प्राप्तियों में से नागरिक निर्माण कार्यों के लिये लगाई जाने वाली पूँजी की लागत—इस फेडरल फाइनेन्शियल इन्टीग्रेशन के अनुदान में से यातायात के लिये १० लाख रुपये की व्यवस्था तथा प्रशासनिक भवनों के लिये ४० लाख रुपये सम्मिलित हैं।

५२-विद्युत् योजनाओं पर पूँजी की लागत पर व्याज—बिजलीघरों के नवीनीकरण के लिये भारी पूँजी खर्च करने के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, इस मद के अन्तर्गत व्याज के लिये पहले से अधिक रकम की व्यवस्था की गई है।

५४-ख-भारतीय नरेशों के भत्ते तथा निजी खर्चे

निजी खर्चों के लिए राजस्थान सरकार की ओर से दी जाने वाली रकम में कमी की जाने के कारण कम रकम की व्यवस्था की गई है।

५६-लेखन सामग्री तथा मुद्रण

राज्य मुद्रणालयों का काम बढ़ जाने के कारण अधिक रकम की व्यवस्था करना आवश्यक हो गया है।

५७-विविध

प्रतिरक्षा सेवाओं के सम्बन्ध में, २० लाख रुपयों को शामिल करते हुए पिछले दायित्वों के भुगतान की भी व्यवस्था की गई है।

६३-असाधारण प्रभार

कन्ट्रोल हटाने की नीति तथा उसके फलस्वरूप कर्मचारी वर्ग में कमी करने के कारण कम रकम की व्यवस्था की गई है।

६३-ख-सामुदायिक विकास योजनाएं तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा-खंड

कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अधिक रकम की व्यवस्था की गई है।

स्थानीय स्वायत्त शासन

स्थानीय निकाय—स्थानीय निकायों की गतिविधियों में वृद्धि होने के कारण स्थानीय निकायों के संचालक के कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना आवश्यक हो गया है।

[श्री टीकाराम पालीवाल]

चालू वर्ष के बजट में, नगरपालिकाओं की सहायतार्थ अनुदान के लिए ५ लाख रुपयों की विशेष व्यवस्था की गई थी। म्युनिसिपल बोर्ड को अपने पैरों पर खड़े होने की स्थिति में होना चाहिए और सरकार की सहायता पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उनको स्थानीय कर लगा कर अपनी आय बढ़ानी चाहिए। यद्यपि इस दिशा में कुछ सुधार हुआ है तथापि स्थानीय निकायों की स्थिति सुदृढ़ नहीं है तथा वे सरकारी सहायता से चल रही हैं। चालू वर्ष में राजकीय सहायता के अलावा करीब १४ लाख रुपए की सहायता ऋण के रूप में देनी पड़ी थी। आगामी वर्ष के बजट में कुछ समय के लिए विशेष सहायता देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सहायतार्थ अनुदान के हेतु १९ लाख की व्यवस्था करना प्रस्तावित किया गया है जिसमें से ४ लाख डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के लिए है।

पंचायतों को सहायतार्थ अनुदान देने के लिए भी अधिक धन की व्यवस्था की गई है।

पूँजी व्यय:—१९५४–५५–के लिए प्रस्तावित पूंजी बजट का अनुमान कुल मिलाकर ११,१७,२२,००० रुपए का है जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:-

६८.	सिंचन, नौकानयन, तट बंधन तथा जल-निकास कार्यों का निर्माण नये मदों में सम्मिलित कम वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थायी सुधार वाले सिंचन कार्यों के लिये १ करोड़ रुपयों को शामिल करते हुए।	४४१.२० लाख
७०.	जन-स्वास्थ्य के सुधार के लिये पूँजी की लागत।	३.१९ लाख
८०.	क.-विविध प्रयोजन, नदी योजनाओं (भाखरा नांगल योजना) पर पूंजी की लागत।	३९८.७२ लाख
८१.	राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूँजी लेखा (पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सड़क विकास कार्य-क्रम को अधिक वेग से आगे बढ़ाने के लिये)	१३४.४८ लाख
८१.	क.–विद्युत् योजनाओं पर पूँजी की लागत।	१२९.६६ लाख
८२.	अन्य राज्य निर्माण कार्यों (पुनःसंस्थापन) का पूँजी लेखा।	१०.६८ लाख
८५.	क.–सरकारी व्यापार योजनाओं पर पूँजी की लागत।	–०.७१ लाख
	योग	१११७.२२

पूँजी-सम्बन्धी खर्च का कार्य-क्रम मुख्यतः केन्द्रीय सरकार से ऋण के रूप में सहायता लेकर पूरा किया जायगा।

[श्री टीकाराम पालीवाल]

नियोजन—संधिपत्रान्तर्गत राज्यों द्वारा किये गये नियोजन, जो हमें मिले, १९,३७,२७,१५७ रु० १५ आना ९ पा० के थे जिनमें से पृथक् रखी गई निधियों को सम्मिलित करते हुए १८,१२,९६,९२० रु० ११ आ० ३ पा० के नियोजन रक्षित निधियों के थे तथा १,२४,३०,२३७ रु० ४ आ० ६ पा० ट्रस्ट फंड के।

१ अप्रेल, सन् १९५३ के कुल नियोजन १४,७०,१५,७६१, रु० २ आ० ३ पा० के थे तथा ऐसी आशा की जाती है कि ३१ मार्च, १९५४ को वे १४,७९,४२,९१२ रु० ५ आ० के होंगे। इन परिवर्तनों का बजट मेमोरेन्डम में स्पष्टीकरण कर दिया गया है।

३१ मार्च १९५४ को पृथक् रक्खी गई निधियों को शामिल करते हुये रक्षित निधियों के अन्तर्गत १२,३७,३४,१०० रु० की मूल कीमतों वाले सरकारी प्रॉमिसरी नोटों के हमारे पास होने का अनुमान है इनमें से १२,१७,५७,००० रुपयों के सरकारी प्रॉमिसरी नोट अनाज संग्रहण योजना, अकाल तथा पूंजीगत कार्यों में रुपया लगाने के लिये राजस्थान सरकार के केन्द्रीय चालू लेखे में से रुपया उठाने के वास्ते इंपीरियल बैंक ऑफ इन्डिया के पास गिरवी रखे हैं। सरकारी लेखे में जमा से अधिक उठाई गई रकमें निम्न प्रकार से हैं:—

७-४-१९४९	३९७.२९ लाख संधिपत्रान्तर्गत राज्यों से पाई गई
१-४-१९५०	५५८.२२ लाख
१-४-१९५१	६७२.४६ लाख
१-४-१९५२	९३२.११ लाख
१-४-१९५३	९०३.७४ लाख

ओवर ड्राफ्ट लेखे में ३१ मार्च, १९५४ को संवरण शेष ८०३.७४ लाख रुपये होने की आशा की जाती है, जिससे यह तात्पर्य हुआ कि आरम्भ में हमने जो ५० लाख रुपये के ओवर ड्राफ्ट को समाप्त करने की आशा रखी थी उसके बजाय अब १०० लाख रुपयों तक के ओवर ड्राफ्ट को समाप्त करना सम्भव हो सकेगा।

अपना भाषण समाप्त करने के पूर्व मैं पंचवर्षीय योजना तथा दो अन्य मुख्य घटनाओं पर दो शब्द कहूँगा जिनका हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

पंचवर्षीय योजना—पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में राजस्थान को दी जाने वाली राशि केवल १५२१.२५ लाख रुपये थी। बाद में इसको बढ़ाकर १६८१.४ लाख रुपये कर दी गई तथा अब वह बढ़ा कर २२९७.१ लाख रुपये कर दी गई है। भाखरा नांगल तथा चम्बल परियोजनाओं, शिक्षा मंत्रालय द्वारा चालू की गई विकास योजनाओं, तथा खाद्य और कृषि मंत्रालय को दी गई राशि में से विशेष

[श्री टीकाराम पालीवाल]

प्रकार से छोटे छोटे सिंचन कार्यों के लिये स्वीकृत १७५ लाख रुपयों तथा सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों के कार्य-क्रम इससे अलग हैं।

कुल २४७२.१ लाख रुपये को, जिनमें विशेष प्रकार के सिंचाई के छोटे-छोटे कामों के लिये १७५ लाख रुपया भी शामिल है, मोटे तौर पर निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है:-

१. सिंचाई	९२८.६ लाख रुपये
२. कृषि और ग्रामोन्नति, पशु-चिकित्सा, पशु पालन व सहकारिता को शामिल करते हुए	१७२.२ लाख रुपये
३. सड़कें	५०० लाख रुपये
४. सड़क यातायात	१.०० लाख रुपये
५. बिजली परियोजनाएँ	२९१.६ लाख रुपये
६. कुटीर उद्योग	३८.५० लाख रुपये
७. शिक्षा	२६३.५० लाख रुपये
८. चिकित्सा	८२.०० लाख रुपये
९. जन-स्वास्थ्य	१३५.५० लाख रुपये ग्राम जल प्रदाय योजनाओं के लिये १०० लाख रुपयों को शामिल करते हुए
१०. मकानों की व्यवस्था	२.०० लाख रुपये
११. श्रम और श्रम कल्याण	५.०० लाख रुपये
१२. पिछड़ी हुई जातियों की समुन्नति	४२.२० लाख रुपये

जो योजनाएँ अभी चल रही हैं उन पर मैं विशेष रूप से कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि राजकीय योजना की प्रगति पर एक अलग स्मरण-पत्र माननीय सदस्यों को प्रस्तुत किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत शामिल की गई विविध योजनाओं का कुल खर्चा १९५१-५२ (पहले साल) में २०२.९७ लाख और १९५२-५३ (दूसरे साल) में २४५.८२ लाख रुपया था। १९५३-५४ का संशोधित अनुमान ४५०.३७ लाख रुपया है।

क्योंकि अब केवल दो ही साल शेष रह गए हैं, इसलिए अब इस प्रगति की रफ्तार को और बढ़ाना होगा, जिससे कि १९५५-५६ के अन्त तक सम्पूर्ण कार्यक्रम पूरा हो जाय। योजना कार्यों के लिए अगले साल के अनुमानों में कुल ८००.४३ लाख रुपयों की व्यवस्था की गई है।

जिस स्मरण-पत्र का अभी मैंने जिक्र किया है उससे आपको यह भान हो जायगा कि हमारा लक्ष्य क्या था और उसमें से हमने अब तक कितना काम पूरा कर लिया है। मैं यह कह सकता हूँ कि हम सिंचाई, सड़कों तथा बिजली की परियोजनाओं पर विशेष जोर दे रहे हैं। सिंचाई के क्षेत्र में हमारी कार्य सिद्धि काफी सन्तोषजनक मानी जा सकती है। २,५९,८१० एकड़ अतिरिक्त भूमि में सिंचाई होने भी लगी है और १९५४-५५ तक ३,३७,६५० एकड़ भूमि में सिंचाई होने लगेगी।

[श्री टीकाराम पालीवाल]

सड़कों के सम्बन्ध में हमारा लक्ष्य ९६४ मील डामर की, ४१९९ मील पक्की, ३०९४ मील कंकड़ की और ५६४५ मील अच्छे मौसम में काम आने वाली सड़कें बनाने का था। इसमें से इस वर्ष के अन्त तक लगभग ८२८ मील डामर की, ३३१७ मील पक्की, २७६१ मील कंकड़ की और ५५७४ मील अच्छे मौसम में काम आने वाली सड़कें बन चुकेंगी। स्वीकृत रकम को ४०० लाख से बढ़ाकर ५०० लाख कर देने के कारण लक्ष्यों में भी वृद्धि हो जावेगी।

योजना में बिजली की परियोजना के लिए रखे गए कुल २९१.६ लाख रुपयों में से लगभग ८८ लाख रुपए चालू आर्थिक वर्ष के अन्त तक खर्च हो चुकेंगे। एकीकरण के पूर्व, विविध बिजली घरों की शक्ति क्षमता १३,२४० किलोवाट थी जो अब बढ़ कर ३३,१३५ किलोवाट हो गई है। योजना काल के आगामी दो सालों में, ताप से उत्पन्न बिजली के विविध स्टेशनों में २१,२०० किलोवाट की शक्ति का और उत्पादन करने के यन्त्र लगाने की योजना बनाई गई है।

सामुदायिक विकास परियोजनाएँ एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड—सामुदायिक विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत हमें सात खण्ड दिए गए हैं। इस साल में हमें दो खण्ड और दिये गये हैं। इसके अलावा १२ राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड भी और खोले गए हैं। अभी हमारे यहाँ कुल २१ खण्ड हैं और १९५४--५५ में २० और खण्ड माँगने का प्रस्ताव है। मैं योजना को विस्तार से बतला कर सदन का अधिक समय नष्ट नहीं करना चाहता। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कार्यों की प्रगति के स्मरण पत्र के साथ सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों के कार्य के सम्बन्ध में भी एक नोट प्रसारित किया जा रहा है।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान में भाग 'ख' राज्य विशिष्ट सहायता जाँच कमेटी ने हमारे राज्य में दौरा किया। यह कमेटी भारत सरकार द्वारा संघीय वित्तीय एकीकरण समझौते में रखी गई इस शर्त के अनुसरण में बनाई गई थी कि राज्य की परिस्थितियों की एक नियमित ढंग से जाँच की जावे और मालूम किया जावे कि केन्द्र से किस प्रकार की विशिष्ट सहायता की आवश्यकता है, इस कमेटी के अध्यक्ष संसद के सदस्य श्री एन. वी. गाडगिल थे और गत जुलाई में यह कमेटी हमारे राज्य में आई। इस कमेटी ने राज्य सरकार के मन्त्रियों और अफसरों से बातचीत की और साथ में गैर सरकारी व्यक्तियों से भी बातचीत की जिनमें संसद के सदस्य, विधान सभा के सदस्य तथा व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधि भी शामिल थे। उक्त कमेटी को राज्य सरकार द्वारा प्रेषित किए गए स्मरण-पत्र की प्रतिलिपियाँ माननीय सदस्यों को भेजी गई थीं। कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हो गई है। कमेटी की सिफारिशों को भारत सरकार ने मान लिया है। राजस्थान को दी गई वित्तीय सहायता ३०० लाख रुपए की है। जिसमें से पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋण में से १५० लाख रुपए का अनुदान के रूप में बदल दिया जायगा और १५० लाख रुपया प्रशासनिक भवनों, मध्यवर्ती संयोजक सड़कों और अन्य आवश्यकताओं के लिये होगा।

[श्री टीकाराम पालीवाल]

इस वर्ष में दूसरी महत्त्वपूर्ण घटना जो हुई है, वह कर जाँच आयोग का दौरा जिसके अध्यक्ष डा० जॉन मथाई थे। यह आयोग भी सरकारी अफसरों के अतिरिक्त बहुत से गैर सरकारी व्यक्तियों से मिला जिनमें विभिन्न हितों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे।

उप-संहार—वित्तीय स्थिति का जो स्थूल दिग्दर्शन मैंने कराया है उससे सदन को मालूम होगा कि हम दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं, हमारी राजस्व प्राप्तियाँ, १९५०–५१ में १४, ६०,५३,००० रुपये थीं, १९५४–५५ में बढ़कर २१,५५,११,००० रुपया हो जायगा। हमारा राजस्व व्यय भी बढ़ गया है।

यह बात कि राजस्व और व्यय वर्ष-प्रतिवर्ष संतुलित होता रहे, अर्थशास्त्र का स्वर्णिम नियम है। इतना ही नहीं सम्पन्नता के लिये भी यह परम आवश्यक है।

चालू वर्ष के लिये हमने एक संतुलित बजट तैयार किया था और यद्यपि संशोधित अनुमानों के अनुसार थोड़ी नगण्य-सी कमी दिखाई देती है तथापि ऐसी संभावना है कि हमारे अनुमान सही साबित होंगे। इसी प्रकार आगामी वर्ष भी हमारी तजवीज उतना ही खर्चा करने की है, जितना प्राप्त करने की हम आशा करते हैं।

क्योंकि विशिष्ट सहायतार्थ अनुदानों के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने पूँजी कार्य-क्रम के निमित्त ऋण-स्वरूप सहायता देने के साथ-साथ यह आदेश दिया है कि हमें अपना ध्यान पंचवर्षीय सम्बन्धी योजनाओं को पूरा करने पर केन्द्रित करना चाहिये, अतः ऐसे किसी व्यय की व्यवस्था करने के लिये कोई औचित्य शेष नहीं रह जाता जो विकास योजनाओं के बाहर हो। जहाँ तक योजना में हमारे अपने हिस्से के आर्थिक योगदान का प्रश्न है हम अब तक आर्थिक योगदान देते रहे हैं और आगे भी अपने साधनों से देते रहेंगे। इसलिए आगामी वर्ष के बजट की विशेषता यह है कि राजकीय योजना में रखे गये विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिये अधिक रकमों की तजवीज की गई है। उत्पादन वृद्धि से जन समूह की संपत्ति बढ़ती है और वह राज्य की वित्तीय समृद्धि में भी योगदान देती है। इसलिए अधिक से अधिक महत्त्व ऐसी योजनाओं को दिया गया है जो उत्पादन में वृद्धि करने के अभिप्राय से बनाई गई है।

जन-उपयोगी एवं समाज-सेवाओं के अन्तर्गत हो रहे उन्नतिशील व्यय के आँकड़ों से प्रत्यक्ष प्रकट है कि हम दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं।

एकीकरण से पहिले के वर्ष में जन-उपयोगी एवं कल्याणकारी विभागों पर संधिपत्रान्तर्गत राज्यों में कुल राजस्व और पूँजी व्यय ५४७'६४ लाख रुपये का था। १९५१–५२ के लेखे के आँकड़ों के अनुसार ऐसा कुल व्यय ७५९'५६ लाख रुपये रहा। जो १९५२–५३ में बढ़कर

[श्री टीकाराम पालीवाल]

८८७·५४ लाख रुपये हो गया। चालू वर्ष के लिये इस व्यय का संशोधित अनुमान १९८२.३४ लाख रुपये का रखा है और आगामी वर्ष के लिये १९७७·५८ लाख रुपये के अनुमान तजवीज किये गये हैं।

यदि हम "समाज सेवाओं" के अन्तर्गत महत्त्वपूर्ण सीगों को भी देखें तो मालूम होगा कि हम उस दिशा में भी अधिक उन्नति कर सके हैं। "शिक्षा" पर १९४८-४९ में किए गये १५७·२२ लाख रुपये के व्यय के मुकाबले में १९५१-५२ में किये गये असल व्यय की रकम २२९·७८ लाख रुपये की थी और वही रकम १९५२-५३ में बढ़कर २५९·३५ लाख रुपये की हो गई। १९५३-५४ के लिये संशोधित अनुमान २८६ लाख रुपये का रखा गया है और आगामी वर्ष के लिये अनुमानित रकम ३३५·२० लाख रुपया तजवीज की गई है। इससे प्रकट होगा कि पाँच वर्ष में शिक्षा पर किये जाने वाले व्यय की रकम दुगनी से भी अधिक हो गई है। इसी प्रकार "चिकित्सा" के अन्तर्गत १९४८-४९ के ९३·१७ लाख रुपये, १९५१-५२ के १०२·४४ लाख रुपये, १९५२-५३ के १०३·८२ लाख रुपये, और चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों के ११६·६० लाख रुपये के मुकाबले में आगामी वर्ष के लिये अनुमानित रकम १२८·३५ लाख रुपये की तजवीज की गई है, जिसमें नागरिक निर्माण कार्यों के अन्तर्गत भवनों के निमित्त रक्खी गई रकम शामिल नहीं है।

"जन स्वास्थ्य" (जिसमें वाटर वर्क्स सम्मिलित नहीं है) के अन्तर्गत व्यय की रकम ८·१६ लाख रुपये से बढ़कर ३६·४० लाख रुपया हो गई है। "कृषि" के अन्तर्गत भी व्यय लगभग चौगुना बढ़ गया है। "पशु-चिकित्सा" के अन्तर्गत शत प्रतिशत वृद्धि हुई है। "सहकारिता" के अन्तर्गत भी उन्नतिशील वृद्धि हुई है। श्रम स्थानीय निकायों इत्यादि जैसे विविध विभागों में भी महत्त्वपूर्ण उन्नति हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने की हालतों को सुधारने के लिए सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड जैसी बिलकुल नये ढंग की सेवायें आरम्भ करदी गई हैं और विकास कार्यों के लिये भी बजट में भारी रकमें रखी गई हैं। स्थानीय विकास कार्यों का कार्यक्रम एक दूसरी विशेषता है, जिसके द्वारा स्थानीय प्रेरणा जाग्रत की गई है और ग्रामीण जनता गाँवों को मुख्य सड़कों से मिलाने वाली सड़कें, पीने के पानी के कुंए, सफाई में सुधार, स्कूलों के लिए मकान इत्यादि जैसे जनोपयोगी आवश्यक कार्यों को आरम्भ करने के लिये उत्साहित हुई है। इस प्रकार के व्यय में सरकार की ओर से ५० प्रतिशत तक सहायता दी जाती है।

इस प्रकार यह प्रत्यक्ष हो जाता है कि सरकार इस राज्य के पुराने स्वरूप को बदलकर इसे एक कल्याणकारी राज्य का रूप दे देने के कार्य में व्यस्त है। हमारा संघर्ष निर्धनता, रोग और अज्ञानता को जड़ से उखाड़ फैंकने के लिये है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सभा की सहायता, सद्भावना और पथ-प्रदर्शन से, आगे चलकर सरकार अपने प्रयत्नों में सफलता प्राप्त करने में समर्थ होगी।

श्री अध्यक्ष—अब सदन की कार्यवाही १५ मार्च, १६५४ के साढ़े आठ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही ५-१० मध्यान्होत्तर पर दिनाँक १५ मार्च, १६५४ के प्रातः ८-३० बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक—१२ मार्च, १६५४

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।